TABLE

S. No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
1.	For temporary registration for each month		
	(a) for Transport Vehicle	500/–	4.2
	(b) For Non Transport Vehicle	200/–	
2.	For subsequent inspection in case of refusal of grant or renewal of fitness certificate for all types of vehicles	100/–	4.24
3.	For duplicate certificate of fitness	100/–	4.25]

CHAPTER V
CONTROL OF TRANSPORT VEHICLES

5.1. State Transport Authority.– (1) The State Transport Authority shall meet at such times and at such places as its Chairman may appoint :

Provided that it shall meet atleast once in a year.

(2) The number of members whose presence shall constitute the quorum shall be two or 50% of the total membership including the Chairman, whichever is higher.

(3) The Chairman, if unable to attend the meeting, shall nominate a member to act as the chairman at the meeting, the Chairman or the acting Chairman nominated under this sub-rule shall have the second casting vote.

(4) Not less than 7 days notice shall be given of any meeting of the State Transport Authority. In case of emergency the Chairman can call meeting on 24 hour's notice.

(5) A nominated non-official member of the State Transport Authority shall hold the office for a period of three years and thereafter until a successor is nominated:

Provided that (i) The Government may, at any time, reduce the period of the office of any such member to the period during which he has till than actually held the office of such member; and

(ii) When such member dies or otherwise vacates the office or when his period of the office is so reduced, his successor shall hold the office for the remainder of the period for which a member whose place3 such successor takes would have hold such office.

(iii) The nominated non-official member of the State Transport Authority shall be entitled to receive for his attending the meeting of the Authority travelling and halting allowance at the scale and on the conditions admissible to 1st class officers and any such member performing any journey, other than to attend a meeting of the authority, in connection with the business of the authority shall with the sanction of the Chairman be entitled to receive travelling and halting allowances likewise.

सारणी

क्र. सं.	प्रयोजन	रकम (रुपयों में)	नियम
1	2	3	4
1.	अस्थाई रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रत्येक मास के लिये (क) परिवहन यान के लिये (ख) अपरिवहन यानों के लिये	 500/– 200/–	42
2.	सभी प्रकार के यानों के लिये ठीक हालत में होने के प्रमाण–पत्र की मंजूरी या नवीनीकरण से इन्कार करने के मामले में पश्चात्‌वर्ती निरीक्षण के लिये	100/–	424
3.	ठीक हालत में होने के प्रमाण–पत्र की अनुलिपि के लिये	100/–	425]

अध्याय–5

परिवहन यानों का नियंत्रण

5.1. राज्य परिवहन प्राधिकरण.– (1) राज्य परिवहन प्राधिकारी ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बैठक करेगा, जैसा कि इसका अध्यक्ष निश्चित करे :

परन्तु वह वर्ष में कम से कम एक बैठक करेगा।

(2) सदस्यों की संख्या, जिससे गणपूर्ति होगी, दो या अध्यक्ष सहित कुल सदस्यता का 50 प्रतिशत, इनमें जो भी अधिक हो, होगी।

(3) यदि अध्यक्ष बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो वह किसी सदस्य को बैठक के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्देशित करेगा। अध्यक्ष तथा इस उपनियम के अधीन नामनिर्देशित कार्यवाहक–अध्यक्ष दूसरा निर्णायक मत दे सकेंगे।

(4) राज्य परिवहन प्राधिकरण की किसी बैठक के लिये सात दिन से अनधिक की सूचना दी जायेगी। आपातकाल में अध्यक्ष 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकेगा।

(5) राज्य परिवहन प्राधिकरण का नामनिर्देशित अशासकीय सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये और इसके बाद जब तक, उसका उत्तरवर्ती नामनिर्देशित न हो जाये, पद धारण करेगा।

परन्तु : (i) सरकार, किसी भी समय, किसी ऐसे सदस्य के पद की अवधि को उस अवधि तक कम कर सकेगी, जिसमें ऐसे सदस्य ने वास्तव में तब तक उसे धारण किया है, और

(ii) जब ऐसा सदस्य मर जाता है या अन्यथा पद खाली कर देता है या जब उसकी पदावधि कम कर दी जाती है, तो उसका उत्तरवर्ती उस शेष अवधि तक पद धारण करेगा, जब तक कि वह सदस्य धारण करता, जिसका वह उत्तरवर्ती स्थान लेता है।

(iii) राज्य परिवहन प्राधिकार का नामनिर्देशित अशासकीय सदस्य प्राधिकरण की बैठक में उसकी उपस्थिति के लिये प्रथम श्रेणी अधिकारी को ग्राह्य मापदण्ड और शर्तों पर यात्रा और विश्राम भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसा सदस्य प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने के अलावा प्राधिकरण के कार्य से सम्बन्धित किसी यात्रा के लिये अध्यक्ष की स्वीकृति उसी प्रकार यात्रा और विराम भत्ता पाने का हकदार होगा।

5.2. **Regions and Regional Transport Authorities.**– (1) Regions for the purpose of section 68 of the Act shall be in such number and shall comprise the areas, as notified by the State Government from time to time.

(2) The Regional Transport Authority shall be the sole Transport Authority under Chapter V and VIth of the Act for the vehicle used or proposed to be used on routes common to two or more regions lying within the same State or in different States.

[1][(3) Each Regional Transport Authority shall meet at such times and at such place (within the region) as the Chairman may decide unless the State Transport Authority directs otherwise].

5.3. **Conduct of business of the Transport Authorities.**– (1) A Secretary appointed under this rule or appointed by the State Government shall perform such duties and exercise such powers as may be specified in these rules and in the bye-laws made by the Transport Authority under sub-rule (2) :

Provided that the State Government may if it considers necessary in the public interest, appoint more than one Secretary and a Executive Officer for any area of the region for each transport authority as constituted.

(2) Subject to the provision of the Act and these rules and to the approval of the State Government, the said Transport Authority or Regional Transport Authority shall have the powers to make bye-laws to regulate the conduct of its business and shall likewise have powers to amend and rescind such bye-laws and the business of such transport authority, shall be conducted according to such bye-laws and under the directions of the Chairman.

(3) In the event of the procedure by circulation being followed, the Secretary shall send to each member of the transport authority such particulars of the matter as may be reasonably necessary in order to enable the member to arrive at a decision and shall specify a date by which the votes of the members are to be received in the office of the Transport Authority. Upon receipt of the votes of the members as aforesaid, the Secretary shall lay the papers before the Chairman who shall record the decision by endorsement on the form of the application or other documents, as the case may be, according to the votes received and the vote or votes cast by the Chairman. The record of the votes cast shall be kept by the Secretary and shall not be available for inspection by any person, save by the member of the Transport Authority at the regularly constituted meeting of the transport authority, no decision would be made by the procedure of the circulation, if before the date by which the votes of members are required to reach the office of the transport authority, not less than 1/3rd of the members of the transport authority by notice in writing to the Secretary demand than the matter may be referred to a meeting of the transport authority.

(4) The number of votes, excluding the Chairman's second or casting vote, necessary for decision to be taken upto procedure by circulation shall not be less than the number necessary to constitute the quorum.

1. Subs. by G.S.R. 26, dated 21.6.1996 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 22.6.1996). (w.e.f. 22.6.1996).

5.2 प्रदेश और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण.– (1) इस अधिनियम की धारा 68 के प्रयोजनार्थ [illegible] ऐसी संख्या में और ऐसे क्षेत्रों में निर्मित होंगे, जो राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित करे।

(2) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, इसी राज्य या भिन्न राज्यों में पड़ने वाले दो या अधिक प्रदेशों [illegible]मान मार्गों पर काम में लिये जाने वाले या काम में लेने के लिये प्रस्तावित यानों के लिये इस [illegible]नियम के अध्याय 5 और 6 के अधीन एक मात्र प्राधिकरण होगा।

[1](3) जब तक राज्य परिवहन प्राधिकरण अन्यथा निर्देश न दे, तब तक प्रत्येक प्रादेशिक [illegible]हन प्राधिकरण बैठके ऐसे समयों और ऐसे स्थानों पर (प्रदेश के भीतर) करेगा, जो अध्यक्ष विनिश्चित [illegible]।]

5.3. परिवहन प्रधिकरणों का कार्य संचालन.– (1) इस नियम के अधीन या राज्य सरकार द्वारा [illegible]क सचिव ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो इन नियमों में और [illegible]नियम (2) के अधीन परिवहन प्राधिकरण द्वारा बनायी गयी उप–विधियों में विनिर्दिष्ट किये जायें:

परन्तु राज्य सरकार यदि लोकहित में यह आवश्यक समझे तो एक से अधिक सचिव और एक [illegible]शासी अधिकारी प्रत्येक परिवहन प्राधिकरण के किसी प्रदेश के क्षेत्र के लिये, जैसा गठित किया जाये, [illegible]युक्त कर सकेगी।

(2) अधिनियम और इन नियमों तथा राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए उक्त राज्य [illegible]वहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को अपने कार्य संचालन को विनियमित करने के [illegible]ये उप विधियां बनाने की शक्तियां होंगी और इसी प्रकार ऐसे उपनियमों को संशोधन करने और [illegible]ण्डित करने की शक्तियां होंगी और ऐसे परिवहन प्राधिकरण का कार्य ऐसी उप विधियों के अनुसार [illegible]र अध्यक्ष के निर्देशों के अधीन संचालित किया जायेगा।

(3) ऐसी स्थिति में जब परिचालन का तरीका अपनाया जाये तो सचिव परिवहन प्राधिकरण के [illegible]येक सदस्य को विषय की ऐसी विशिष्टियां भेजेगा, जो युक्तियुक्त रूप से सदस्य को किसी विनिश्चय [illegible] पहुंचने में समर्थ बनाने और एक दिनांक विनिर्दिष्ट करेगा, जिस तक सदस्यों के मत परिवहन [illegible]करण के कार्यालय में प्राप्त किये जाने हैं। ऊपर बताये अनुसार सदस्यों के मत प्राप्त होने पर, सचिव [illegible]जात अध्यक्ष के समक्ष रखेगा, जो आवेदन पत्र या अन्य दस्तावेज पर यथास्थिति पृष्ठांकन द्वारा प्राप्त [illegible] मतों और अध्यक्ष द्वारा दिये गये मत या मतों के अनुसार विनिश्चय अभिलिखित करेगा। दिये गये [illegible] का अभिलेख सचिव द्वारा रखा जायेगा और यह परिवहन प्राधिकरण की नियमित बैठक में परिवहन [illegible]करण के किसी सदस्य के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये उपलब्ध नहीं होगा। [illegible]चालन के तरीके से कोई विनिश्चय नहीं किया जायेगा, यदि, जिस दिनांक तक सदस्यों के मत [illegible]वहन प्राधिकरण के कार्यालय में पहुंचना चाहा गया है, उस दिनांक के पहले परिवहन प्राधिकरण के [illegible]स्यों के एक–तिहाई से अनधिक द्वारा लिखित में सचिव को नोटिस देकर मांग की जाये कि उस [illegible] को परिवहन प्राधिकरण की बैठक को निर्देशित किया जाये।

(4) मतों की संख्या, अध्यक्ष के दूसरे या निर्णायक मत के अलावा, जो परिचालन के तरीके से [illegible]चय करने के लिये आवश्यक होगी, गणपूर्ति के लिये आवश्यक संख्या से कम नहीं होगी।

---

[1] [illegible]जी.एस.आर. 26, दिनांक 21.6.1996 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 22.6.1996 पर [illegible]शित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 22.6.1996).

(5) The State or the Regional Transport Authority, as the case may be, may require the applicant for a permit to appear before it or before the officer authorised by it by a resolution and may withhold the consideration of the application for the permit until the applicant is so appeared in person, it so required or by duly authorised representative, if so permitted, and until the applicant has furnished such information as may be required by the transport authority in connection with the application.

(6) Nothing contained in this rule shall preventive the State or the Regional Transport Authority from deciding by following procedure by circulation any matter which has been considered at the meeting or has been a subject of hearing and upon which a decision has been reserved.

(7) Where a matter is decided by the votes of the members presented at the meeting of the State or Regional Transport Authority, no person other than a member of the Transport Authority shall be entitled to be present and no record of the voting shall be kept safe of the number of votes cast of either side:

Provided that when any matter is decided by the exercise of the second casting vote of the Chairman or of the presiding officer, facts shall be recorded.

[1][5.4. **Delegation of powers.**– (1) The State Transport Authority or the Regional Transport Authority may by general or special resolution delegate all or some of its powers and functions to officers of Transport Department not below the rank of [2][Motor Vehicle Inspector] subject to such condition and restrictions as it may think proper:

Provided that the powers under sub-section (5) of Section 86 of the Act to compound any case of breach or infringement of the provisions of the Act or the rules can be delegated to the officers of the Transport Department not below the rank of Motor Vehicle Sub-Inspector :

Provided further that the powers of counter signing or granting temporary permits for vehicles of other States, coming into this State or passing through this State under sub-section (8) of section 88 for one return trip only and in case of goods vehicles permit under section 87 for not more than thirty days, can be delegated to the incharge Check Post/Tax Collection Centre.

(2) The State Transport Authority, or Regional Transport Authority may from time to time, issue instructions to the officers to whom powers have been delegated as to the manner in which they shall exercise the powers delegated to them.]

5.5. Application for Grant of permit.– (1) Every application for a permit in respect of Transport Vehicle shall be in one of the following forms, namely:–

(i) In respect of a particular Stage Carriage in Form R.S. 5.1;

(ii) In respect of service of Stage Carriage in Form R.S. 5.2;

(iii) In respect of a particular Contract Carriage in Form R.S. 5.3;

(iv) In respect of a Casual Contract Carriage in Form R.S. 5.4;

1. Subs. by G.S.R. 109, dated 25.3.1998 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(C)(I), dated 25.3.1998).
2. Subs. by G.S.R. 106, dated 22.2.2002 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 22.2.2002).

(5) राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, यथास्थिति, परमिट के लिये आवेदक को अपने सामने या उसके द्वारा एक संकल्प से प्राधिकृत किसी अधिकारी के सामने उपसंजात होने के लिये चाह सकेगा और परमिट के लिये आवेदन कर विचार करना तब तक के लिये रोक देगा, जब तक आवेदक इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से, ऐसा चाहा गया हो या प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा, यदि ऐसी अनुमति दे दी गई हो, उपस्थित नहीं होता है और जब तक आवेदक ने ऐसी सूचना न दे दी हो, जो परिवहन प्राधिकरण द्वारा आवेदन के सम्बन्ध में चाही गई हो।

(6) इस नियम में दी गई कोई बात, राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किसी विषय पर, जिस पर बैठक में विचार किया गया हो या वह सुनवाई का विषय रहा हो, जिस पर विनिश्चय सुरक्षित कर दिया गया हो, परिचालन के तरीके का अनुसरण कर विनिश्चय करने से प्रवारित नहीं करेगी।

(7) जहां राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्यों के मतों द्वारा किसी विषय पर विनिश्चय किया जाये, तो प्राधिकरण के सदस्य के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को वहां उपस्थित रहने का हक नहीं होगा और किसी भी ओर दिये गये मतों की संख्या का कोई अभिलेख नहीं रखा जायेगा:

परन्तु यदि किसी विषय पर अध्यक्ष या सभापति के दूसरे निर्णायक मत के प्रयोग से विनिश्चय किया जाये, तो तथ्यों को अपलिखित किया जायेगा।

[1][5.4. **शक्तियों का प्रत्यायोजन.**– (1) राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सामान्य या विशेष संकल्प द्वारा, परिवहन विभाग के ऐसे अधिकारियों को, जो [2][मोटर वाहन निरीक्षक] की रैंक से नीचे के न हो, अपनी सभी या कुछ शक्तियां और कृत्य ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो वह उचित समझे:

परन्तु अधिनियम की धारा 86 की उप–धारा (5) के अधीन अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के भंग या अतिलंघन के किसी भी मामले का शमन करने की शक्तियां, पपरिवहन विभाग के ऐसे अधिकारियों को प्रत्यायोजित की जा सकती है जो मोटर यान उप–निरीक्षक की रैंक से नीचे के न हों :

परन्तु यह और कि धारा 88 की उप–धारा (8) के अधीन इस राज्य में आने वाले या इस राज्य से होकर गुजरने वाले अन्य राज्यों के यानों के लिये केवल एक रिटर्न ट्रिप के लिये, और धारा 87 के अधीन माल यान परमिट के मामले में तीस दिन से अनधिक के लिये अस्थायी परमिट प्रतिहस्ताक्षरित या मंजूर करने की शक्तियां चैक पोस्ट/कर संग्रहण केन्द्र के प्रभारी को प्रत्यायोजित की जा सकेंगी।

(2) राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, उन अधिकारियों को जिन्हें शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हों, उस रीति के विषय में समय–समय पर अनुदेश जारी कर सकेगा, जिससे वे उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करेंगे।]

5.5. **परमिट की स्वीकृति के लिये आवेदन.**– (1) परिवहन यान के संबंध में परमिट के लिये प्रत्येक आवेदन निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में होगा, अर्थात्:–

(i) विशेष मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में प्ररूप आर.एस. 5.1 में;
(ii) मंजिली गाड़ी की सेवा के सम्बन्ध में प्ररूप आर.एस. 5.2 में;
(iii) विशेष ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में प्ररूप आर.एस. 5.3 में;
(iv) आकस्मिक ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में प्ररूप आर.एस. 5.4 में;

---

1. जी.एस.आर. 109, दिनांक 25.3.1998 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 25.3.1998 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2. जी.एस.आर. 106, दिनांक 22.2.2002 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 22.2.2002 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(v) In respect of a Contract Carriage to be used for Private hire in Form R.S. 5.5;

(vi) In respect of a Private Service Vehicle in Form R.S. 5.6;

(vii) In respect of Goods Vehicle in Form R.S. 5.7;

(viii) In respect of All India Permit u/s 88 (8)-in Form prescribed by the Central Government;

(ix) In respect of National Permit u/s 88 (9) in Form prescribed by the Central Government; and

(x) In respect of temporary permit in Form R.S. 5.8.

[1][(xi) In respect of a particular Educational Institution Bus in Form R.S. 5.8 A.]

(2) The application [2][alongwith a passport size photograph of applicant affixed thereon and three additional photograph, which shall be used for affixing on permit register, and on permit part 'A' and 'B'] shall be addressed to the State Transport Authority or the Regional Transport Authority, as the case may be, and submitted in the office of the Secretary/Executive Officer and accompanied by–

(i) Proof of residence in the manners mentioned in rule 4 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989;

(ii) Proof regarding belonging to S.C. or S.T. from a competent authority. Where reservation of permit under sub-section (4) of section 71;

(iii) A self-addressed envelope for intimation;

(iv) Prescribed fee;

(3) **In case of a stage carriage Permit.**– The application shall also be accompanied by:–

(a) Blue print of the proposed route showing all vias-villages/towns/cities with population.

[3][(b) Length and class of the proposed routes may be notified route or non-notified route and be of the type i.e. sub urban route, rural route, route lying exclusively within the area of Municipality of U.I.T. or both or other routes.

Explanation I.– For the purpose of this sub-rule the above classification of route shall have the following meaning:–

(1) Notified route shall means the route notified under section 100 of the Motor Vehicle Act 1988.

(2) Non-notified route shall mean a route which is not a notified route.

---

1. Ins. by G.S.R. 46, dated 4.12.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 4.12.2003). (w.e.f. 4.12.2003).
2. Ins. by G.S.R. 82, dated 29.11.2002 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 29.11.2002).
3. Subs. by G.S.R. 29, dated 14.9.2004 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 14.9.2004). (w.e.f. 14.9.2004).

(v) निजी किराये के लिये काम में ली जाने वाली ठेका गाड़ी के सम्बन्ध में प्ररूप आर.एस. 5.5 में;

(vi) निजी सेवा यान के सम्बन्ध में प्ररूप आर.एस. 5.6 में;

(vii) मालयान के संबंध में प्ररूप आर.एस. 5.7 में;

(viii) धारा 88 (8) के अधीन अखिल भारतीय परमिट के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्ररूप में;

(ix) धारा 88 (9) के अधीन राष्ट्रीय परमिट के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्ररूप में;

(x) अस्थायी परमिट के सम्बन्ध में प्ररूप आर.एस. 5.8 में;

[1][(xi) किसी विशिष्ट शिक्षा संस्था बस के सम्बन्ध में प्ररूप आर.एस. 5.8क में]।

(2) आवेदन [2][जिस पर आवेदक की एक पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकी हुई हो और जिसके साथ तीन अतिरिक्त फोटो लगी हों, जो परमिट रजिस्टर और परमिट भाग "क" और "ख" पर चिपकाये जाने के लिये उपयोग में लायी जायेगी,] राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, यथास्थिति को संबोधित होगा और सचिव/अधिशासी अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा और इसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे:—

(i) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 4 में वर्णित रीति से निवास—स्थान का सबूत;

(ii) जहां धारा 71 की उप—धारा (4) के अधीन परमिट का आरक्षण हो, सक्षम प्राधिकारी से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति होने का सबूत;

(iii) सूचना के लिये स्वयं का पता लिखा हुआ एक लिफाफा;

(iv) विहित फीस;

(3) मंजिली गाड़ी परमिट मामले में.— आवेदन के साथ निम्नलिखित भी होंगे:—

(क) प्रस्तावित मार्ग का ब्लू—प्रिंट (नक्शा), जिसमें मार्ग के सब ग्राम/कस्बे/नगर मय जनसंख्या के दिखाये गये हों।

[3][(ख) प्रस्तावित मार्गों की लम्बाई और वर्ग अधिसूचित मार्ग या गैर—अधिसूचित मार्ग हो सकेंगे और इनका प्रकार अर्थात् उप—नगरीय मार्ग, ग्रामीण मार्ग, अनन्य रूप से नगरपालिका/नगर सुधार न्यास क्षेत्र में पड़ने वाला मार्ग या दोनों या अन्य मार्ग हो सकेगा।

स्पष्टीकरण I— इस नियम के प्रयोजन के लिये मार्ग के उक्त वर्गीकरण का निम्नलिखित अर्थ होगा:—

(1) अधिसूचित मार्ग से मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 100 के अधीन अधिसूचित मार्ग अभिप्रेत होगा।

(2) गैर अधिसूचित मार्ग से ऐसा कोई मार्ग अभिप्रेत होगा जो अधिसूचित मार्ग नहीं है।

---

1. जी.एस.आर. 46, दिनांक 4.12.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग—4(ग)(1), दिनांक 4.12.2003 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया। (w.e.f. 4.12.2003).
2. जी.एस.आर. 82, दिनांक 29.11.2002 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग—4(ग)(1), दिनांक 29.11.2002 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया।
3. जी.एस.आर. 29, दिनांक 14.9.2004 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग—4(ग)(1), दिनांक 14.9.2004 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया एवं 14.9.2004 से लागू किया गया।

(3) Sub-Urban route and rural route shall means a route as defined in the Rajasthan Motor Vehicle Rules, 1990.

(4) Other route shall mean;

(i) a route which is not covered under a sub-urban route, rural route, route lying exclusively within the area of Municipality or U.I.T. or both.

(ii) the existing Stage carriage routes lying beyond the area of Municipality or U.I.T. or both at the time of commencement of the Rajasthan Motor Vehicles (IInd Amendment) Rules, 2004 unless the Category is changed by the State Government.]

Explanation II.– Duly verified by competent authority of P.W.D. or Tehsildar of the concerned district.

In case the applicant does not give the proof regarding length of route than the Regional Transport Officer shall have a survey report regarding length and nature of the route from the District Transport Officer concerned.

(c) Proposed time-table.

(d) Proposed fare to be charged (Fare chart).

(4) In case the application for a private service vehicle, proof regarding permit to be used as private service vehicle.

(5) In case of stage carriage permits, All India Permit and National Permit, affidavit in support of having at the time of application number and the nature of the permit having in the applicants name or in the name of any member of his family and no portion of nationalised route over lapped or the proposed route overlapped by............ k.m.

[1][(6) Fleet owner may apply for stage carriage permit in Form R.S. 5.2.]

[2][**5.5A.** Motor Vehicles adapted to carry more than nine persons excluding the driver shall be required to have a permit under section 66 of the Act.

Provided that the vehicle already registered in the State before the commencement of the Rajasthan Motor Vehicles (III Amendment) Rules, 2005 shall be allowed a period of 180 days for obtaining the permit.]

5.6. Disposal of Application of where no limit has been fixed.– (1) The Secretary State Transport Authority, Regional Transport Authority shall scrutinise each application, if any application is not complete, the applicant shall be required to remove the defect.

(2) All the such applications found complete shall be entered date-wise, in a separate register to be maintained for each type of application of permit in the office.

(3) The Secretary shall dispose of such applications on behalf of the Regional Transport Authority where the powers to deal these which has been delegated to him.

(4) In case where an application is required to be considered by the Regional Transport Authority the Secretary shall submit the application received from 1st to 15th of each month with a factual report regarding (i) correctness of the application, (ii) whether the proposed route of area is over lapped or not by nationalised route and (iii) all other matters based on the documents submitted by the applicant, before 22nd of the same month likewise the complete applications received from 16th to the last date of the month shall be submitted before the Regional Transport Authority by the 7th of the next month.

(5) The applications submitted and found complete by the State Transport Authority/ Regional Transport Authority shall be disposed off within two months from the date of receipt, while granting the permit for the stage carriage the Regional Transport Authority shall also approve the proposed time table and the fare chart submitted by the applicant.

1. Subs. by G.S.R. 45, dated 2.12.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord: Pt.-4(Ga)(I), dated 2.12.2003). (w.e.f. 2.12.2003).

2. Added. by Noti. F. 7(4) Pari/Rules/Hq./92, dated 25.8.2005. (w.e.f. 25.8.2005).

(3) उप–नगरीय मार्ग और ग्रामीण मार्ग से राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 में यथा परिभाषित कोई मार्ग अभिप्रेत होगा।

(4) अन्य मार्ग से अभिप्रेत होगा:–

(i) ऐसा मार्ग जो उप–नगरीय मार्ग, ग्रामीण मार्ग अनन्य रूप से नगरपालिका या नगर सुधार न्यास या दोनों के क्षेत्र में पड़ने वाले मार्ग के अन्तर्गत नहीं आता है।

(ii) राजस्थान मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2004 के प्रारम्भ के समय नगरपालिका या नगर सुधार न्यास या दोनों के क्षेत्र के आगे पड़ने वाले विद्यमान मंजिली गाड़ी मार्ग जब तक कि राज्य सरकार द्वारा प्रवर्ग परिवर्तित नहीं कर दिया जाये।]

स्पष्टीकरण II– सार्वजनिक निर्माण विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा या सम्बन्धित जिले के तहसीलदार द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित।

ऐसे मामले में जहां आवेदक मार्ग की लम्बाई के बारे में सबूत नहीं देता है, तो प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मार्ग की लम्बाई और स्वरूप के बारे में सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी के सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

(ग) प्रस्तावित समय सारिणी।

(घ) प्रस्तावित किराया जो लिया जायेगा।

(4) निजी सेवा यान के लिये आवेदन के मामले में परमिट निजी सेवा यान के रूप में उपयोग में लेने का सबूत।

(5) मंजिली गाड़ी परमिटों, अखिल भारतीय परमिट और राष्ट्रीय परमिट के मामले में, आवेदन के समय आवेदक के नाम में या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से धारित परमिटों की संख्या और स्वरूप के, और राष्ट्रीयकृत मार्ग का कोई भाग अतिव्याप्त नहीं होने या प्रस्तावित मार्ग .... किलोमीटर से अतिव्याप्त करने के समर्थन में शपथपत्र।

[1][(6) फ्लीट का स्वामी मंजिली गाड़ी के परमिट के लिये प्ररूप आर.एस. 5.2 में आवेदन कर सकेगा।]

[2][**5.5क.** ड्राइवर को अपवर्जित करते हुए नौ से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिये अनुकूलित मोटर यान से अधिनियम की धारा 66 के अधीन परमिट रखने की अपेक्षा की जायेगी :

परन्तु राजस्थान मोटर यान (तृतीय संशोधन) नियम, 2005 के प्रारम्भ के पूर्व राज्य में पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों को परमिट प्राप्त करने के लिये 180 दिन की कालावधि अनुज्ञात की जायेगी।]

5.6. ऐसे आवेदन का निपटारा, जहां कोई सीमा निश्चित नहीं है.– (1) सचिव, राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण प्रत्येक आवेदन की संवीक्षा करेगा, यदि कोई आवेदन पूरा नहीं है तो आवेदक से उसकी कमी–पूर्ति चाही जायेगी।

(2) ऐसे सब आवेदन जो पूरे पाये जायें, दिनांक के अनुसार एक अलग रजिस्टर में प्रविष्ट किये जायेंगे, जो कार्यालय में प्रत्येक प्रकार के परमिट के आवेदन के लिये रखे जायेंगे।

(3) सचिव ऐसे आवेदनों का प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की ओर से निपटारा करेगा, जहां आवेदनों का निपटारा करने के लिये उसे शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हों।

(4) ऐसे मामलों में जहां कोई आवेदन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा विचार में लेना वांछित है, वहां सचिव प्रत्येक माह की 1 से 15 दिनांक तक प्राप्त आवेदनों को (i) आवेदन के सही होने, (ii) क्या प्रस्तावित मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग द्वारा अतिव्याप्त है या नहीं और (iii) अन्य सभी विषय जो आवेदक द्वारा दिये गये दस्तावेजों पर आधारित हैं, के बारे में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ उसी माह की 22 दिनांक के पहले प्रस्तुत करेगा और इसी प्रकार 16 तदिनांक से महीने के अन्तिम दिनांक तक प्राप्त पूर्ण आवेदनों को अगले महीने की सात दिनांक तक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(5) प्रस्तुत आवेदन जो राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा पूरे पाये गये हों, उनको प्राप्त होने के दिनांक से दो मास के भीतर निपटा दिया जायेगा। मंजिली गाड़ी के लिये परमिट देते समय प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित समय सारिणी और किराया सूची को भी अनुमोदित करेगा।

---

1. जी.एस.आर. 45, दिनांक 2.12.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 2.12.2003 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित एवं 2.12.2003 से लागू किया गया।
2. अधि. सं. एफ. 7(4) परि./नियम/एच.क्यू./92, दिनांक 25.8.2005 द्वारा जोड़ा गया एवं 25.8.2005 से लागू किया गया।

[1][(5A) A vehicle owner can be granted only one reserve stage carriage permit for every ten particular stage carriage permits he possesses.]

(6) Before rejecting the application the State Transport Authority/Regional Transport Authority shall issue a show-cause notice to the applicant to appear before him on the appointed date, place and time, either in person or through authorised representative. After giving him an opportunity of being heard or in case no body appears on the date mentioned in the notice, he shall decide the application on the merit. If the application is rejected, reasons for rejecting the application should be given in writing immediately.

5.7. Disposed of application of stage carriage permit where limit has been fixed.– (1) Where the number of stage carriage are fixed under sub-section (3) (a) of section 71 of the Act the stage carriage permit to the extent of the 16% and 12% shall be reserved for the applicants belonging to the SC/ST respectively.

(2) in case the applications received from SC and ST are less than the permits to be issued to them under sub-rule (1), the number of permits which could not be issued to the persons belonging to the SC and the ST shall be carried forward but such carried forward quota shall automatically lapse after one Year.

(3) The State Transport Authority or the Regional Transport Authority may group various routes within the State/Region for which limit of the permit has been fixed for the purpose of granting stage carriage permits to the applicants belonging to the SC/ST as per sub-rule (1).

(4) The procedure for disposal of application before the Regional Transport Authority will be the same as mentioned in Rule 5.6.

5.8. Power to refusal to accept application for the permit.– Where the number of permit for Stage Carriage and Contract Carriage has been fixed under the Act, and number has been exhausted, the Regional Transport Authority shall notify this fact on the notice board of its office and may decline to receive any further application for permit in respect of a class of vehicle in the area or on the route aforesaid.

5.9. Issue of permit.– (1) The Secretary/Executive Officer of the [2][State Transport Authority/Regional Transport Authority] shall, intimate the applicant with in seven days from the date of order of the [2][State Transport Authority/Regional Transport Authority] regarding grant or rejection of the application and on receipt of the prescribed obtained. From R.S. 5.19 for the permit shall be issued which shall be in one of the following forms:–

(i)	In respect of Stage Carriage permit	In Form R.S. 5.9
(ii)	In respect of service of Stage Carriage	In Form R.S. 5.10
(iii)	In respect of a particular contract carriage	In Form R.S. 5.11
(iv)	In respect of casual contract carriage	In Form R.S. 5.12
(v)	In respect of contract carriage to be used for private hire.	In Form R.S. 5.13
(vi)	In respect of Private Service vehicle	In Form R.S. 5.14
(vii)	In respect of Goods Vehicle	In Form R.S. 5.15
(viii)	In respect of National Permit	In Form R.S. 5.16
(ix)	In respect of All India Tourist Permit	In Form R.S. 5.17
(x)	In respect of temporary permit	In Form R.S. 5.18

1. Ins. by S.O. 396, dated 28.2.2004 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 28.2.2004). (w.e.f. 28.2.2004).
2. Subs. by G.S.R. 39, dated 26.7.1995 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 26.7.1995).

यान के स्वामी को उसके कब्जे में के प्रत्येक दस विशिष्ट मंजिली गाड़ी परमिटों के लिये ...क्षित मंजिली गाड़ी परमिट दिया जा सकेगा।

किसी आवेदन को नामंजूर करने से पहले, राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण आवेदक को उसके ... दिनांक, स्थान और समय पर या तो स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने ... बताओ नोटिस जारी करेगा। उसे सुनवाई का एक अवसर देने के बाद या नोटिस में दिये ... को किसी के उपस्थित न होने पर, वह आवेदन को गुणागुण पर विनिश्चित करेगा। यदि आवेदन ... किया जाता है तो आवेदन को नामंजूर करने के कारण लिखित में तुरन्त दिये जाने चाहिये।

... मंजिली गाड़ी परमिट के आवेदनों का निपटारा जहां सीमा निर्धारित कर दी गई है— (1) ... गाड़ी की संख्या अधिनियम की धारा 71 की उप–धारा (3) (क) के अधीन निर्धारित कर दी ... अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों के लिये क्रमशः 16 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की सीमा ... गाड़ी परमिट आरक्षित किये जायेंगे।

... किसी मामले में जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति से प्राप्त आवेदन उप–नियम ... अधीन उनको जारी किये जाने वाले परमिटों से कम है, तो परमिट, जो अनुसूचित जाति और ... जनजाति के लोगों को नहीं जारी किये जा सके, अग्रनीत किये जायेंगे, परन्तु आगे ले जाया गया ... वर्ष के बाद स्वतः व्यपगत हो जायेगा।

(3) राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण राज्य/प्रदेश के भीतर विभिन्न मार्गों को समूह में रख सकेगा, ... लिये उप नियम (1) के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. के आवेदकों को मंजिली गाड़ी के परमिट देने ... के लिये परमिटों की सीमा तय की गई है।

(4) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के समक्ष आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया वही होगी, जो नियम ... की गयी है।

5.8. परमिट के लिये आवेदन स्वीकार करने से इन्कार करने की शक्ति.— जहां अधिनियम के ... मंजिली गाड़ी और ठेकागाड़ी के लिये परमिट की संख्या निर्धारित कर दी गई है और वह संख्या ... जाती है, तो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी इस तथ्य को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर ...त करेगा और उस श्रेणी के यान के बारे में उस क्षेत्र या मार्ग के सम्बन्ध में परमिट के लिये कोई आवेदन लेने से इन्कार कर सकेगा।

5.9. परमिट जारी करना.— (1) [2][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] का .../अधिशासी अधिकारी आवेदन को स्वीकृति या नामंजूरी के बारे में [2][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक ... प्राधिकरण] के आदेश की दिनांक से सात दिवस के भीतर आवेदक को सूचित करेगा और निर्धारित ... आर.एस. 5.19 में रसीद प्राप्त करने के बादपरमिट जारी किया जायेगा, जो निम्नलिखित में से किसी प्ररूप में होगा:

(i) मंजिली गाड़ी परमिट के बारे में	प्ररूप आर.एस. 5.9 में
(ii) मंजिली गाड़ी की सेवा के बारे में	प्ररूप आर.एस. 5.10 में
(iii) विशेष ठेका गाड़ी के बारे में	प्ररूप आर.एस. 5.11 में
(iv) आकस्मिक ठेका गाड़ी के बारे में	प्ररूप आर.एस. 5.12 में
(v) निजी किराये का उपयोग में लेने के लिये ठेका गाड़ी के बारे में	प्ररूप आर.एस. 5.13 में
(vi) निजी सेवा यान के बारे में	प्ररूप आर.एस. 5.14 में
(vii) मालयान के बारे में	प्ररूप आर.एस. 5.15 में
(viii) राष्ट्रीय परमिट के बारे में	प्ररूप आर.एस. 5.16 में
(ix) अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के बारे में	प्ररूप आर.एस. 5.17 में
(x) अस्थायी परमिट के बारे में	प्ररूप आर.एस. 5.18 में

एस.ओ. 396, दिनांक 28.2.2004 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 28.2.2004 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा एवं दिनांक 28.2.2004 से लागू किया गया।

जी.एस.आर. 39, दिनांक 26.7.1995 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 26.7.1995 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[1][(xi) In respect of cash receipt cum temporary permit for contract/goods carriage — In Form R.S. 5.18-A

(xii) In respect of a particular Educational Institution Bus — In Form R.S. 5.18-B.]

(2) Save in the case of Temporary Permit every permit shall be in two portion 'A' and 'B'. One copy of part A only shall be issued. One copy of part B shall be issued in respect of every vehicle authorised by the permit and where a permit relates to more than one vehicle each such copy shall carry, in addition to the number of permit a separate serial number contained in Brackets after the number of permit. Each such copy shall be sealed and signed by the authority by which the permit is issued and by the authority by which the permit is countersigned.

(3) The holder of permit shall cause the relevant copy of part 'B' thereof or the Temporary permit, as the case may be, to be carried in Glassed Frame or other suitable container in or fixed to the interior of the vehicle in such a way as to maintain it in a clean and legible condition, readily available for inspection at any time by the authorised person.

[2][**5.10. Permit for Transport Vehicle-Condition.**– In pursuance of any general or specific direction issued by the State Transport Authority in this behalf, a condition to the effect that the Motor Vehicle in respect of which such permit is granted or renewed shall not be a model earlier than a specified year and any other condition to any other effect, may be attached at the time of the grant or renewal of a permit for Transport Vehicle.]

5.11. Permit Entry of Registration Mark on.– (1) Save in the case of a temporary permit, if the registration mark of the vehicle is to be entered on the permit and the applicant is not at the date of application in possession of the vehicle duly registered, the applicant shall within one month of the sanction of the application by the Regional Transport Authority or such longer period as the Authority may specify, produce the certificate of registration of the vehicle before that Authority in order that particulars of the registration mark may be entered in the permit.

(2) No permit shall be issued until the registration mark of the vehicle to which it relates has, if the form of permit so requires, been entered therein and in the applicant failing to produce the certificate of registration within the prescribed period, the Regional Transport Authority may revoke its sanction of the application.

[3][(3) The owner of re-registered vehicle shall produce Part A and Part B of the permit before the Secretary/Additional Secretary, R.T.A. so that the new registration mark can be entered in place of the earlier registration mark entered on it within a period of 30 days from the date of re-registration].

5.12. Permits-Temporary.– (1) A temporary permit may, if the State Transport Authority or a Regional Transport Authority thinks fit, be granted to any person whether he is the registered owner of the vehicle or vehicle to be used thereunder or not.

(2) When, at the time of application for a temporary permit, the applicant is not in possession of the vehicle or has not entered into a contract to hire the vehicle or vehicles or otherwise satisfies the State Transport Authority or Regional Transport Authority that he is for good and sufficient reason unable to specify the registration marks or marks of the vehicle or vehicles to be used under the permit applied for the State Transport Authority or the Regional Transport Authority, as the case may be, it is satisfied that undue inconvenience would otherwise be caused, issue a temporary permit in which the registration mark of the vehicle is not set out, and may, if it thinks fit require as a condition of the permit that the applicant shall, within twenty four hours, or such longer period, as the Authority may specify of the commencement of the first journey under the authorisation of the temporary permit, furnish to the Authority particulars of the registration mark.

---

1. Subs. by G.S.R. 46, dated 4.12.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 4.12.2003). (w.e.f. 4.12.2003).
2. Subs. by G.S.R. 21, dated 26.7.1993 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 27.7.1993). (w.e.f. 27 7.1993).
3. Added by G.S.R. 105, dated 13.3.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 13.3.2003). (w.e.f. 13.3.2003).

[1][(xi) ठेका/माल वाहन के लिये नकद राशि एवं
अस्थायी परमिट के सम्बन्ध में प्ररूप आर.एस. 5.18क में
(xii) विशिष्ट शिक्षा संस्था बस के सम्बन्ध में प्ररूप आर.एस. 5.18ख में।]

(2) अस्थायी परमिट के मामले को छोड़कर, प्रत्येक परमिट दो भाग 'क' और 'ख' में होगा। भाग 'क' ...ल एक प्रति जारी की जायेगी। भाग 'ख' की एक प्रति परमिट द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक यान के बारे में ...की जायेगी और जहां परमिट एक से अधिक यान से सम्बन्धित है, प्रत्येक ऐसी प्रति में परमिट की संख्या के ...त परमिट की संख्या के बाद में कोष्ठक में एक अलग क्रम संख्या दी जायेगी। ऐसी प्रत्येक प्रति ...जारी करने वाले अधिकारी द्वारा और प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होगी।

(3) परमिट-धारक, परमिट के भाग 'क' की सम्बन्धित प्रति या अस्थायी परमिट को, यथास्थिति, एक ...की फ्रेम में या अन्य उपयुक्त पात्र या यान के भीतरी भाग में इस प्रकार लगवायेगा कि यह साफ और ...य दशा में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिये किसी भी समय आसानी से उपलब्ध हो सके।

[2][5.10. **परिवहन यानों के लिये परमिट-शर्तें.**— राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त जारी ...गये किन्हीं सामान्य विनिर्दिष्ट निर्देशों के अनुसरण में इस प्रभाव की शर्त, कि ऐसा मोटर यान, जिसके ...में ऐसा परमिट मंजूर या नवीकृत किया जाता है, किसी विनिर्दिष्ट वर्ष से पूर्व के मॉडल का नहीं ...और किसी भी अन्य प्रभाव की कोई भी अन्य शर्त, परिवहन यान के लिये परमिट मंजूर या नवीकृत ...जाने के समय जोड़ी जा सकेगी।]

5.11. परमिट पर रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह की प्रविष्टि.— (1) किसी अस्थायी परमिट के मामले को ...कर, यदि यान का रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह परमिट पर प्रविष्ट किया जाना है और आवेदन के दिनांक को ...तः रजिस्ट्रीकृत यान आवेदक के कब्जे में नहीं है, तो आवेदक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा ...न की स्वीकृति के एक माह या ऐसी अधिक अवधि के भीतर, जो वह प्राधिकरण बताये, उस प्राधिकरण ...समक्ष रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र पेश करेगा, ताकि रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह का विवरण परमिट में प्रविष्ट ...त) किया जा सके।

(2) कोई परमिट जब तक जारी नहीं किया जायेगा, जब तक कि उससे सम्बन्धित यान का ...स्ट्रीकरण-चिन्ह, यदि परमिट के प्र...न की ऐसी अपेक्षा है, उसमें अंकित नहीं कर दिया गया हो और ...आवेदक निर्धारित अवधि में रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है, तो प्रादेशिक ...हन प्राधिकरण आवेदन की स्वीकृति को प्रतिसंहरित कर सकेगा।

[3][(3) पुनः रजिस्ट्रीकृत यान का स्वामी पुनः रजिस्ट्रीकरण की दिनांक से 30 दिन की कालावधि के ...र परमिट का भाग-क और भाग-ख सचिव/अपर सचिव, प्रा. प. प्रा. के समक्ष प्रस्तुत करेगा ताकि पूर्व प्रविष्ट रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह के स्थान पर उस पर नया रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह प्रविष्ट किया जा सके।]

5.12. अस्थायी परमिट.— (1) यदि राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण उचित समझे, तो एक ...थायी परमिट किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह उस परमिट के अधीन उपयोग में लिये जाने वाले यान या ...नों का रजिस्ट्रीकृत स्वामी है या नहीं, स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) जब, अस्थायी परमिट के लिये आवेदन के समय आवेदक के कब्जे में कोई यान नहीं हो या ...न भाड़े पर लेने की संविदा नहीं की गई हो या वह राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन ...करण का अन्यथा समाधान कर देता हो कि अच्छे और पर्याप्त कारणों से वह आवेदन किये गये परमिट ...अधीन चलाने के लिये यान या यानों के रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह बताने में असमर्थ है, और यदि ...य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अन्यथा असम्यक् असुविधा होगी, तो ...अस्थायी परमिट जारी कर सकेगा, जिसमें यान का रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह अंकित नहीं होगा और यदि ...उचित समझे तो परमिट की एक शर्त लगा सकेगा कि आवेदक अस्थायी परमिट के प्राधिकार के अधीन ...की यात्रा प्रारम्भ करने के चौबीस घण्टे या ऐसी लम्बी अवधि जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, के भीतर ...स्ट्रीकरण चिन्ह का विवरण उस प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

जी.एस.आर. 46, दिनांक 4.12.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 4.12.2003 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया एवं दिनांक 4.12.2003 से लागू किया गया।

जी.एस.आर. 21, दिनांक 26.7.1993 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 27.7.1993 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 27.7.1993 से लागू किया गया।

जी.एस.आर. 105, दिनांक 13.3.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 13.3.2003 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा एवं दिनांक 13.3.2003 से लागू किया गया।

5.13. Permits Extension of Area or validity of.– (1) Subject to the provisions of section 88 of the Act, a Regional Transport Authority which issues a permit (hereinafter referred to as the original Transport Authority) other than a permit in Form R.S. 5.10, or permit in Form R.S. 5.12 may extend the effect of the permit to any other region within Rajasthan and may attach conditions to the permit with effect to such other region and may vary the conditions of the permit in different regions provided always that the vehicle to which the permit in different regions provided always that the vehicle to which the permit refers are normally kept within the region of the Regional Transport Authority and subject to the provisions of the following sub-rules:–

(2) The original Transport Authority may issue a permit having validity in any other region in accordance with any general or special resolution recorded by any other Regional Authority, and any permit so issued shall be of like effect in the region of the other Authority, as if it were issued by that Authority.

(3) Subject to the provisions of sub-rule (2), an original Transport Authority may issue a contract carriage permit with effect in another region or regions, if it attaches a condition to the permit to the effect that the vehicle or vehicles shall only be used beyond the region of the original transport Authority under contract for a return journey commencing and ending within the region of the original Transport Authority and shall not offered for hire outside that region.

(4) The original Transport Authority which issues a permit with effect in any other region shall send a copy of the permit to the Authority of the other region.

(5) Nothing in this rule shall effect the right of the holder of any permit to apply to any Regional Authority for counter signature of a permit.

5.14. Validity of Inter regional permits without countersignature.– An inter regional permit granted by a Regional Transport Authority of any one region shall be valid in any other region of the State without being countersigned by the Regional Transport Authority of the other region.

5.15. National Permit & All India Tourist Permit.– (1) A permit granted by State Transport Authority of any State under sub-section (9) or (12) of section 88 of the Motor Vehicles Act and the holder of the permit has opted the State of Rajasthan and paid the tax or fee in lieu of tax if 'agreed shall be valid without countersignature in the State of Rajasthan :

Provided that the State Transport Authority or the competent authority, as the case may be, of the State granting the permit issued in respect of the vehicle and authorisation under its seal and signature in the form prescribed in sub-rule (2) of rule 83 and sub-rule (2) of rule 87 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989:

Provided that such vehicles carries a valid certificate of fitness, registration certificates and in respect of which all due motor vehicles tax has been paid.

(2) If the authorization is not obtained within the prescribed time, the permit holder is liable to pay Rs. 100/– per month of part thereof for which the default continue in addition to fees in lieu of tax payable.

5.16. Stage carriage regular service.– Every stage carriage shall perform regular service in the manner required by the Transport Authority and shall immediately notify that Authority of any failure to do so, with the reasons thereof, failure without good reason to render the regular service on any prescribed route shall render the permit liable to suspension or cancellation by the Transport Authority.

5.17. Stage Carriages to ply on routes other than those specified in the permit under certain circumstances.– Holder of a permit granted in respect of a stage carriage shall, if so directed by the Authority granting permit (such direction being made in the interest of public safety or in any emergency, use the stage carriage of such route or in such area in the region other than that specified in such permit and during such period and at such timings as may be specified in the directions.

5.18. Power of Attorney.– (1) Operation of a motor vehicle through an attorney shall not be permissible except in the case of permit holder who is:–

5.13. परमिट के क्षेत्र या विधिमान्यता में वृद्धि.— (1) अधिनियम की धारा 88 के उपबन्धों के अध्यधीन राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण जो परमिट जारी करता है (जिसे आगे मूल परिवहन–प्राधिकरण कहा जायेगा), प्ररूप आर.एस. 5.10 में परमिट या प्ररूप आर.एस. 5.12 में परमिट से भिन्न परमिट के प्रभाव को राजस्थान के भीतर किसी भी अन्य प्रदेश तक बढ़ा सकेगा और ऐसे प्रदेश में लागू होने के लिये परमिट पर शर्तें लगा सकेगा और विभिन्न प्रदेशों में परमिट की शर्तों को बदल सकेगा, बशर्ते कि सदैव यान जिनसे वह परमिट सम्बन्धित है साधारणतया मूल परिवहन प्राधिकरण के प्रदेश के भीतर रखे जायें और यह निम्नलिखित उपनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहेंगे:—

(2) मूल परिवहन प्राधिकरण किसी दूसरे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा अभिलिखित किसी सामान्य या विशेष संकल्प के अनुसार कोई परमिट जारी कर सकेगा जो किसी दूसरे प्रदेश में विधिमान्य होगा और इस प्रकार जारी किया गया कोई परमिट दूसरे प्राधिकरण के प्रदेश में वैसे ही प्रभावी होगा, मानो वह उसी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया था।

(3) उप–नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, मूल परिवहन प्राधिकरण ठेका गाड़ी परमिट जारी कर सकेगा जो दूसरे प्रदेश या प्रदेशों में प्रभावी होगा, यदि वह परमिट पर इस आशय की शर्त लगाता है कि यान या यानों का उपयोग केवल मूल परिवहन प्राधिकरण के क्षेत्र के बाहर संविदा के अधीन किया जायेगा, जिसमें वापसी यात्रा मूल परिवहन प्राधिकरण के भीतर आरम्भ और समाप्त होगी और वह उस प्रदेश के बाहर किराये पर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(4) मूल परिवहन प्राधिकरण, जो किसी दूसरे प्रदेश में प्रभावी परमिट जारी करता है, उस परमिट की एक प्रति उस दूसरे प्रदेश के प्राधिकरण को भेजेगा।

(5) इस नियम की कोई भी बात, किसी भी परमिट के धारक के किसी भी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किसी भी परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिये आवेदन करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

5.14. अन्तर-प्रादेशिक परमिटों के बिना प्रतिहस्ताक्षर की विधि-मान्यता.— किसी एक प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अन्तर–प्रादेशिक परमिट राज्य के किसी दूसरे प्रदेश में उस दूसरे प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये बिना विधिमान्य होगा।

5.15. राष्ट्रीय परमिट और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट.— (1) मोटर यान अधिनियम की धारा 88 की उप–धारा (9) या (12) के अधीन किसी राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कोई परमिट राजस्थान राज्य के बिना प्रतिहस्ताक्षर के विधिमान्य होगा, यदि उस परमिट के धारक ने राजस्थान राज्य का विकल्प दिया है और कर का संदाय किया है या कर के बदले कर या फीस का संदाय किया है, यदि ऐसा स्वीकार किया गया था:

परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकरण या राज्य के सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, ने परमिट जारी करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 83 के उप–नियम (2) और नियम 87 के उप–नियम (2) में विहित प्ररूप में अपनी मुहर और हस्ताक्षरों के अधीन प्राधिकार जारी किया हो:

परन्तु ऐसे यान का विधिमान्य उपयुक्तता प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रीकरण–प्रमाण–पत्र साथ में हो और सम्पूर्ण देय मोटर यान कर चुका दिया गया हो।

(2) यदि प्राधिकार निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं किया जाता है, तो परमिट–धारक देय कर के एवज में फीस के अतिरिक्त, रु. 100/– प्रतिमाह या उसके भाग के लिये संदाय करने का दायी होगा, जिसके लिये यह व्यतिक्रम जारी रहता है।

5.16. मंजिली गाड़ी की नियमित सेवा.— प्रत्येक मंजिली गाड़ी को परिवहन प्राधिकरण द्वारा चाहे गये तरीके से नियमित सेवा करनी होगी और ऐसा करने में असफल रहने की सूचना उसके कारणों सहित तुरन्त उस प्राधिकरण को देनी होगी। बिना किसी उचित कारण के निर्धारित मार्ग पर नियमित सेवा देने में असफलता उस परमिट को परिवहन प्राधिकरण द्वारा निलम्बन या रद्दकरण के लिये दायी बनायेगी।

5.17. कुछ परिस्थितियों में परमिट में वर्णित के अलावा अन्य मार्गों पर मंजिली गाड़ी को चलाना— किसी मंजिली गाड़ी के बारे में दिये गये परमिट का धारक, यदि ऐसा करने के लिये परमिट देने वाले प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिया जाये (ऐसा निर्देश लोकहित और लोक सुरक्षा में या किसी आपातकाल में दिया जायेगा), प्रदेश के ऐसे मार्ग या क्षेत्र में, जो ऐसे परमिट में दिये गये से भिन्न है, निदेश में बतायी गयी अवधि और समय पर उस मंजिली गाड़ी का उपयोग कर सकेगा।

5.18. मुख्तारनामा.— (1) किसी मोटर यान का किसी मुख्तार के द्वारा प्रचालन अनुज्ञेय नहीं होगा, सिवाय उस मामले के जिसमें परमिट–धारक:—

(a) a woman.

(b) a minor whose father has died.

(c) a person incapable to manage the operation of the motor vehicle by reason of blindness or other physical or mental infirmity.

(d) prosecuting studies in recognised institution and his age does not exceed 25 years.

(e) under detention or imprisonment.

(2) A motor vehicle would not be operated under a power of attorney unless the permit holder has got the name of the person who is resident of Rajasthan and having his place of business for carrying passengers or goods in Rajasthan, in whose favour the power of attorney has been executed registered and filed a copy thereof in the office of the [1][State Transport Authority/ Regional Transport Authority.] Failure to comply with these conditions shall constitute a valid ground for cancellation of permit.

[2][**5.19. Additional conditions in respect of certain permits:**– (1)The following shall be the additional conditions to every stage carriage permit:–

(i) That there shall be exhibited on the vehicle adequate particulars indi-cating the public place to which and the route by which the vehicle is proceeding;

(ii) that the permit holder, shall not use the stage carriage in public place for the purpose of carrying or intending to carry passengers unless it carries a conductor in addition to. the driver;

(iii) that the vehicle shall be regularly operated on the entire specified route in each journey in accordance with the approved time-table except when prevented by accident temporary unmoterability of the route or any unavoidable cause due to natural calamity.

(iv) if the Regional Transport Authority require the holder of stage carriage permit that the stage carriage or service of carriages in respect of which the permit is granted shall carry mails at such rates as the authority may in consultation with the postal Authorities, fixed in that behalf from time to time.

[1][(v) that the permits shall be subject to the provisions/conditions/as laid down in the Act and rules made there under and also subject to the conditions/directions laid down by the State Transport Authority/Regional Transport Authority, Rajasthan from time to time. Further terms and conditions of specific schemes shall be the additional conditions for the permit granted under the particular scheme;

(vi) while the vehicles on road shall not have any person of the permit holder other than the Driver and Conductor and no person including the conductor shall be on the stairs of a bus or stretching his hand outside the door of the vehicle;

(vii) the driver and conductor to be deployed, shall bear high moral character and shall be courteous and polite to the commuters;

(vii) thé driver/conductor to be deployed in a stage carriages may be required to undergo the test and training as specified by the Transport Commissioner;

(ix) the driver/conductor shall not be appointed or changed without prior intimation to the State Transport Authority/Regional Transport Authority;

---

1. Subs. by G.S.R. 39, dated 26.7.1995 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 26.7.1995).
2. Re-Numbered by Noti. No. F. 7(3) Pari/Rules/H.Q./2005/IV/16885, dt. 31.08.2015, G.S.R. 82 (Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord., Pt. 4(C)(II), dt. 1.9.2015).
3. Added by Noti. No. F. 7(3) Pari/Rules/H.Q./2005/IV/16885, dt. 31.08.2015, G.S.R. 82 (Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord., Pt. 4(C)(II), dt. 1.9.2015).

(क) एक महिला है।
(ख) एक अवयस्क है, जिसका पिता मर गया है।
(ग) एक ऐसा व्यक्ति है, जो अन्धेपन याअन्य शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण मोटर यान के प्रचालन या प्रबंध करने के लिये अक्षम है।
(घ) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययन कर रहा है और उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं है।
(ङ) निरोध या कारावास में है।

(2) कोई मोटर यान किसी मुख्तारनामा के अधीन प्रचालित नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह परमिट–धारक उस मुख्तारनामे को, उस व्यक्ति के नाम जो राजस्थान का निवासी है और उसके यात्री या माल ले जाने के व्यापार का स्थान राजस्थान में है और उसके पक्ष में वह मुख्तारनामा निष्पादित किया गया, को रजिस्टर्ड नहीं करवा ले और उसकी एक प्रति [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] के कार्यालय में प्रस्तुत न कर दे। इन शर्तों की पालना करने में असफलता उस परमिट का रद्दकरण करने के लिये एक विधिमान्य आधार गठित करेगी।

[2][**5.19. कुछ परमिटों के बारे में अतिरिक्त शर्तें.**– (1) प्रत्येक मंजिली गाड़ी के परमिट के लिये निम्नलिखित शर्तें होंगी–

(i) कि यान पर पर्याप्त विवरण यह बताते हुए दर्शित किया जायेगा कि यान किस सार्वजनिक स्थान को और किस मार्ग से जा रहा है;
(ii) कि परमिट–धारक मंजिली गाड़ी का सार्वजनिक स्थान पर यात्रियों को ले जाने या ले जाना चाहने के लिये उपयोग नहीं करेगा, जब तक कि उसमें चालक के अलावा एक परिचालक नहीं हो;
(iii) कि यान को अनुमोदित समय सारणी के अनुसार सम्पूर्ण मार्ग पर प्रत्येक यात्रा में नियमित चलाया जायेगा, सिवाय जब किसी दुर्घटना, मार्ग का अस्थाई रूप से मोटर चलाने के अयोग्य हो जाने या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसी अपरिहार्य कारण से उसे प्रवारित कर दिया गया हो।
(iv) यदि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मंजिली गाड़ी के परमिट–धारक से यह अपेक्षा करे कि मंजिली गाड़ी या गाड़ियों की सेवा जिसके बारे में परमिट दिया गया है, ऐसी दर पर जो डाक प्राधिकारियों के साथ परामर्श के बाद वह प्राधिकरण इस बारे में समय–समय पर नियत करे, डाक ले जायेगा।
[3][(v) कि परमिट अधिनियम और तद्धीन बने नियमों में यथा अधिकथित उपबंधों/शर्तों के अध्यधीन होंगे और राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, राजस्थान द्वारा समय–समय पर अधिकथित शर्तों/निदेशों के अध्यधीन भी होंगे। इसके अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट स्कीमों के निबंधन और शर्तें, विशिष्ट स्कीम के अधीन मंजूर किये गये परमिट के लिये अतिरिक्त शर्तें होंगी।
(vi) जब यान सड़क पर हो, तब ड्राइवर और कण्डक्टर से भिन्न परमिट धारक का कोई व्यक्ति और कण्डक्टर को सम्मिलित करते हुए कोई व्यक्ति बस की सीढ़ियों पर नहीं होंगे या यान के दरवाजे से बाहर अपना हाथ नहीं निकालेंगे;
(vii) अभिनियोजित किये जाने वाले ड्राइवर और कण्डक्टर, उच्च नैतिक चरित्र वाले होंगे और सवारियों के प्रति नम्र और शिष्ट बने रहेंगे;
(viii) मंजिली गाड़ियों में अभिनियोजित किये जाने वाले ड्राइवर/कण्डक्टर से परिवहन आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट परीक्षा और प्रशिक्षण पूरा करने की अपेक्षा की जा सकेगी;
(ix) ड्राइवर/कण्डक्टर, राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को पूर्व सूचना के बिना, नियुक्त या परिवर्तित नहीं किये जायेंगे;

---

1. जी.एस.आर. 39, दिनांक 26.7.1995 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 26.7.1995 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2. अधि.सं. एफ. 7(3) परि/रूल्स/एच.क्यू./2005/IV/16885, दिनांक 31.08.2015 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग-4(ग)(II), दिनांक 1.9.2015 पर प्रकाशित) द्वारा पुनःसंख्यांकित किया गया।
3. उपरोक्त द्वारा नियम 5.19 के उपनियम (1) के खण्ड (v) से (xxiii) तक जोड़ा गया।

(x) the fare shall be charged from passengers at the rates approved by the State Government and tickets shall be issued to the passengers for the fare paid. The tickets so issued shall bear bus number, route, the fare actually charged from the passengers and place of boarding and place of destination of passengers. However that the tickets shall be issued by way of *e-ticketing*. If required by the State Transport Authority/Regional Transport Authority by any vehicle, class of vehicle of stage carriages;

(xi) passengers shall not be carried in excess of the registered seating and standing capacity of the bus;

(xii) not more than 15 kgs of luggage and personal effects for each passenger shall be carried in any stage in the bus free of cost;

(xiii) it shall be ensured that goods shall be of such a nature and shall be so packed and secured on the bus as no danger, inconvenience or discomfort is caused to the passengers;

(xiv) the buses with stage carriage permits shall not be utilized for any other purpose except with the prior approval of the State Transport Authority;

(xv) all statutory obligations under labour laws and any enactments for behalf or employees of the operator shall be scrupulously observed by the permit holder;

(xvi) that the crew (driver and conductor) wherever applicable shall assist and extend all possible help to disabled persons trying to board in and out of bus. Further, in case driver or conductor fails to stop the bus to allow a disabled person to board at the designated bus stop or fails/refuses to assist the disabled person(s) to board the bus, they shall liable for action under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 and permit may be suspended or cancelled by the State Transport Authority;

(xvii) Global Positioning System (GPS) of the specifications as specified by the Transport Commissioner shall be installed in such vehicles, on such date and in a manner as directed by Transport Commissioner. It shall be ensured by the owner of the stage carriage that the GPS thus installed, is kept in working condition at all time;

(xviii) in case an incident of incident behavior, molestation or eve teasing etc. against any woman takes place in any bus which tantamount to outraging her modesty, it shall be the duty of the crew of the bus (i.e. driver and conductor) to inform the police immediately and take the bus to the nearest police station/police post/PCR van and hand over the culprit to the police;

(xix) the vehicle shall not be fitted with curtains or glasses having films further. In case of the tinted glasses of windscreen, rear window and side windows provided by the manufacturer they shall be maintained in such conditions as prescribed under sub-Rule (2) of Rule 100 of the Central Motor Vehicles Rules. 1989 and judgment of the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 265 of 2011 dt. 27.4.2012;

(xx) the vehicle shall have sufficient internal white lighting. Activities inside the vehicle should be visible from outside whenever the vehicle is playing on road during the day or night;

(xxi) details of the driver and conductor (i.e. name, address, license number, badge number) and telephone/mobile number of the owner of the vehicle, transport and police helpline number and registration number of the vehicle shall be displayed at a conspicuous place inside the vehicle in contrast colour, so as to be clearly visible to all passengers in the vehicle;

(xxii) all off duty vehicles shall be parked with the owners and not with the driver or other staff members; and

(xxiii) the permit holder shall ensure that his/her vehicle has at least twenty five percent seats reserved for women, two seats reserved for senior citizens/disabled persons on the conductor side towards front gate. The seats reserved so shall also be marked accordingly. The conductor of the vehicle shall ensure the occupancy of these seats by the above said reserved passengers.]

(x) यात्रियों से किराया राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर प्रभारित किया जायेगा और संदत्त किराये के लिये यात्रियों को टिकट जारी किये जायेंगे। इस प्रकार जारी किये गये टिकटों पर बस नम्बर, मार्ग, यात्रियों से वास्तविक रूप से प्रभारित किया गया किराया और यात्रियों के चढ़ने का स्थान और गंतव्य स्थान अंकित होगा। तथापि, यदि राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा किसी यान, मंजिली गाड़ियों के यानों के वर्ग से अपेक्षा की जाती है तो, टिकट ई–टिकटिंग के माध्यम से जारी किये जायेंगे;

(xi) बस की रजिस्ट्रीकृत बैठने और खड़े रहने की क्षमता से अधिक यात्री नहीं ले जाये जायेंगे;

(xii) किसी भी अवस्था में प्रत्येक यात्री 15 किलोग्राम से अधिक सामान और व्यक्तिगत चीजबस्त मुफ्त में बस में नहीं ले जा सकेगा;

(xiii) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बस पर माल इस प्रकृति का हो और इस प्रकार पैक और सुरक्षित किया गया हो जिससे यात्रियों को संकट, असुविधा या परेशानी कारित न हो;

(xiv) मंजिली गाड़ी परमिट वाली बसें राज्य परिवहन प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग में नहीं ली जायेगी;

(xv) प्रचालक के कर्मचारियों के फायदे के लिये श्रम विधियों और अन्य अधिनियमितियों के अधीन समस्त कानूनी दायित्वों का परमिटधारक द्वारा निष्ठा से पालन किया जायेगा;

(xvi) यह कि कर्मीदल (ड्राइवर और कण्डक्टर), जहां कहीं लागू हों, निःशक्त व्यक्तियों की बस में चढ़ने में और उतरने में हरसंभव सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त, यदि ड्राइवर या कण्डक्टर निर्दिष्ट बस स्टाप पर किसी निःशक्त व्यक्ति को चढ़ने के लिये बस को रोकने में असफल रहता है या बस में चढ़ने में निःशक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) की सहायता करने से इंकार करता है/असफल रहता है तो वे निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन कार्रवाही के लिये दायी होंगे और उनका परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निलम्बित या रद्द किया जा सकेगा;

(xvii) परिवहन आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विनिर्देशों के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) को ऐसे यानों में, ऐसी तारीख से और ऐसी रीति में स्थापित किया जायेगा जैसा परिवहन आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जाये। संविदा गाड़ी के स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रकार स्थापित जीपीएस सदैव चालू हालत में रखा गया है;

(xviii) यदि किसी भी बस में किसी महिला के विरुद्ध अभद्र व्यवहार, उत्पीड़न या छेड़खानी इत्यादि की कोई घटना, जो कि उसकी लज्जा भंग करने के समान हो, घटित होती है तो बस के कर्मीदल (जैसे ड्राइवर और कण्डक्टर) का यह कर्तव्य होगा कि तुरन्त पुलिस को इसकी सूचना दे और बस को निकटतम पुलिस थाना/पुलिस चौकी/पीसीआर वैन के पास ले जाये और अपराधी को पुलिस को सौंप दे;

(xix) यान में पर्दे या फिल्म लगे हुए कांच नहीं लगाये जायेंगे। विनिर्माता द्वारा उपलब्ध कराये गये विंडस्क्रीन, पिछली खिड़की और बगल की खिड़की के रंगदार कांचों की स्थिति में, वे केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 100 के उपनियम (2) और रिट याचिका (सिविल) सं. 265/2011, दिनांक 27 अप्रैल, 2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन यथाविहित स्थिति में संधारित किये जायेंगे;

(xx) यान में पर्याप्त आन्तरिक सफेद रोशनी होगी। यान के भीतर के क्रियाकलाप, जब भी यान दिन या रात्रि के दौरान सड़क पर चल रहा हो, बाहर की तरफ से दृश्यमान होने चाहिये;

(xxi) ड्राइवर और कण्डक्टर के ब्यौरे (जैसे नाम, पता, अनुज्ञप्ति संख्यांक, बैच संख्यांक) और यान के स्वामी के दूरभाष/मोबाइल नम्बर, परिवहन और पुलिस हैल्पलाईन नम्बर और यान का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक यान के भीतर सहजदृश्य स्थान पर भिन्न रंग में प्रदर्शित होंगे, जिससे ये यान के सभी यात्रियों को स्पष्टतः दृश्यमान हों;

(xxii) समस्त यान जो ड्यूटी पर नहीं हैं स्वामियों के पास पार्क किये जायेंगे ड्राइवरों या अन्य स्टाफ के सदस्यों के पास नहीं; और

(xxiii) परमिटधारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके यान में कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित हों, अगले द्वार की ओर कण्डक्टर की तरफ दो सीटें वरिष्ठ नागरिकों/निःशक्त व्यक्तियों के लिये आरक्षित हों। इस प्रकार आरक्षित सीटें तद्नुसार चिन्हित भी की जायेंगी। यान का कण्डक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि इन सीटों का अधिभोग उपर्युक्त कथित आरक्षित यात्रियों द्वारा किया जा रहा है।]

(2) **A permit in respect of Contract Carriage shall have the following conditions.**–

(i) that no driver authorised to drive the public service vehicle shall drive vehicle without written authorisation by the permit holder, if he is not himself a permit holder. He should also produce such authority, on demand by the concerned officers who empowered to check the permit.

(ii) that the number of persons to be carried in the vehicle shall not exceed the number which may be specified in the registration certificate or the permit.

(iii) that in case of a contract carriage, having seating capacity more than 12 in all, the vehicle shall carry a list of passengers travelling therein in the following form in respect of each trip and such list shall on demand be produced before the officer of the Transport Department not below the tank of Motor Vehicle Sub-Inspector.

[1][(iv) that the permits shall be subject to the provisions/conditions as laid down in the Act and rules made there under and also subject to the conditions/directions laid down by the State Transport Authority/Regional Transport Authority, Rajasthan from time to time. Further, terms and conditions of specific schemes shall be the additional conditions for the permit granted under the particular scheme;

(v) that the crew (driver and conductor) wherever applicable shall assist and extend all possible help to disabled persons trying to board in and out of bus. Further, in case driver or conductor fails to stop the bus to allow a disabled person to board at the designated bus stop or fails/refuses to assist the disabled person(s) to board the bus, they shall liable for action under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 and permit may be suspended or cancelled by the State Transport Authority;

(vi) in case an incident of indecent behavior, molestation or eve testing etc. against any woman takes place in any bus which tantamount to outranging her modesty, it shall be the duty of the crew of the bus (i.e. driver and conductor) to inform the police immediately and take the bus to the nearest police station/police post/PCR van and hand over the culprit to the police;

(vii) Global Positioning System (GPS) of the specification as specified by the Transport Commissioner shall be installed in such vehicles, on such date and in a manner as directed by Transport Commissioner. It shall be ensured by the owner of the contract carriage that the GPS thus installed, is kept in working condition at all time;

(viii) the vehicle shall not be fitted with curtains or glasses having films further. In case of the tinted glasses of windscreen, rear window and side windows provided by the manufacturer they shall be maintained in such conditions as prescribed under sub-rule (2) of Rule 100 of the Central Motor Vehicles Rules. 1989 and judgment of the hon'able Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 265 of 2011 dt 27.4.2012;

(ix) the vehicle shall have sufficient internal white lighting. Activities inside the vehicle should be visible from outside whenever the vehicle is plying on road during the day or night;

(x) details of the driver and conductor (i.e. name, address, license number, badge number) and telephone/mobile number of the owner of the vehicle transport and police helpline number and registration number of the vehicle shall be displayed at a conspicuous place inside the vehicle in contrast colour, so as to be clearly visible to all passengers in the vehicle; and

(xi) all of duty vehicles shall be parked with the owners and not with the drivers or other staff members.]

---

1. Added by Noti. No. F. 7(3) Pari/Rules/H.Q./2005/IV/16885, dt. 31.08.2015, G.S.R. 82 (Pub. in Raj. Gaz. Ex.-Ord., Pt. 4(C)(II), dt. 1.9.2015)

(2) **ठेका गाड़ी सम्बन्धी परमिट में निम्नांकित शर्तें होंगी.**—

(i) कि कोई चालक जिसे सार्वजनिक सेवा यान चलाने के लिये प्राधिकृत किया गया है, परमिट–धारक द्वारा लिखित प्राधिकार दिये बिना यान को नहीं चलायेगा, यदि वह स्वयं परमिट–धारक नहीं है। उसे परमिट की जांच करने के लिये सशक्त सम्बन्धित अधिकारियों की मांग पर ऐसा प्राधिकार भी प्रस्तुत करना चाहिये।

(ii) यान में ले जाये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या उस संख्या से अधिक नहीं होगी जो रजिस्ट्रीकरण–प्रमाण–पत्र या परमिट में दी गई है।

(iii) किसी ठेका गाड़ी के मामले में, जिसकी बैठक क्षमता कुल मिलाकर 12 से अधिक है, यान में निम्नलिखित प्ररूप में उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों की सूची प्रत्येक यात्रा के लिये ले जाई जायेगी और ऐसी सूची को परिवहन विभाग के अधिकारी के सामने, जो मोटर यान उप–निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, मांगने पर पेश की जायेगी:—

[1][(iv) यह कि परमिट अधिनियम और तद्धीन बने नियमों में यथा अधिकथित उपबंधों/शर्तों के अध्यधीन होंगे और राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, राजस्थान द्वारा समय–समय पर अधिकथित शर्तों/निदेशों के अध्यधीन भी होंगे। इसके अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट स्कीमों के निबंधन और शर्तें, विशिष्ट स्कीम के अधीन मंजूर किये गये परमिट के लिये अतिरिक्त शर्तें होंगी;

(v) यह कि कर्मीदल (ड्राइवर और कण्डक्टर), जहां कहीं लागू हों, निःशक्त व्यक्तियों की बस में चढ़ने में और उतरने में हरसंभव सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त, यदि ड्राइवर या कण्डक्टर निर्दिष्ट बस स्टाप पर किसी निःशक्त व्यक्ति को चढ़ने के लिये बस को रोकने में असफल रहता है या बस में चढ़ने में निःशक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) की सहायता करने से इंकार करता है/असफल रहता है तो वे निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन कार्रवाही के लिये दायी होंगे और उनका परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निलम्बित या रद्द किया जा सकेगा;

(vi) यदि किसी भी बस में किसी महिला के विरुद्ध अभद्र व्यवहार, उत्पीड़न या छेड़खानी इत्यादि की कोई घटना, जो कि उसकी लज्जा भंग करने के समान हो, घटित होती है तो बस के कर्मीदल (जैसे ड्राइवर और कण्डक्टर) का यह कर्तव्य होगा कि तुरन्त पुलिस को इसकी सूचना दे और बस को निकटतम पुलिस थाना/पुलिस चौकी/पीसीआर वैन के पास ले जाये और अपराधी को पुलिस को सौंप दे;

(vii) परिवहन आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विनिर्देशों के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) को ऐसे यानों में, ऐसी तारीख से और ऐसी रीति में स्थापित किया जायेगा जैसा परिवहन आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जाये। संविदा गाड़ी के स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रकार स्थापित जीपीएस सदैव चालू हालत में रखा गया है;

(viii) यान में पर्दे या फिल्म लगे हुए कांच नहीं लगाये जायेंगे। विनिर्माता द्वारा उपलब्ध कराये गये विंडस्क्रीन, पिछली खिड़की और बगल की खिड़की के रंगदार कांचों की स्थिति में, वे केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 100 के उपनियम (2) और रिट याचिका (सिविल) सं. 265/2011, दिनांक 27 अप्रैल, 2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन यथाविहित स्थिति में संधारित किये जायेंगे;

(ix) यान में पर्याप्त आन्तरिक सफेद रोशनी होगी। यान के भीतर के क्रियाकलाप, जब कभी यान दिन या रात्रि के दौरान सड़क पर चल रहा हो, बाहर की तरफ से दृश्यमान होने चाहिये;

(x) ड्राइवर और कण्डक्टर के ब्यौरे (जैसे नाम, पता, अनुज्ञप्ति संख्यांक, बैच संख्यांक) और यान के स्वामी के दूरभाष/मोबाइल नम्बर, परिवहन और पुलिस हैल्पलाईन नम्बर और यान का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक यान के भीतर सहजदृश्य स्थान पर भिन्न रंग में प्रदर्शित होंगे, जिससे ये यान के सभी यात्रियों को स्पष्टतः दृश्यमान हों; और

(xi) समस्त यान जो ड्यूटी पर नहीं है स्वामियों के पास पार्क किये जायेंगे ड्राइवरों या अन्य स्टाफ के सदस्यों के पास नहीं।]

---

1. **अधि.सं. एफ. 7(3) परि/रूल्स/एच.क्यू./2005/IV/16885, दिनांक 31.08.2015 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग-4(ग)(II), दिनांक 1.9.2015 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया।**

LIST OF PASSENGERS

Motor Vehicle No. ....Date..............20.......... Time of Departure........................
From..to ....

S.No.	Name of Passenger	Father/Husband's Name	Age	Address
1	2	3	4	5

(3) A permit in respect of a Public Service vehicle may be subject to the condition that its holder shall make provisions of such vehicle for the convenience of reasonable quantity of passengers luggage with sufficient means for securing it and protecting it against rains.

(4) **A permit in respect of goods vehicle shall have the following conditions–**

(i) That the vehicle shall not be used for the convenience of any class or description of goods in contravention of any law or any rule or any order made thereunder prohibiting or regulating import and export or transport of such goods.

(ii) That the number of persons to be carried in the vehicle shall not exceed the number which may be specified in the certificate of registration or the permit;

(iii) it shall not carry weight more than allowed in the registration certificate or the permit;

(iv) they shall not obstruct (restrict) any permit holder to take goods on any condition and shall not take part in monopolitics trade practice;

(v) if the holder of the permit is collecting or forwarding or distributing agent, he shall have the licence under Rule 5.77.

[1][(vi) that the vehicle to which permit relates carries valid certificate of fitness, Registration Certificate, part A and B of permit and a receipt of tax/token as a proof of tax deposition:

Provided that the permit holder may opt to carry a 'composite Certificate' in prescribed form in lieu of above mentioned documents on payment of such fees and in such manner as notified by the State Government.]

[2][(4A) **A permit in respect of educational institution vehicle shall have the following conditions:–**

(i) that the Educational Institution Bus having seating capacity more than 9 excluding driver shall be painted in golden yellow on the exterior.

(ii) that the name and address of the Educational Institute shall be painted or otherwise firmly affixed to every vehicle to which the permit relates on the exterior of the body of that vehicle on both sides thereof in a colour vividly contrasing to the colour of the vehicle centered as high as practicable below the window line in bold letters.

(iii) that the vehicle shall not be driven in a public place except by a driver holding not less than five years old driving licence with authorisation to drive the public service vehicle and duly authorised by the permit holder in writing. An authorisation (with photo of the driver affixed)under Bal vahini Scheme shall be issued to the driver and which authorisation shall be carried by the driver when driving and produce on demand by any Police Officer or the officers of the Transport Department not below the rank of Motor Vehicle Sub-Inspector,

(iv) that the number of students to be carried in the vehicle shell not exceed one and half times the number of which are specified in the registration certificate,

---

1. Ins. by S.O. 396, dated 28.2.2004 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 28.2.2004). (w.e.f. 28.2.2004).
2. Added by G.S.R. 46, dated 4.12.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 4.12.2003). (w.e.f. 4.12.2003).

यात्रियों की सूची

बस सं. .... दिनांक...............20........... रवानगी का समय ....

....से .... को

यात्री का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	पता
2	3	4	5

) किसी सार्वजनिक सेवा यान के बारे में परमिट इस शर्त के अध्यधीन हो सकेगा कि इसका धारक युक्तियुक्त मात्रा में यात्रियों का सामान ले जाने की मय उसे बांधने के पर्याप्त साधनों की और से बचाने की व्यवस्था करेगा।

) किसी माल यान के परमिट में निम्नलिखित शर्तें होंगी:–

) कि यान का उपयोग किसी ऐसी श्रेणी या विवरण के माल का वहन करने के लिये नहीं किया जायेगा, जो किसी विधि या उसके अधीन बने किसी नियम या आदेश जो ऐसे माल के आयात और निर्यात या परिवहन को प्रतिबंधित या विनियमित करते हैं, का उल्लंघन हो;

(ii) कि यान में वहन किये जा रहे व्यक्तियों की संख्या उस संख्या से अधिक नहीं होगी, जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र या परमिट में दी गई है;

(iii) यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र या परमिट में अनुज्ञेय से अधिक भार नहीं ले जायेगा;

(iv) वे किसी परमिट–धारक को किसी शर्त पर माल लेने से मना नहीं करेंगे और किसी एकाधिकार व्यापार प्रथा में भाग नहीं लेंगे;

(v) यदि परमिट–धारक संग्रहकर्त्ता या प्रेषणकर्त्ता या वितरणकर्त्ता एजेन्ट है, तो वह नियम 5.77 के अधीन लाइसेंस प्राप्त करेगा;

[1][(vi) कि यान, जिससे परमिट संबंधित है, के साथ उपयुक्तता प्रमाण–पत्र, रजिस्ट्रीकरण–प्रमाण–पत्र, परमिट का भाग–क और ख तथा कर जमा कराने के सबूत के रूप में कर/टोकन की रसीद होगी:

परन्तु परमिट–धारक, ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के एवज में कम्पोजिट प्रमाण–पत्र, ऐसी फीस के पर और ऐसी रीति से जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, ले जाने का विकल्प दे सकेगा।]

[2][(4क) शिक्षा संस्था यान के सम्बन्ध में किसी परमिट की निम्नलिखित शर्तें होंगी:–

(i) कि ड्राइवर को अपवर्जित करते हुए 9 से अधिक सीट क्षमता वाली शिक्षा संस्था बस के बाहरी भाग पर सुनहरी पीला पेन्ट किया जायेगा।

(ii) कि शिक्षा संस्था का नाम और पता, जिससे परमिट संबंधित है, प्रत्येक यान पर, उस यान की बॉडी के बाहरी भाग पर उसके दोनों और खिड़की रेखा के नीचे यावत्साध्य मध्य में यान के रंग से स्पष्टतया सुभिन्न रंग में मोटे अक्षरों में पेन्ट किया जायेगा या दृढ़ता से चिपकाया जायेगा;

) कि यान किसी सार्वजनिक स्थान में पांच वर्ष से अन्यून पुरानी चालन अनुज्ञप्ति रखने वाले ऐसे ड्राइवर के सिवाय नहीं चलाया जायेगा, जिसके पास सार्वजनिक सेवा यान चलाने का प्राधिकार हो और जो परमिट–धारक द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो। बाल वाहिनी स्कीम के अधीन प्राधिकार (जिस पर ड्राइवर का फोटो चिपका हो) ड्राइवर को जारी किया जायेगा और वह प्राधिकार ड्राइवर द्वारा चालन के समय अपने पास रखा जायेगा और किसी पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के किसी अधिकारी, जो मोटर यान उप–निरीक्षक से नीचे की रैंक का न हो, द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जायेगा;

(iv) यान में विहित किये जाने वाले छात्रों की संख्या उस संख्या के डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होगी, जो रजिस्ट्रीकरण–प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट हैं;

... 396, दिनांक 28.2.2004 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 28.2.2004 पर ...) द्वारा जोड़ा एवं 28.2.2004 से लागू किया गया।

... 46, दिनांक 4.12.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 4.12.2003 पर ... द्वारा जोड़ा गया एवं दिनांक 4.12.2003 से लागू किया गया।

(v) that window bars should be fitted in such a manner that the gap at any given point should not exceed 200 mm vertically.

(vi) that water bottle and Bag racks shall be provided in the vehicle.

(vii) that there shall be an attendent in the bus to assist students in alighting or boarding the bus.

(viii) that the First Aid Box shall be kept in the Educational Institution Bus for students in the case of accident and emergency.

(ix) driver of an Educational Institution Bus shall be clearly dressed in the following uniform:–

(a) Khaki bushirt or coat with four pocket with flaps.

(b) khaki full pant.

(c) khaki peak cap with black peak of khaki turban.]

[1][(4B) The permit of omnibus other than educational institution bus whether on contract or not with educational institution carrying students on regular basis or intermittently, shall have the same additional conditions as specified under clause (iii) to (ix) of sub-rule (4A) of rule 5.19 for the permit of an educational institution vehicle. Plate written with **"School/College Bus"** shall be firmly affixed below window line in front and rear of such omnibus, while carrying students.]

(5) It shall be a condition of a permit that all the taxes shall be paid regularly. Non payment or late payment tax under the Rajasthan Motor Vehicle Taxation Act, 1951, of the vehicle specified in the permit shall be a valid ground for cancellation or suspension of permit or refusal of renewal of permit. In case of suspension, the payment of all the taxes shall also automatically revoke the order of suspension.

5.20. Carriage of Animal in goods Vehicle.–(1) No cattle shall be carried in a goods vehicle in a public place unless (i) in the case of goat, sheep, deer or pig–

(a) a minimum floor space of [2][0.15 square meter] per head of such cattle is provided in the vehicle;

(b) proper arrangements for ventilation are made, and

(c) if carried in a double decked goods vehicle–

(1) The upper deck flooring is covered with metal sheets with a minimum height of 7.62 cms. raised on all four sides so as to prevent the animal waste matter such as urine, litter etc. falling on the animals on the lower deck;

(2) proper arrangements for drainage are made on each floor ; and

(3) wooden battens are provided on each floor to prevent slipping of hoofs of the animals.

(ii) **in the case of any other cattle.**–

(a) a minimum floor space of (2m x 1m) per head of cattle and half of such floor space for a young one of cattle which is weaned is provided in the vehicle;

(b) the load body of the vehicle is constructed of strong wooden planks or of iron sheets with a minimum height of (1.5meters) measured from the floor of the vehicle on all sides and the back;

(c) floor battens are provided to prevent slipping of hoofs;

(d) every projection likely to cause suffering to an animal is removed; and

(e) the cattle are properly secured by ropes tied to the sides of the vehicle.

Explanation.– "Cattle" for the purposes of this sub-rule includes goat, sheep, buffalo, bull, ox, cow, deer, horse, pony, mule, ass, pig, or the young ones thereof.

(2) No animal belonging to or intended for a circus, menageric or zoo shall be carried in a goods vehicle in a public place unless:–

---

1. Added by Noti. No. F. 7(139)/Pari/Rules/HQ/2007, dated 29.11.2007.
2. Subs. by G.S.R. 45, dated 2.12.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 2.12.2003). (w.e.f. 2.12.2003).

(v) कि खिड़की शलाकाएं ऐसी रीति से लगायी जायेंगी कि किसी दिये हुए बिन्दु पर उनकी दूरी उर्ध्वाधर दिशा में 200 मि.मी. से अधिक नहीं होना चाहिये;

(vi) कि यान में पानी बोतल और स्कूल बैग रैकें उपलब्ध करायी जायेंगी;

(vii) कि बस में छात्रों को उतरने या चढ़ने में सहायता के लिये एक परिचालक होगा;

(viii) कि दुर्घटना और आपात की स्थिति में छात्रों के लिये शिक्षा संस्था की बस में प्राथमिक उपचार बक्सा रखा जायेगा;

(ix) किसी शिक्षा संस्था बस का ड्राइवर निम्नलिखित स्वच्छ वर्दी पहनेगा:—

(क) फ्लैपों सहित चार पॉकेट वाली खाकी बुशर्ट या कोट।

(ख) खाकी फुल पेंट।

(ग) काली मोक वाली खाकी नोकदार टोपी या खाकी साफा।]

[1][(4B) नियमित रूप से या आंतरायिक रूप से छात्रों को ले जा रही शैक्षणिक संस्था बस से भिन्न कोई ओमनीबस, चाहे शैक्षणिक संस्था से अनुबंधित हो या नहीं, के परमिट की वे ही अतिरिक्त शर्तें होंगी जो किसी शैक्षणिक संस्था यान के परमिट के लिये नियम 5.19 के उपनियम (4क) के खण्ड (iii) से (ix) के अधीन विनिर्दिष्ट है। छात्रों को ले जाते समय "**स्कूल/कालेज बस**" लिखित प्लेट ऐसी ओमनीबस के विंडो लाइन के नीचे सामने और पीछे की ओर मजबूती से लगायी जायेगी।]

(5) किसी परमिट की यह शर्त होगी कि सभी करों का नियमित संदाय किया जायेगा। राजस्थान मोटर यान करारोपण अधिनियम, 1951 के अधीन परमिट में वर्णित यानों के कर का भुगतान नहीं करना या देरी से भुगतान करना परमिट के निलम्बन या रद्दकरण या परमिट के नवीकरण से इन्कार करने का एक विधिमान्य आधार होगा। निलम्बन के मामले में, सारे करों का भुगतान करना निलम्बन के आदेश को स्वतः वापस लेना भी होगा।

5.20. माल यान में पशुओं का वहन.— (1) किसी माल यान में सार्वजनिक स्थान में पशु नहीं ले जाये जायेंगे, जब तक कि—

(i) बकरी, भेड़, हरिण या सुअर के मामले में—

(क) यान में प्रति पशु कम से कम [2][0.15] वर्गमीटर, आंगन—स्थान की व्यवस्था हो;

(ख) वायु आने—जाने के लिये उचित व्यवस्था की गई हो, और

(ग) यदि दो मंजिली (डबल डैक) माल यान नें ले जाये जायें—

(1) ऊपर की मंजिल का आंगन कम से कम 7.62 से.मी. ऊंचाई पर चारों ओर से उठाया गया हो और धातु चद्दरों से ढका हो, ताकि नीचे की मंजिल के पशुओं पर ऊपर से पशुओं के मलमूत्रादि को गिरने से रोका जा सके।

(2) प्रत्येक मंजिल पर निकास नालियों के लिये उचित व्यवस्था की गई हो, और

(3) प्रत्येक मंजिल के आंगन पर लकड़ी के फण्टे लगाये गये हों, ताकि जानवरों के खुर फिसलने से बच सकें।

(ii) अन्य किसी पशु के मामले में—

(क) यान में प्रत्येक पशु के लिये कम से कम (2 मी. x 1 मी.) आंगन—स्थान और छोटे पशु के लिये ऐसे आंगन स्थान का आधा देने की व्यवस्था हो;

(ख) यान की भारवाहक बॉडी मजबूत लकड़ी के तख्तां या लोहे की चादरों से कम से कम (1.5 मीटर) की ऊंचाई की बनाई गई हो, जो यान के आंगन से मापी जाये और यान के सभी ओर और पीछे भी बनाई गई हो;

(ग) खुरों को फिसलने से बचाने के लिये लकड़ी के फण्टों की व्यवस्था की गई हो;

(घ) प्रत्येक ऐसे बाहर निकले भाग को जो किसी पशु को कष्ट कारित करने की संभावना वाला हो, हटा दिया गया हो, और

(ङ) पशुओं को यान की बाजुओं से रस्सों से बांधकर उचित रूप से सुरक्षित कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण— इस उपनियम के प्रयोजनार्थ "पशु" में बकरी, भेड़, भैंस, सांड, बैल, गाय, हरिण, घोड़ा, गधा, खच्चर, सुअर या उनके बच्चे सम्मिलित हैं।

(2) कोई पशु जो किसी सर्कस, पशु प्रदर्शन या पशु शाला से सम्बन्धित है, किसी मालयान में सार्वजनिक स्थान पर वहन नहीं किया जायेगा, जब तक कि :—

---

1. अधि.सं.एफ. 7(139) परि/रूल्स/एच.क्यू./2007,दिनांक 29.11.2007 द्वारा जोड़ा गया।
2. जी.एस.आर. 45, दिनांक 2.12.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग—4(ग)(1), दिनांक 2.12.2003 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित एवं 2.12.2003 से लागू किया गया।

(i) in the case of a wild or ferocious animal, a suitable cage, either separate from or integral with the load body of the vehicle used of sufficient strength to contain the animal securely at all times is provided; and

(ii) reasonable floor space for each animal is provided in the vehicle.

(3) No goods vehicle when carrying any cattle under sub-rule(1) or any animal under sub-rule (2) shall be driven at a speed in excess of (24 kms. per hour).

5.21. Carry of goods on Stage Carriages.– (1) No goods shall be carried on the top deck of the double decked stage carriage .

(2) Subject to provision of sub- rule (2) of rule 5.24 luggage may be carried on the roof of a stage carriage or in boot, locked or compartment set-aside for the purpose, but where it is so carried on roof adequate-protection in the form of Guard rail shall be provided.

(3) No luggage shall be carried on a stage carriage in such a way so as to block any entrance or exit.

(4) Where holder of the stage carriage permit uses the vehicle authorised by the permit for the carriage of goods to the detriment of the public convenience by failing thereby to meet the demand for passenger transport, the Regional Transport Authority may after giving the holder an opportunity of being heard, declare that a breach of the conditions of the permit as occurred and may, thereafter, proceed under the provision of Section 86 of the Act.

(5) Subject to provision of sub-rule (2) of Rule 5.22 goods may be carried in a stage carriage at any time in accordance with the conditions specified in the permit:

(6) Where goods are carried in a stage carriage in addition to passenger, the goods shall be of such nature and shall be so packed and secured on the vehicle that no danger, inconvenience or discomfort is caused to any passenger. Such number of seats may be specified in the permit which shall be kept free and unimpeded for the use of passenger and the access to the entrance to the exist from, the vehicle required under Chapter VII of these rule, shall be under unobstructed.

(7) the weight in kilograms of the goods carried on a stage carriage shall not exceed (N-X) X 68 where in relation to a single deck stage carriage or to thew lower deck double decked stage carriage.

N– is the Registered passenger seating capacity of the vehicle, and

X– is the number of passengers carried on the vehicle or the number of passengers for whom seats are kept free and unimpeded by the goods whichever is greater.

5.22. Carriage of Goods on contract carriage prohibited.– The Regional Transport Authority may authorise the use of contract carriage for the carriage of goods used for:

(a) special reasons on particular occasions and subject to condition and restrictions to be specified on the permit, or

(i) किसी अन्य पशु या खतरनाक पशु के मामले में एक उपयुक्त पिंजरे की व्यवस्था न कर दी गई हो, जो या तो अलग से हो या यान की भारवाहक बॉडी में बना हो और पर्याप्त शक्ति का हो, जो उस पशु को सब समय सुरक्षा से रख सके; और

(ii) यान में प्रत्येक पशु के लिये समुचित आंगन स्थान की व्यवस्था हो।

(3) कोई माल यान, जब उसमें उप-नियम (1) के अधीन कोई पशु या उप-नियम (2) के अधीन पशु ले जाया जा रहा हो, तो वह 24 किलोमीटर प्रति घण्टा से अधिक गति से नहीं चलाया जायेगा।

5.21. **मंजिली गाड़ी पर माल ले जाना.**— (1) दो मंजिली गाड़ी के ऊपर की मंजिल पर कोई माल नहीं ले जाया जायेगा।

(2) नियम 5.24 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, मंजिली गाड़ी की छत पर या तालायुक्त और इस प्रयोजन से अलग रखे कम्पार्टमेंट में यात्री का सामान ले जाया जा सकेगा, परन्तु जहां यह इस प्रकार छत पर ले जाया जाता है, तो रक्षक-जाली के द्वारा उसकी पर्याप्त सुरक्षा की जायेगी।

(3) किसी मंजिली गाड़ी में कोई सामान इस प्रकार नहीं ले जाया जायेगा कि वह किसी प्रवेश या बाहर जाने के मार्ग को रोके।

(4) जहां कोई मंजिली गाड़ी का परमिट-धारक परमिट द्वारा प्राधिकृत यान को जन सुविधा को हानि पहुंचाते हुए माल का वहन करता है और उसके द्वारा यात्री यातायात की मांग पूरी करने में असफल रहता है, तो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, उस धारक को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद, यह घोषणा कर सकेगा कि परमिट की शर्तों का भंग हुआ है और इसके बाद अधिनियम की धारा 86 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही कर सकेगा।

(5) नियम 5.22 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, किसी मंजिली गाड़ी में किसी भी समय परमिट में दी गई शर्तों के अनुसार माल ले जाया जा सकता है:

परन्तु धारक का परमिट की शर्तों के अनुसार यात्रियों को ले जाने का दायित्व पूरा हो गया है।

(6) जहां किसी मंजिली गाड़ी में यात्रियों के अलावा माल ले जाया जाता है, तो वह इस प्रकार रखा होगा और इस प्रकार बांधा जायेगा और यान पर सुरक्षित रखा जायेगा कि किसी यात्री को कोई खतरा, असुविधा या कष्ट कारित न हो। परमिट में बैठकों की ऐसी संख्या बताई जा सकेगी, जो यात्रियों के लिये खुली और सामान रहित रखी जायेगी और प्रवेश करने तथा बाहर जाने का रास्ता जो इन नियमों के अध्याय VII के अधीन किसी यान में होना चाहिए, बिना रुकावट के रखा जायेगा।

(7) एकल मंजिल की मंजिली गाड़ी में या दोहरी मंजिल वाली दुमंजिली गाड़ी की निचली मंजिल में ले जाने के सम्बन्ध में एक मंजिली गाड़ी पर ले जाये जाने वाले माल का भार किलोग्रामों में (N-X) x 68 से अधिक नहीं होगा।

N– यान में यात्रियों की रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता है, और

X– यान में ले जाये जा रहे यात्रियों की संख्या है या उन यात्रियों की संख्या है, जिनके लिये बैठकें खाली और बिना सामान से लदी रखी गई हैं– इनमें से जो भी अधिक हो।

5.22. **ठेकागाड़ी पर माल के वहन का निषेध.**— प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ठेकागाड़ी का उपयोग निम्नलिखित के लिये माल ले जाने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा:—

(क) परमिट में दी गई शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुये, विशेष अवसरों पर विशिष्ट कारणों से, या

(b) The carriage of the personal, office or household effects of a hirer if so authorised in the permit but not the carriage of general merchandise.

5.23. Carriage of certain goods in Stage or Contract Carriage-prohibited.– (1) No goods is liable to foul interior of the vehicle or to render it insanitory shall be carried at any time in any stage carriage or contract carriage.

(2) The Regional Transport Authority may, specify, in any permit the goods which shall not be carried in a stage carriage or a contract carriage or the condition subject to which class of goods may be so carried.

5.24. Carriage of luggage.– Every public service vehicle shall be provided with adequate means for the conveyance of reasonable amount of luggage and with a sufficient number of chains, straps or other means of securing such luggage. No luggage shall be carried on the roof of the vehicle unless there has been affixed there to a guard rail of type approved by the Registering Authority and a suitable water proof covering is provided to protect the luggage in wet weather. The covering shall be securely fastened so as to prevent flapping.

5.25. Stage or Contract Carriages—Carriage of personal luggage in.– (i) In every stage carriage not more than fifty kilograms of luggage and personal effects at per passenger shall be carried. Out of this fifty kilograms the twenty five kg. shall be allowed free of charge and the rest may be charged for.

(2) The Regional Transport Authority shall have powers to make regulations regulating the weight of luggage and goods which may be carried in a contract carriage generally or in any specified area.

5.26. Permits–Cancellation of redundant.– When a permit has been granted on first application by one Regional Transport Authority in respect of a particular vehicle or in respect of a service of vehicles and it appears that a permit has also been granted by another Regional Transport Authority:–

(a) in respect of the same vehicles, or

(b) in respect of vehicles requiring the use of a greater number of vehicles than the holder of the permits possessed at the time of application, the Regional Transport Authority by which one of the permits was issued may in consultation with the other Authority forthwith cancel or modify the permit in such a manner, as it may deem fit.

5.27. Permits-renewal of.– (1) An application for the renewal of a permit shall be made in the prescribed Form R.S. 5.20 in the prescribed time to the [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] by which the permit was issued and shall be accompanied by Part 'A' of the permit alongwith the prescribed fee.

(2) The Secretary/Executive Officer shall mention in his note for the following matter before submitting the application for consideration to the [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority]:–

(i) financial condition of the applicant as evidenced by insolvency or decree for payment of debts remaining unsatisfied for a period of 30 days prior to the date of consideration of the application.

---

1. Subs. by G.S.R. 39, dated 26.7.1995 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 26.7.1995).

(ख) किराये पर लेने वाले का व्यक्तिगत, कार्यालय का या गृहस्थ का सामान, यदि ऐसा परमिट मे प्राधिकृत है, परन्तु सामान्य व्यापारिक सामान नहीं ले जाया जाये।

5.23. मंजिली या ठेकागाड़ी में कुछ माल के वहन का निषेध.— (1) कोई माल जो यान के भाग को गन्दा या उसे अस्वास्थ्यकर करने वाला हो, किसी मंजिली गाड़ी या ठेकागाड़ी में किसी समय नहीं ले जाया जायेगा।

(2) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण परमिट में ऐसा माल विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो किसी मंजिली या ठेकागाड़ी में नहीं ले जाया जायेगा या ऐसी शर्त ला सकेगा, जिसके अध्यधीन किसी श्रेणी का इस प्राकर ले जाया जा सकेगा।

5.24. सामान का वहन.— प्रत्येक सार्वजनिक सेवा यान में उचित मात्रा में सामान ले जाने के पर्याप्त साधनों की पर्याप्त साधन और ऐसे सामान को बांधने के लिये पर्याप्त मात्रा में संख्या में डोरें, पट्टियां या अन्य साधनों की व्यवस्था की जायेगी। यान की छत पर कोई सामान नहीं ले जाया जायेगा, जब तक कि उस पर रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रकार की जाली नहीं लगा दी गई हो और एक उपयुक्त जलरोधी त्रिपाल सामान को गीले मौसम में बचाने के लिये नहीं हो। ऐसे त्रिपाल मजबूती से बांधा जायेगा ताकि वह उड़े नहीं।

5.25. मंजिली या ठेकागाड़ी में निजी सामान का वहन.— (1) प्रत्येक मंजिली गाड़ी में प्रति यात्री पचास किलोग्राम से अनधिक सामान और व्यक्तिगत वस्तुएं ले जाई जायेगी। इस पचास किलोग्राम में से पच्चीस किलोग्राम को मुफ्त ले जाया जायेगा और शेष पर भाड़ा लगाया जा सकेगा।

(2) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को, सामान और माल का भार, जो किसी ठेकागाड़ी में साधारणयता या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ले जाया जा सकेगा, विनियमित करने के लिये विनियम बनाने की शक्तियां होंगी।

5.26. परमिटों का रद्दकरण.— जब किसी यान के बारे में या यानों की सेवा के बारे में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा पहले आवेदन पर कोई परमिट स्वीकृत कर दिया गया हो और यह प्रतीत हो कि किसी दूसरे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा भी परमिट स्वीकृत कर दिया गया है:—

(क) जो उन्हीं समान यानों के बारे में, या

(ख) उन यानों से, जो आवेदन के समय परमिटों के धारकों के कब्जे में थे, अधिक संख्या में यानों का उपयोग वांछित है, तो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा परमिटों में से एक परमिट जारी किया गया था, दूसरे प्राधिकरण से परामर्श करने के बाद तुरन्त, जैसा वह उचित समझे उस प्रकार से परमिट को रद्द या परिवर्तित करेगा।

5.27. परमिटों का नवीकरण.— (1) परमिट के नवीकरण के लिये आवेदन निर्धारित प्ररूप आर. एस. 5.20 में उस [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] को दिया जायेगा, जिसने वह परमिट जारी किया था, और उसके साथ निर्धारित फीस सहित परमिट का भाग "क" होगा।

(2) [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] को विचारार्थ आवेदन प्रस्तुत करने से पहले सचिव/अधिशाषी अधिकारी निम्नलिखित विषयों के बारे में टिप्पणी में उल्लेख करना होगा–

(i) आवेदक की वित्तीय स्थिति जैसी दीवालियापन से या आवेदन पर विचार करने की दिनांक से पहले 30 दिन की अवधि तक बिना चुकाये रहे ऋणों के संदाय की डिक्री से प्रलक्षित होती हो।

---

1. जी.एस.आर. 39, दिनांक 26.7.1995 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 26.7.1995 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(ii) whether the applicant had been punished twice or more not within the 12 months reckoned from 15 days prior to the date of consideration for the following matters:-

(a) is he plying any vehicle,-

(1) without payment of tax due on such vehicle.

(2) without payment of tax during the grace period allowed for the payment of such tax and then stopped plying of such vehicle.

(3) On any authorised route.

(b) is there any challan pending regarding plying unauthorised trips.

(3) If the [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] thinks that the application for renewal of the permit is likely to be rejected, before rejecting the application he shall issue a show cause notice and after hearing the applicant if he rejects the application he shall record reasons for rejection.

(4) The [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] renewing the permit shall call upon the holder of permit to produce Part 'B' or Part 'A' and 'B' both, as the case may be and shall endorse on renewal at part 'A' and 'B' accordingly and shall return them to the holder.

5.28. Permits-Renewal and countersignature of.– (1) Subject to the provisions of Rule 5.29, application for the renewal of countersignature on a permit shall be made in writing to the Regional Transport Authority concerned and within the appropriate periods prescribed in sub-section (2) of section 81 of the Act and shall subject to the provisions of sub-rule (3) be accompanied by Part A of the permit and prescribed fee. The application shall setforth the period for which the renewal of the countersignature is required.

(2) If at the time of application for renewal of countersignature of permit, Part A of the permit is not available being under renewal by the Authority by which it was issued, the applicant shall state the fact and shall state the number and date of the permit, the name of the Authority by which it was granted, the date of its expiry and the number and date of the countersignature to be renewed.

(3) The Regional Transport Authority granting the renewal of a countersignature shall call upon the holder to produce Part A of the permit, if it has not been produced, and Part B or parts A and B of the permit and shall endorse the Parts A and B accordingly and return them to the holder.

5.29. Permit–Validation of the renewal in respect of countersignature of.– (1) The authority by which a permit is renewed may, unless any Authority by which the permit has been countersigned (with effect not terminating before the date of expiry of the permit) has by general or special order otherwise directed likewise renew any countersignature of the permit (by endorsement of the permit in the manner set forth in the appropriate form), and shall, in such case, intimate the renewal to such authority.

1. Subs. by G.S.R. 39, dated 26.7.1995 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 26.7.1995).

(ii) क्या आवेदक निम्नलिखित मामलों के लिये पिछले बारह माह में दो बार या अधिक बार दण्डित किया गया है, यह अवधि विचार करने के 15 दिन पहले से गिनी जायेगी–

(क) क्या वह किसी यान को–

(1) ऐसे यान पर देय कर का भुगतान किये बिना चला रहा है?

(2) ऐसे कर के भुगतान के लिये दी गई छूट की अवधि के दौरान बिना कर चुकाये चला रहा है और बाद में ऐसे यान को चलाना बन्द कर दिया है?

(3) क्या वाहन प्राधिकृत मार्ग पर चला रहा है?

(ख) क्या अप्राधिकृत यात्राओं पर गाड़ी चलाने के बारे में कोई चालान लम्बित है?

(3) राज्य [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] यह सोचता है कि परमिट नवीकरण का आवेदन अस्वीकार किये जाने की सम्भावना है, तो उस आवेदन को अस्वीकार करने पहले वह एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और आवेदक को सुनने के बाद यदि वह आवेदन को अस्वीकार करता है, तो वह अस्वीकार करने के कारण लेखबद्ध करेगा।

(4) [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] परमिट पर नवीकरण करते समय परमिट–धारक को भाग 'ख' या भाग 'क' और 'ख' दोनों, यथास्थिति, प्रस्तुत करने के लिये बुलायेगा और नवीकरण पर भाग 'क' और 'ख' पर तदनुसार पृष्ठांकन करेगा और उनको धारक को लौटा देगा।

5.28. परमिटों का नवीकरण और तदनुसार उन पर प्रतिहस्ताक्षर.– (1) नियम 5.29 के उपबन्धों के अध्यधीन, परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण के लिये आवेदन लिखित में अधिनियम की धारा 81 की उप–धारा (2) में निर्धारित समुचित अवधि के भीतर सम्बन्धित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जायेगा और उसके साथ उप–नियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परमिट का भाग 'क' और निर्धारित फीस होगी। आवेदन में वह अवधि बताई जायेगी, जिसके लिये प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता है।

(2) यदि परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण के लिये आवेदन के समय, परमिट का भाग 'क' उसे जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा नवीकरण के अधीन होने से उपलब्ध नहीं हो तो आवेदक इस तथ्य का कथन करेगा और परमिट की संख्या व दिनांक, उस प्राधिकारी का नाम जिसने वह स्वीकृत किया था, अवधि समाप्त होने की दिनांक और प्रतिहस्ताक्षर की संख्या व दिनांक, जिसका नवीकरण करना है, का कथन करेगा।

(3) प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण स्वीकृत करने वाला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारक को परमिट का भाग 'क', यदि पहले प्रस्तुत नहीं किया गया हो, और परमिट का भाग 'ख' या भाग 'क' और 'ख' प्रस्तुत करने को बुलायेगा और तदनुसार भाग 'क' और 'ख' को पृष्ठांकित करेगा और धारक को वापस कर देगा।

5.29. परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के बारे में नवीकरण का विधिमान्यकरण.– (1) जब तक कोई प्राधिकरण जिसके द्वारा वह परमिट प्रतिहस्ताक्षरित (परमिट के समाप्त होने के दिनांक के पहले समाप्त नहीं करने के आशय से) किया गया है, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इसी प्रकार अन्यथा निदेश न दे, प्राधिकरण जिसके द्वारा परमिट का नवीकरण किया गया है, परामिट के किसी प्रतिहस्ताक्षर का नवीकरण कर सकेगा (समुचित प्ररूप में दिये गये तरीके से परमिट पर पृष्ठांकन करते हुए) और, ऐसे मामले में, नवीकरण की सूचना ऐसे प्राधिकरण को भेजेगा।

---

1. जी.एस.आर. 39, दिनांक 26.7.1995 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 26.7.1995 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(2) Unless Parts A and B of a permit have been endorsed as provided in sub-rule (1) or unless the period of validity of the countersignature has been endorsed by the authority making the countersignature he shall be of no effect beyond the date of expiry stated therein.

5.30. Condition of permit.– A Regional Transport Authority when countersigning a public carrier's permit covered by an inter state transport agreement may attach to the permit a condition that the said public carrier shall not be used for picking up and dropping down the same goods at any two points lying within the jurisdiction of the State.

5.31. Permit-Replacement of particular vehicle authorised by.– (1) If the holder of a permit relating to a particular vehicle by specification of the registration mark desires at any time to replace the vehicle with another, he shall forward part A of the permit and apply in writing to the Transport Authority by which the permit was issued stating the reasons why the replacement is desired and shall–

(i) If the new vehicle is in his possession forward the certificate of registration thereof, or

(ii) If the new vehicle is not in the possession, state any material particular in respect of which the new vehicle will differ from the old.

(2) Upon receipt of an application under sub-rule, the [1][State Transport Authority/ Regional Transport Authority] may in its discretion reject the application–

(i) if it has previous to the application, given reasonable notice of its intention to reduce the number of transport vehicles of the class generally or in respect of the route or area to which the permit applies, or

(ii) if the new vehicle proposed differs in material respects from the old, or

(iii) if the holder of the permit has contravened the provisions thereof or has been deprived of possession of the old vehicle under the provisions of any agreement of hire-purchase:

Provided that, in considering applications for new permits within its area, the [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] shall, other thing being equal, give preference to an applicant who has been deprived of a permit by the operation of clause (i) of this sub-rule.

(3) If the [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] grants an application for the replacement of a vehicle under this rule, it shall call upon the holder of the permit to produce part B of the permit and the certificate of registration of the new vehicle, if not previously delivered to it and shall correct Parts A and B of the permit accordingly under its seal and signature and return them to the holder.

5.32. Permit-Replacement of a vehicle authorised by a service.– (1) If the holder of permit relating to service of stage carriages or of contract carriages desires at any time to replace any vehicle covered by the permit by a vehicle of a different type or of a different capacity, he shall forward part A of the permit and apply in writing to the [1][State Transport Authority/Regional Transport

---

1. Subs. by G.S.R. 39, dated 26.7.1995 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 26.7.1995).

(2) जब तक परमिट के भाग 'क' और 'ख' उप-नियम (1) में बताये अनुसार पृष्ठांकित नहीं कर दिये गये हैं या जब तक प्रतिहस्ताक्षर की विधिमान्यता की अवधि को उस प्राधिकरण द्वारा, जिसने प्रतिहस्ताक्षर किये हैं, पृष्ठांकित नहीं कर दिया जाता, वह उसमें बताई गई अवधि समाप्ति की दिनांक के बाद प्रभावी नहीं रहेगा।

5.30. परमिट की शर्त.— प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण किसी अन्तर राज्य परिवहन करार द्वारा प्रयुक्त सार्वजनिक वाहक परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर करते समय उस परमिट पर यह शर्त लगा सकेगा कि उक्त सार्वजनिक वाहक राज्य की अधिकारिता के भीतर आने वाले किन्हीं दो स्थानों पर वहीं सामान लादने और उतारने के लिये उपयोग में नहीं लिया जायेगा।

5.31. परमिट द्वारा प्राधिकृत विशेष यान का प्रतिस्थापन.— (1) यदि रजिस्ट्रीकरण-चिन्ह के आबंटीकरण द्वारा किसी विशेष यान से सम्बन्धित परमिट का धारक किसी समय उस यान के स्थान पर दूसरा वाहन लाना चाहता है, तो परमिट के भाग 'क' को अग्रेषित करेगा और लिखित में कारण बताते हुए कि यह प्रतिस्थापन क्यों चाहा गया है परिवहन प्राधिकरण को आवेदन करेगा जिसके द्वारा यह परमिट जारी किया गया था, और—

(i) यदि नया यान उसके कब्जे में है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र अग्रेषित करेगा, या

(ii) यदि नया यान उसके कब्जे में नहीं है, तो नये यान के पुराने यान से भिन्न होने के बारे में कोई तात्विक विशिष्टियां बतायेगा।

(2) उपनियम के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] स्वविवेक से उस आवेदन को नामन्जूर कर सकेगा—

(i) यदि उसने आवेदन के पहले, साधारणतया उस श्रेणी या उस क्षेत्र के बारे में जिनको परमिट लागू होता है, के परिवहन यानों की संख्या को कम करने का युक्तियुक्त नोटिस दे दिया है, या

(ii) यदि प्रस्तावित नया यान पुराने से तात्विक रूप से भिन्न हो, या

(iii) यदि परमिट-धारक ने उसके उपबन्धों का उल्लंघन किया है या किसी अवक्रय करार के उपबन्धों के अधीन उसके पुराने यान के कब्जे से वंचित कर दिया गया है:

परन्तु अपने क्षेत्र के भीतर नये परमिटों के लिये आवेदनों पर विचार करते समय, [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] अन्य बातें समान होने पर, उस आवेदक को प्राथमिकता देगा, जिसे इस नियम के खण्ड (i) के लागू होने से परमिट से वंचित कर दिया गया है।

(3) यदि [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] इस नियम के अधीन किसी यान के प्रतिस्थापन के आवेदन को मंजूर करता है, तो वह परमिट-धारक को परमिट का भाग-ख और नये यान का रजिस्ट्रीकरण-प्रमाण-पत्र देने के लिये बुलायेगा, यदि इसे पहले नहीं दिया गया था और तदनुसार परमिट के भाग-क और ख को सही करेगा और अपनी मुहर लगाकर हस्ताक्षर करेगा और उसको धारक को वापस कर देगा।

5.32. परमिट किसी सेवा द्वारा प्राधिकृत यान का प्रतिस्थापन.— (1) यदि मंजिली गाड़ियों या ठेका गाड़ियों की सेवा से सम्बन्धित परमिट का धारक किसी समय उस परमिट से आवृत्त किसी यान को किसी भिन्न प्रकार के या भिन्न क्षमता के यान द्वारा प्रतिस्थापित करना चाहता है, तो वह परमिट का भाग-क अग्रेषित करेगा और लिखित में उस [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन

---

1. जी.एस.आर. 39, दिनांक 26.7.1995 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग-4(ग)(1), दिनांक 26.7.1995 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

Authority] by which the permit was issued. Stating the reasons why the replacement is desired and shall intimate the relevant particulars of the vehicle to be replaced and of the new vehicle.

(2) Upon receipt of an application under sub-rule (1) the [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] may in its discretion, reject the application–

(i) If it has, previous to the application given reasonable notice of the intention to reduce the number of Transport Vehicle of that class generally or in respect of the route or area to which the permit applies, or

(ii) If the new vehicle differs in material respect from the old, or

(iii) If the holder of the permit has contravened any of the provisions thereof.

(3) If the [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] grants an application for the replacement of a vehicle under this rule, it shall call upon the holder of the permit to produce the appropriate part B of the permit and shall correct parts A and B of the permit accordingly under its seal and signature and return them to the holder.

[2][**5.33. Temporary Replacement of a Stage Carriage.**– In case of sudden failure of a Stage Carriage in which it is expected that the vehicle will not remain off the road for more than 7 days, the permit holder shall apply to the Regional Transport Authority or the Authority to whom such power has been delegated by the Regional Transport Authority through reply paid telegram, or by fax for sanction of replacement by any other his vehicle of same nature and of a model not below the model prescribed by the State Transport Authority for renewal of permit for such class of route and remit the tax, if any, due on it and may at the same time make the replacement. The vehicle so replaced shall carry a certified copy from the post and telegraph office, of reply paid telegram or the receipt of fax. The vehicle used for replacement shall be mechanically fit in all respects to the requirement of Chapter VII of the Act and its certificate of fitness should be current. The sanction or refusal, as the case may be, shall be sent by telegram/fax by the authority. The inspection staff and the police shall also be informed of it by the Secretary of Regional Transport Authority. When the original carriage resumes plying, information of it will be sent by permit holder to the Regional Transport Authority or the authority to whom such power has been delegated.]

5.34. Permit–Validation of replacement order in respect of countersignature on.– (1) The authority granting permission for the replacement of a vehicle under rules 5.31 and 5.32 shall, unless the Authority by which the permit was countersigned has by general or special resolution otherwise directed endorse on the correction made to parts A and B of the permit the word "Valid also for................................" inserting the name of the Authority concerned and shall intimate the fact and the particulars of the replacement to such Authority.

(2) Unless the permit has been endorsed as provided in sub-rule or unless the alteration has been approved by endorsement by the countersigning Authority, the countersignature on a permit shall not be valid in respect of any new vehicle.

---

1. Subs. by G.S.R. 39, dated 26.7.1995 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 26.7.1995).
2. Subs. by G.S.R. 56, dated 15.2.2005 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 15.2.2005). (w.e.f. 15.2.2005).

प्राधिकरण] को कारण बताते हुए कि वह प्रतिस्थापन क्यों चाहता है, आवेदन करेगा, जिसने परमिट जारी किया था और प्रतिस्थापित किये जाने वाले यान की और नये यान की सुसंगत विशिष्टियां सूचित करेगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] अपने विवेकानुसार, उस आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा–

(i) यदि उसने, आवेदन के पहले, साधारणतया उस श्रेणी या उस मार्ग या क्षेत्र के बारे में जिनको परमिट लागू होता है, के परिवहन यानों की संख्या को कम करने का युक्तियुक्त नोटिस दे दिया हो, या

(ii) यदि प्रस्तावित नया यान पुराने के तात्विक रूप से भिन्न हो, या

(iii) यदि परमिट–धारक ने उसके किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया हो।

(3) यदि [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] इस नियम के अधीन प्रतिस्थापन के लिये आवेदन स्वीकार करता है, तो वह परमिट–धारक को परमिट का समुचित भाग–ख प्रस्तुत करने को बुलायेगा और तदनुसार परमिट के भाग–क और ख को सही करेगा और अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर करेगा और उनको धारक को वापस कर देगा।

[2][**5.33. मंजिली गाड़ी का अस्थायी प्रतिस्थापन.**– किसी मंजिली गाड़ी की अचानक विफलता के मामले में, जिसमें यह प्रत्याशा हो कि यान 7 से अधिक दिनों तक सड़क पर नहीं चलेगा, परमिट–धारक, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी या उस प्राधिकारी को, जिसे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की गयी है, उसी प्रकृति के और ऐसे वर्ग के मार्ग के लिये परमिट के नवीकरण के लिये राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा विहित मॉडल से अनिम्न मॉडल के अपने किसी अन्य यान के प्रतिस्थापन की मंजूरी के लिये जवाबी तार के माध्यम से या फैक्स से आवेदन करेगा और उस पर शोध्य कर, यदि कोई हो, विप्रेषित करेगा। इस प्रकार प्रतिस्थापित यान के साथ जवाबी तार की डाक और तार कार्यालय से प्रमाणित प्रति या फैक्स की रसीद रखी जायेगी। प्रतिस्थापन के लिये प्रयुक्त यान अध्याय–7 की अपेक्षाओं के अनुसार हर दृष्टि से यांत्रिक रूप से ठीक होगा और इसका ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र चालू होना चाहिये। मंजूरी या, यथास्थिति, नामंजूरी, प्राधिकारी द्वारा तार/फैक्स से भेजी जायेगी। निरीक्षक स्टॉफ तथा पुलिस को भी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के सचिव द्वारा उससे सूचित किया जायेगा। जब मूल गाड़ी पुनः चलने लग जाये तो इसकी सूचना परमिट–धारक द्वारा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी को भेजी जायेगी, जिसे ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की गयी है।]

5.34. परमिट प्रतिस्थापन आदेश का प्रतिहस्ताक्षर के संबंध में विधि-मान्यकरण.– (1) नियम 5.31 और 5.32 के अधीन किसी यान के प्रतिस्थापन की अनुमति देने वाला प्राधिकरण, जब तक कि उस प्राधिकरण ने, जिसने परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर किये थे, किसी सामान्य या विशेष संकल्प से कोई अन्यथा निर्देश न दिया हो, परमिट के भाग–क और ख पर संबंधित प्राधिकरण का नाम जोड़ते हुए की गयी शुद्धियों पर शब्द " .... के लिये भी विधिमान्य" का पृष्ठांकन करेगा और इस तथ्य और प्रतिस्थापन का विवरण ऐसे प्राधिकरण को सूचित करेगा।

(2) जब तक उप–नियम में बताये अनुसार परमिट पर पृष्ठांकन नहीं कर दिया जाता या जब तक प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता प्राधिकरण द्वारा प्रतिस्थापन का पृष्ठांकन द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता, तब तक किसी नये यान के सम्बन्ध में उस परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर विधिमान्य नहीं होगा।

---

1. जी.एस.आर. 39, दिनांक 26.7.1995 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 26.7.1995 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2. जी.एस.आर. 56, दिनांक 15.2.2005 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 15.2.2005 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 15.2.2005 द्वारा लागू किया गया।

[1][5.35. **Permit–procedure on cancellation, suspension or expiry.**– (1) When a State Transport Authority/Regional Transport Authority suspends or cancels any permit under section 86 of Motor Vehicles Act, 1988–

(i) The holder shall surrender Part A, B and authorisation (if applicable) of the permit within seven days of the receipt of order in writing of the concerned authority.

(ii) The authority suspending or cancelling the permit shall send intimation to any authority by which the permit has been countersigned and to any authority to whose area the validity has been extended under rule 5.13.

(2) Within fourteen days of the expiry of any permit by afflux of time or becomes invalid by any condition attached to permit [2][or on cancellation of permit by any competent authority/courts] the holder shall deliver part A, part B and authorisation (if applicable) to the authority by which permit was granted and the authority receiving any such permit shall intimate the facts to the authority by which such permit was countersigned and to any authority to whose area the validity has been extended under rule 5.13.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and (2) the State Transport Authority or Regional Transport Authority if satisfied, may cancel a permit on an application [3][alongwith prescribed fee] made in writing by a permit holder stating the reasons for doing so along with permit part A, part B and valid authorisation (if applicable) and a upto date tax payment certificate of all due taxes payable under Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951. Before rejecting such application the State Transport Authority/Regional Transport Authority shall give an opportunity of being heard and shall pass order. If the order in this regard is not passed within ninety days form the date of application it shall be deemed that the cancel of permit applied for has been accepted.]

5.36. Permit–Transfer of.– (1) When the holder of a permit desires to transfer the permit to some other person under sub-section (1) of section 82 of the Act, he shall, together with the person to whom he desires to make the transfer, make joint application in writing to the [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] by which the permit was issued, setting forth the reasons for the proposed transfer.

(2) On receipt of an application under sub-rule (1) the [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] may require the holder and the other party to state in writing whether any premium payment or other consideration arising out of the transfer, is to pass or has passed between them and the nature and amount of any such premium, payment or other consideration.

---

1. Subs. by G.S.R. 39, dated 26.7.1995 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 26.7.1995).
2. Added by G.S.R. 42, dated 12.7.2001 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 12.7.2001).
3. Ins. by G.S.R. 76, dated 5.1.2001 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 5.1.2001).

[1][5.35. **परमिट के रद्दकरण, निलम्बन या अवसान पर प्रकिया.**— (1) जब राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अधीन किसी परमिट को निलम्बित या रद्द करे तो—

(i) धारक, परमिट के भाग क, ख और प्राधिकार पत्र (यदि लागू हो) को सम्बन्धित प्राधिकरण के लिखित आदेश की प्राप्ति के सात दिन के भीतर–भीतर अभ्यर्पित करेगा।

(ii) परमिट को निलम्बित या रद्द करने वाला प्राधिकरण किसी भी ऐसे प्राधिकरण को, जिसके द्वारा परमिट को प्रति–हस्ताक्षरित किया गया है और किसी भी ऐसे प्राधिकरण को, जिसके क्षेत्र में, नियम 5.13 के अधीन विधिमान्यता विस्तारित की गई है, सूचना भेजेगा।

(2) समय के गुजरने से किसी परमिट के अवसान के 14 दिन के भीतर–भीतर या परमिट के साथ संलग्न किसी शर्त के द्वारा अविधिमान्य हो जाने पर [2][या किसी सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय द्वारा परमिट के रद्दकरण पर] धारक, भाग क, भाग–ख और प्राधिकार पत्र (यदि लागू हो) उस प्राधिकरण को, जिसके द्वारा परमिट मंजूर किया गया था, परिदत्त करेगा और ऐसे किसी भी परमिट को प्राप्त करने वाला प्राधिकरण, उस प्राधिकरण को, जिसके द्वारा ऐसा परमिट प्रतिहस्ताक्षरित किया गया था और किसी भी ऐसे प्राधिकरण को, जिसके क्षेत्र में, नियम 5.13 के अधीन विधिमान्यता विस्तारित की गई है, तथ्यों की सूचना देगा।

(3) उप–नियम (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, यदि उसका समाधान हो जाये तो, किसी परमिट को, परमिट–धारक द्वारा उसे रद्द कराने के कारणों का कथन करते हुए [3][विहित फीस के साथ] लिखित रूप में परमिट भाग–क, भाग–ख और विधिमान्य प्राधिकार पत्र (यदि लागू हो) और राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 के अधीन संदेय सभी देय करों के अद्यतन कर संदाय प्रमाण–पत्र सहित किये गये किसी आवेदन पर, रद्द कर सकेगा ऐसे आवेदन को खारिज करने से पूर्व राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सुनवाई का अवसर देगा और समुचित आदेश पारित करेगा। यदि आवेदन की दिनांक से 90 दिनों के भीतर–भीतर इस सम्बन्ध में आदेश पारित नहीं किया जाये तो यह समझा जायेगा कि परमिट को रद्द करने का आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है।,

5.36. परमिट का अन्तरण.— (1) जब अधिनियम की धारा 82 की उप–धारा (1) के अधीन कोई परमिट–धारक परमिट का किसी दूसरे व्यक्ति को अन्तरण करना चाहता है, तो वह, उस व्यक्ति के साथ जिसे वह अन्तरण करना चाहता है, एक संयुक्त आवेदन लिखित में उस [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] को, जिसने वह परमिट जारी किया था, प्रस्तावित अन्तरण का कारण बताते हुए, प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] धारक और अन्य पक्षकार से, लिखित में यह कथन करने की अपेक्षा कर सकेगा, कि क्या अन्तरण से उत्पन्न कोई भी प्रीमियम भुगतान या अन्य प्रतिफल उनके बीच पूरा हो गया है, या होने को हो, और ऐसे प्रीमियम, भुगतान या अन्य प्रतिफल का स्वरूप और राशि क्या है?

---

1. जी.एस.आर. 39, दिनांक 26.7.1995 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 26.7.1995 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2. जी.एस.आर. 42, दिनांक 12.7.2001 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 12.7.2001 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया।
3. जी.एस.आर. 76, दिनांक 5.1.2001 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 5.1.2001 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया।

(3) Without prejudice to any other penalty to which the parties may be liable, any transfer of a permit upon an application which the [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] is subsequently satisfied was false in respect of the matter specified in sub-rule (2) or in respect of any other material particular, shall be void.

(4) The [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] may summon both the parties to the application to appear before it and may, if it deems fit, deal with the application as if it were an application for a permit.

(5) (i) If the [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] is satisfied that the transfer of a permit may properly be made, it shall call upon the holder of the permit in writing to surrender Parts A and B of the permit within seven days of the receipt of the order shall likewise call upon the person to whom the permit is to be transferred to deposit prescribed fee.

(ii) Upon receipt of Parts A and B of the permit and of the prescribed fee the [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] shall cancel the particulars of the holder thereon and endorse particulars of the transfers and shall return the permit to the transferee.

(iii) The [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] making a transfer of a permit as aforesaid may, unless any other [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] by which the permit has been countersigned has by general or special order otherwise required, endorse Parts A and B of the permit with the words "transfer of permit valid for....." inserting the name of the authority by which the permit has been countersigned with effect at the date of transfer.

(iv) Unless Parts A and B of the permit have been endorsed as provided in clause (iii) or unless the transfer of the permit has been approved by endorsement by the Authority which countersinged the permit, the countersignature shall be of effect after the date of transfer.

5.37. Transfer of permit in case of death of the permit holder.– (1) In case of death of the permit holder, the person succeeding to the possession of the vehicle covered by the permit may, within 30 days of the death of the permit holder inform the Transport Authority which granted the permit of the death of the holder and of his own intention to use the permit in Form R.S. 5.21.

(2) The person succeeding to the possession of the vehicle covered by the permit may, submit an application in Form R.S. 5.22 to the [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] for transfer of the permit in his name.

(3) Alongwith the application the applicant shall attach a copy of the news paper in which the notice published in the local news paper in Form R.S. 5.27 indicating that he is the person succeeding the permit of the permit holder who has expired.

---

1. Subs. by G.S.R. 39, dated 26.7.1995 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 26.7.1995).

(3) किसी अन्य शास्ति को प्रभावित किये बिना, जिसके लिये पक्षकार दायी हों, ऐसे आवेदन पर परमिट का अन्तरण शून्य होगा, जब उस आवेदन पर [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] का बाद में यह समाधान हो जाये कि वह उप–नियम (2) में वर्णित सामग्री के बारे में या अन्य किसी तात्विक विशिष्टि के बारे में असत्य था।

(4) [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] आवेदन से सम्बन्धित दोनों पक्षकारों को अपने सामने उपस्थित होने के लिये समन कर सकेगा और यदि वह उचित समझे, तो उस आवेदन पर इस प्रकार कार्यवाही कर सकेगा, मानो यह परमिट के लिये आवेदन हो।

(5) (i) यदि [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] का यह समाधान हो जाता है कि परमिट का अन्तरण उचित रूप से किया जा सकता है, तो वह परमिट–धारक को परमिट का भाग–क तथा ख इस आदेश की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर समर्पित करने के लिये लिखित में बुलायेगा और इसी प्रकार उस व्यक्ति को, जिसे परमिट अन्तरित किया जाना है, विहित फीस जमा करने के लिये बुलायेगा।

(ii) परमिट के भाग–क और ख तथा निर्धारित फीस प्राप्त होने पर [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] उस पर से धारक के विवरण का रद्द करेगा और अन्तरण का विवरण उस पर पृष्ठांकित करेगा और परमिट को अन्तरिती को लौटा देगा।

(iii) [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] ऊपर बताये अनुसार परमिट का अन्तरण करते हुए, जब तक किसी दूसरे [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] जिसके द्वारा वह परमिट प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है, के द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से अन्यथा नहीं चाहा गया हो, परमिट के भाग–क और ख पर शब्द "परमिट का अन्तरण .... के लिये विधिमान्य" पृष्ठांकित करेगा और अन्तरण की दिनांक को प्रभावशील परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकरण का नाम जोड़ेगा।

(iv) जब तक परमिट के भाग–क और ख को खण्ड (iii) में उपबन्धित के अनुसार पृष्ठांकित नहीं कर दिया जाता या जब तक परमिट के अन्तरण को उस प्राधिकरण ने पृष्ठांकन द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया हो, प्रतिहस्ताक्षर अन्तरण के दिनांक के बाद प्रभावी नहीं होंगे।

5.37. परमिट-धारक की मृत्यु पर परमिट का अन्तरण.– (1) परमिट–धारक की मृत्यु हो जाने के मामले में, परमिट द्वारा आवृत्त यान के कब्जे का उत्तराधिकारी व्यक्ति, परमिट–धारक की मृत्यु के तीस दिन के भीतर उस परिवहन प्राधिकरण को जिसने परमिट दिया था, धारक की मृत्यु और परमिट का उपयोग करने के अपने आशय की सूचना प्ररूप आर.एस. 5.21 में दे सकेगा।

(2) परमिट द्वारा आवृत यान के कब्जे का उत्तराधिकारी व्यक्ति [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] को प्ररूप आर.एस. 5.22 में उसके नाम में परमिट के अन्तरण के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) आवेदन के साथ अवेदक समाचार पत्र की एक प्रति संलग्न करेगा, जिसमें स्थानीय समाचार पत्र में प्ररूप आर.एस. 5.27 में वह नोटिस यह बताते हुए प्रकाशित हुआ है कि परमिट–धारक जो मर गया है उसके परमिट का वह उत्तराधिकारी व्यक्ति है।

---

1. जी.एस.आर. 39, दिनांक 26.7.1995 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 26.7.1995 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(4) The permit shall not be transferred except in accordance with the order of competent court. If any objection is made before the [1][State Transport Authority/ Regional Transport Authority]

(5) In case where the transfer of the permit is allowed by the [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] on account of the demise of the permit holder, a photograph duly sealed of transferee shall be affixed on the permit.

[1][**5.38. Permits-issue of duplicate in place of those lost or destroyed.**– (1) When part A or B or authorisation, as the case may be, has been lost or destroyed the holder shall forthwith intimate the fact to authority by which the permit was issued and submit an application alongwith upto date tax payment certificate of taxes payable under Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 of the vehicle and shall deposit the prescribed fee.]

(2) The [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] shall upon receipt of an application in accordance with sub-rule (1), issue a duplicate permit or part of or parts of a permit, as the case may be, and to the extent that it is able to verify the facts, may endorse thereon certified copies of any countersignature by any other authority, intimating the fact to the authority.

(3) A duplicate permit or duplicate part of permit issued under this rule shall be clearly stamped "Duplicate" in red ink and the certified copy of any countersignature by any other [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] on a permit or a part of a permit made under this rule shall be valid in the region of at other Authority as if it were a countersignature.

(4) When a permit or a part of a permit has become dirty, torn, or otherwise defaced so as in the opinion of the [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority,] to be illegible, the holder thereof shall surrender the permit or part of the permit, as the case may be, to the [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] and apply for the issue to him of a duplicate permit or part of the permit in accordance with this rule.

(5) the fee for the issue of a duplicate permit or a duplicate part of a permit shall be as prescribed in rule 5.87 for part A and as prescribed in rule 5.87 or each copy of part B.

(6) Any permit or any part of permit which is found by any person shall be delivered by that person to the nearest police station or to the holder or to the [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] by which it was issued and if the holder finds or receives any part of permit in respect of which a duplicate has been issued, he shall return the original to the Regional Transport Officer by which it was issued.

5.39. Permit-Variation of.– (1) Subject to the provision of this rule, upon an application made in writing by the holder of the permit, [2][with prescribed fee] the [1][State Transport Authority/Regional Transport Authority] may at any time in its discretion vary the permit or any of the conditions thereof.

1. Subs. by G.S.R. 39, dated 26.7.1995 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 26.7.1995).
2. Ins. by Noti. No. F. 7(4) Pari/Rules/Hq./92 dated 25.8.2005. (w.e.f. 25.8.2005).

(4) परमिट को सक्षम न्यायालय के आदेश के अनुसार के बिना अन्तरित नहीं किया जायेगा, यदि [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] के समक्ष कोई एतराज किया गया है।

(5) जहां परमिट–धारक की मृत्यु के कारण [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] द्वारा परमिट के अन्तरण की अनुमति दी गई है, तो ऐसे मामले में अन्तरिती का सम्यक्तः मोहरशुदा फोटोग्राफ परमिट पर चिपकाया जायेगा।

[1][**5.38. खोये या नष्ट हुए परमिट के स्थान पर दूसरी प्रति का जारी किया जाना.**– (1) जब भाग–क या ख या, यथास्थिति, प्राधिकार पत्र, खो गया हो या नष्ट हो गया हो तो धारक, इस तथ्य की सूचना उस प्राधिकरण को तुरन्त देगा, जिसके द्वारा परमिट जारी किया गया था, और राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 के अधीन संदेय यान के करों के अद्यतन कर संदाय के प्रमाण–पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा और विहित फीस जमा करायेगा।]

(2) उप नियम (1) के अनुसार आवेदन प्राप्त होने पर [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] डुप्लीकेट परमिट या उसका भाग या दोनों भाग, यथास्थिति, जारी करेगा और जिस सीमा तक वह करने योग्य है, तथ्यों का सत्यापन करके उस पर अन्य प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रतिहस्ताक्षर की प्रमाणित प्रतियों का पृष्ठांकन करेगा और इस तथ्य की सूचना उस प्राधिकारी को देगा।

(3) इस नियम के अधीन जारी किये गये डुप्लीकेट परमिट या परमिट के डुप्लीकेट भाग पर स्पष्ट रूप से लाल स्याही में "डुप्लीकेट" की मोहर लगाई जायेगी और किसी अन्य [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] द्वारा किये गये प्रतिहस्ताक्षर की परमिट या परमिट के भाग पर इस नियम के अधीन की गई प्रमाणित प्रति उस अन्य प्राधिकरण के प्रदेश (क्षेत्र) में विधिमान्य होगी, मानो यह प्रतिहस्ताक्षर हो।

(4) जहां परमिट या परमिट का कोई भाग गंदा, फटा हुआ या अन्यथा विरूपित हो गया है कि वह [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] के अभिमत में अस्पष्ट हो गया है, तो उसका धारक उस परमिट या परमिट के भाग को, यथास्थिति, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को अभ्यर्पित कर देगा और इस नियम के अनुसार डुप्लीकेट परमिट या परमिट का भाग उसे जारी करने के लिये आवेदन करेगा।

(5) परमिट या परमिट के भाग का डुप्लीकेट जारी करने के लिये फीस वह होगी जो नियम 5.87 के भाग–क के लिये निर्धारित है और नियम 5.87 में भाग–ख की प्रत्येक प्रति के लिये निर्धारित है।

(6) कोई परमिट या परमिट का कोई भाग, जो किसी व्यक्ति द्वारा पाया जाये, उस व्यक्ति द्वारा निकटतम पुलिस स्टेशन या धारक या उसे जारी करने वाले [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] को सौंप दिया जायेगा और यदि धारक को उस परमिट या परमिट का कोई भाग जिसके बारे में डुप्लीकेट जारी कर दिया गया है, मिल जाता है या प्राप्त होता है, तो वह उस मूल (असली प्रति) को प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को जिसने वह जारी किया था, वापस कर देगा।

5.39. परमिट में परिवर्तन.– (1) इस नियम में उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, परमिट के धारक द्वारा लिखित रूप में [2][फीस के साथ] कोई आवेदन देने पर [1][राज्य परिवहन प्राधिकरण/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण] किसी समय अपने विवेक से परमिट या उसकी किसी शर्त में परिवर्तन कर सकेगा।

---

1. जी.एस.आर. 39, दिनांक 26.7.1995 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 26.7.1995 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2. अधि. सं. एफ. 7(4) परि./नियम/एच.क्यू./92, दिनांक 25.8.2005 द्वारा जोड़ा एवं दिनांक 25.8.2005 द्वारा लागू किया गया।

(2) If the variation of the permit or any condition thereof is in accordance with any particular upon direction issued by the State Transport Authority under sub-section (4) of section 68 or involves a question of principle which has already been decided by ruling of the Regional Transport Authority or the State Transport Authority and such ruling has not been modified upon appeal.

5.40. Permit-Production of.– (1) Part A of permit shall be produced on demand made at any reasonable time by any Transport Officer not below the rank of an Inspector of Motor Vehicles or by any Police Officer not below the rank of a Sub-Inspector.

5.41. Exemption.– With reference to clause (f) of sub-section (3) of section 46 of the Act, Transport vehicles engaged in propaganda for the removal of untouchability on behalf of the Bhartiya Depressed Class League shall be exempted from the provisions of sub-section (1) of section 66 of the Act :

Provided the vehicle carries a written certificate from a proper officer of the Central Government to the effect that the vehicle belongs to Bhartiya Depressed Class League and is solely used for the purpose mentioned above.

5.42. Public Purpose.– (1) The use of civilian transport vehicles when employed in defence work even during peace time for carrying goods or personal over doing distances in a particular zone, Region or on Inter-State routes and for securing the defence of India and Civil defence, for the efficient conduct of Military operations or for maintaining supplies and services essential for defence, shall be a public purpose within the meaning of Clause (f) of sub-section (3) of section 66 of the Act, and the provisions of sub-section (1) of Section 66 of the Act, shall not apply to such vehicles.

(2) The driver or other person incharge of the vehicle shall carry with him a certificate signed by a District Magistrate or the Area Commanding Officer, to the effect that with the vehicle cocerned (Registration number, make and model of the vehicle to be specified in the certificate) is being used for public purpose as defined in sub-rule (1) above, for the period and area (s) specified therein.

5.43. Temporary authorisation in lieu of permit.– (1) When the holder of a permit has submitted Part A or Part B or both of the permits to the State Transport Authority or a Regional Transport Authority for renewal or countersignature of the permit user for any other purpose, or when a Police Officer or any court or other competent Authority has taken temporary possession of a permit from the holder thereof for any purpose, the State Transport Authority or Regional Transport Authority or the Police Officer or the court or other competent Authority, as the case may be, shall furnish to the holder a receipt for the permit and a temporary authorisation in Form R.S. 5.24 to ply the vehicle during such period as may be specified in the said temporary authorisation on demand shall be deemed to be production of the permit :

Provided that the Authority by which the temporary authorisation was granted shall extend the period for which the temporary authorisation is to remain valid until the permit is returned but such extension shall not be beyond the period of validity of the permit.

) यदि परमिट या उसकी किसी शर्त का परिवर्तन राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा धारा 68 की (4) के अधीन जारी किसी विशेष निदेश के अनुसार है या इसमें कोई सिद्धान्त का प्रश्न है, जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण के निर्णय द्वारा पहले से त है और ऐसा निर्णय अपील करने पर परिवर्तित नहीं किया गया है।

. परमिट का प्रस्तुतिकरण.— (1) किसी परिवहन अधिकारी, जो मोटर यानों के निरीक्षक णी का न हो या किसी पुलिस अधिकारी, जो उप–निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो, के द्वारा युक्त समय पर मांग करने पर परमिट का भाग–क उसे प्रस्तुत (पेश) किया जावेगा।

) कोई वर्दीधारी पुलिस या परिवहन अधिकारी किसी परिवहन यान में परमिट के भाग–ख का करने के प्रयोजन से चढ़ सकेगा।

.41. छूट.— अधिनियम की धारा 46 की उप–धारा (3) के खण्ड (च) के प्रसंग में, परिवहन यान तीय डिप्रेस्ड क्लास लीग की ओर से अस्पृश्यता को हटाने के प्रचार के काम में लगे हैं, अधिनियम रा 66 की उप–धारा (1) के उपबन्धों से छूट प्राप्त होंगे:

परन्तु यान के साथ केन्द्रीय सरकार के समुचित अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र ले होगा कि यह यान भारतीय डिप्रेस्ड क्लास लीग का है और केवल उपरोक्त प्रयोजन के लिये काम या जा रहा है।

5.42. लोक प्रयोजन.— (1) नागरिक परिवहन यानों को शान्तिकाल में भी जब सुरक्षा कार्यों पर या व्यक्तियों को किसी विशेष क्षेत्र, प्रदेश या अन्तर्राज्यीय मार्गों पर लाने ले जाने के लिये और त की सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिये, सैनिक अभ्यासों का दक्ष संचालन करने लिये या सुरक्षा के लिये आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति को बनाये रखने के लिये काम में लिया जाता तो यह अधिनियम की धारा 66 की उप–धारा (3) के खण्ड (च) के अर्थ में एक लोक प्रयोजन होगा र अधिनियम की धारा 66 की उप–धारा (1) के उपबन्ध ऐसे यानों के लिये लागू नहीं होंगे।

(2) ऐसे यान का चालक या भारसाधक व्यक्ति अपने साथ जिला मजिस्ट्रेट या एरिया कमाण्डिंग सर द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण–पत्र रखेगा कि सम्बन्धित यान (यान की रजिस्ट्रीकरण या, मेक और माडल प्रमाण–पत्र में उल्लिखित होगा) उपरोक्त उप–नियम (1) में परिभाषित लोक जन के लिये उसमें वर्णित अवधि के लिये उसमें वर्णित क्षेत्र (क्षेत्रों) में काम में लिया जा रहा है।

5.43. परमिट के बजाय अस्थायी प्राधिकार.— (1) जब परमिट के धारक ने परमिट का भाग–क भाग–ख या दोनों राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को उस परमिट का करण, उस पर प्रतिहस्ताक्षर या किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग करने के लिये प्रस्तुत कर हो, या जब किसी पुलिस अधिकारी या किसी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी ने परमिट उसके क से किसी अन्य प्रयोजन के लिये अपने अस्थायी कब्जे में ले लिया हो, तो राज्य परिवहन प्राधिकरण प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या पुलिस अधिकारी या न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, क को परमिट के लिये एक रसीद और प्ररूप आर.एस. 5.24 में एक अस्थाई प्राधिकार, यान को ऐसी धि के दौरान, जो उक्त अस्थाई प्राधिकार में बताई गई हो, चलाने के लिये प्रदान करेगा और उक्त धि के दौरान अस्थाई प्राधिकार को मांगने पर पेश करना परमिट का पेश करना समझा जायेगा:

परन्तु प्राधिकारी, जिसके द्वारा अस्थायी प्राधिकार दिया गया था, अस्थायी प्राधिकार के विधिमान्य की अवधि को परमिट वापस कर दिये जाने तक बढ़ायेगा, परन्तु ऐसी वृद्धि परमिट की विधिमान्यता वधि से परे नहीं होगी।

(2) Until a permit referred to in sub-rule (1) has been returned to the holder thereof, the vehicles concerned shall not be plied beyond the period as specified in the temporary authorisation referred to in sub-rule (1) or, as the case may be extended under the provision to that sub-rule.

(3) No fee shall be payable in respect of such temporary authorisation.

5.44. Appeal and Revision application against the order of State or Regional Transport Authority.– (1) The Authority to decide the appeal against the order of the State Transport Authority or the Regional Transport Authority under section 89 of the Act shall be the Appellate Tribunal consisting of one member to be constituted by the State Government.

(2) An appeal to the State Transport Appellate Tribunal under section 89 against the order of the State Transport Authority/Regional Transport Authority shall be made with 30 days of the date of receipt of the order by the person preferring an appeal. It shall be in the form of a memorandum submitted in duplicate and accompanied by as many as typed copies thereof as there may be parties to be served. Setting forth the grounds of objection to the order of State/Regional Transport Authority, as the case may be and shall be accompanied by a certified copy of the order appealed against and prescribed fee in cash. The grounds of objection to the order shall be stated concisely and under distinct heads without any argument or narrative and number consecutively.

(3) An application under section 90 to the State Transport Appellate Tribunal by the person aggrieved by an order of the State or Regional Transport Authority shall be in form of a memorandum submitted in duplicate and accompanied by as many as typed copies setting forth the grounds of objections to the order and under distinct heads without any arguments or narrative and number consecutively. It shall be accompanied by a certified copy of the order of the Authority sought to be revised and prescribed fee.

5.45. Supply of copies of documents to the persons interested in the appeal or revision.– The Secretary of the State/Regional Transport Authority shall issue copies of the documents required by any person intending to file an appeal or revision to the State Transport Appellate Tribunal under this Chapter on payment of prescribed fee.

5.46. Procedure of appeal or revision.– (1) After the State Transport Appellate Tribunal has admitted an appeal under sub-section (1)of section 89 or a revision application under section 90, of the Act, it shall appoint time and place for the hearing of the appeal or revision application, as the case may be, and give intimation to the Authority against whose order the appeal or revision application is made and also to the appellant or the applicant concerned and any other person likely to be affected by the grant of the relief prayed for. Such applicant, respondent or the person interested shall appear before the tribunal in person or through an authorised representative with original documents or record pertaining to the case on the appointed date and place of hearing, if any.

(2) The Secretary of the State/Regional Transport Authority concerned shall within 14 days of the receipt of such intimation, send all the original documents and record pertaining to any appeal or revision application with proper index and the paging to the Stage Transport Appellate Tribunal when the same are called for by it.

(2) जब तक कि उप–नियम (1) में वर्णित परमिट उसके धारक को वापस नहीं कर दिया गया उप नियम (1) में वर्णित अस्थायी प्राधिकार में दी गई या उस उप–नियम के परन्तुक के अधीन बढ़ाई अवधि के परे सम्बन्धित यानों को नहीं चलाया जायेगा।

(3) ऐसे अस्थायी प्राधिकार के बारे में कोई फीस संदेय नहीं होगी।

5.44. राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण.– ज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा अधीन अपील का विनिश्चय करने वाला प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय ीय अधिकरण होगा।

(2) राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के किसी आदेश के विरुद्ध धारा 89 के अधीन अपील परिवहन अपीलीय अधिकरण को अपील करने वाले व्यक्ति द्वारा आदेश की प्राप्ति की दिनांक से दिवस के भीतर की जायेगी। यह एक ज्ञापन के रूप में दो प्रतियों में होगी तथा उसकी उतनी कित प्रतियों के साथ प्रस्तुत की जायेगी, जितने पक्षकारों पर इसकी तामील की जानी हो। इसमें /प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, यथास्थिति, के आदेश के विरुद्ध आक्षेप के आधार बताये जायेंगे और साथ जिस आदेश की अपील की गई है उसकी प्रमाणित प्रति और निर्धारित फीस नकद में होगी। श के विरुद्ध आक्षेप के आधार संक्षेप में तथा सुभिन्न शीर्षक के अधीन बिना किसी तर्क या वर्णन और क्रम संख्या सहित कथित किये जायेंगे।

(3) राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा धारा 90 के अधीन परिवहन अपीलीय अधिकरण को आवेदन ज्ञापन के रूप में दो प्रतियों में और इसकी उतनी ही त प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, जितने पक्षकारों पर इसकी तामील की जानी हो। इसमें श के विरुद्ध आक्षेप के आधार सुभिन्न शीर्षकों के अधीन बिना किसी तर्क या वर्णन के क्रम संख्या त बताये जायेंगे। इसके साथ प्राधिकरण के उस आदेश की प्रमाणित प्रति जिसका पुनरीक्षण चाहा है और निर्धारित फीस होगी।

5.45. अपील या पुनरीक्षण में हितबद्ध व्यक्तियों को दस्तावेजों की प्रतियों का प्रदाय.– य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का सचिव किसी व्यक्ति द्वारा जो राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण इस अध्याय के अधीन अपील का पुनरीक्षण फाइल करना चाहता है, चाहे गये दस्तावेजों की प्रतियां ारित फीस के संदाय पर जारी करेगा।

5.46. अपील या पुनरीक्षण की प्रक्रिया.– (1) राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण अधिनियम धारा 89 की उप–धारा (1) के अधीन कोई अपील या धारा 90 के अधीन कोई पुनरीक्षण–आवेदन न करने के बाद, अपील या पुनरीक्षण–आवेदन, यथास्थिति, की सुनवाई के लिये समय और स्थान त करेगा और सम्बन्धित अपीलार्थी या आवेदक तथा किसी भी अन्य व्यक्ति को, जो प्रार्थित अनुतोष कार किये जाने पर प्रभावित होने वाला हो, सूचना भेजेगा। ऐसा आवेदक, प्रत्यर्थी या हितबद्ध व्यक्ति करण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, उस मामले से सम्बन्धित मूल ावेजों या अभिलेख के साथ नियत दिनांक को और सुनवाई के स्थान पर, यदि कोई हो, उपसंजात ।

(2) सम्बन्धित राज्य/प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का सचिव ऐसी सूचना मिलने के 14 दिनों के र, किसी अपील या पुनरीक्षण–आवेदन से सम्बन्धित सब मूल दस्तावेज और अभिलेख समुचित सूची त, पृष्ठों पर संख्या लगाकर, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण को, जब उसके द्वारा मंगाये जायें, ा।

(3) The Tribunal may adopt following procedure under sub-section (1) of section 89 or as the case may be to section 90 of the Act and after such further enquiry, if any, as it may consider necessary confirm, vary or set-aside the order against which appeal or revision application is made or pass such other order in relation to the effect of the case as it deems fit and shall make the order accordingly.

(4) The Appellate Tribunal hearing the appeal under the provision of rule 5.46 may, if the applicant succeeds in his appeal or to refund to him whole or part of the fee deposited by him.

5.47. Fixing in advance hours of work.– The Regional transport Authority shall direct the employer of the drivers of the transport vehicles in such as any stage carriage operating solely within the region, or from the Regional to another region, to the satisfaction of the said authority such time table, schedule or regulation, as may be necessary to fix in advance the hours of work of persons employed by him, and upon approval by such authority at time table schedule or regulation as aforesaid in a suitable format, it shall be the records of hours of work fixed for the persons concerned for the purpose of sub-section (3) and sub-section (4) of section 91of the Act.

5.48. Period of rest-Definition of.– (1) Any time spent by a driver of a vehicle on work other than driving in connection with the vehicle or with the load carried or to be carried on the vehicle including any time spent on the vehicle during a journey save as a passengers in a public vehicle shall not, and

(2) Any time spend by the driver of a vehicle on or near the vehicle when it is at rest, when he is at liberty to leave the vehicle for rest and refreshment although required to remain within sight of the vehicle shall be deemed to be an interval of rest for the purposes of clause of sub-section (1) of section 91 of the Act.

5.49. Lost Property.– (1) Where a permit holder or his employee finds any article in his public service vehicle he shall keep the articles for a period of 7 days and shall if the article is not claimed during the said period, hand over the same to the officer incharge of the nearest police station.

(2) Where during the said period the article is claimed by not more than one person the permit holder may after making such enquiry as he deems fit, and if necessary, after taking an indemnity bond from the claimant, handover the article to the claimant.

(3) If the article is claimed by two or more than two persons than the permit holder shall hand over the same to the officer-in-charge if the nearest police-station or for disposal accordingly to law.

5.50. Conduct of person using stage carriage.– (1) If any time a passenger or person using or intending to use a stage carriage,–

(i) obstruct any authorised employee of the permit holder in the execution of his duties; or

(3) अधिकरण अधिनियम की धारा 89 की उप–धारा (1) या धारा 90 के अधीन, यथास्थिति, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेगा और ऐसी जांच के बाद जो वह आवश्यक समझे, उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण–आवेदन किया गया है, पुष्ट, परिवर्तित या अपास्त कर सकेगा या उस मामले प्रभाव के बारे में ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा, जो वह उचित समझे और तदनुसार आदेश देगा।

(4) नियम 5.46 के उपबन्धों के अधीन अपील सुनने वाला अपीलीय अधिकरण, यदि आवेदक भी अपील में सफल रहता है या, तो उसके द्वारा जमा कराई गई सम्पूर्ण फीस या उसके भाग का प्रतिदाय कर देगा।

5.47. काम के घण्टों का अग्रिम नियतन.– प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण केवल प्रदेश में या प्रदेश से दूसरे प्रदेश में प्रचालित होने वाले परिवहन यानों जैसे कोई मंजिली गाड़ी के चालकों के नियोजक को उस प्राधिकरण के समाधान में ऐसी समय सारिणी, अनुसूची या विनियम, जो उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम के घण्टे अग्रिम रूप में तय करने के लिये आवश्यक है, प्रस्तुत करने के लिये निदेश देगा और ऐसे प्राधिकरण के द्वारा समुचित प्ररूप समय सारिणी, अनुसूची या विनियम, जैसा ऊपर कहा गया है, के अनुमोदन के बाद अधिनियम की धारा 91 की उप–धारा (3) और उप–धारा (4) प्रयोजन के लिये सम्बन्धित व्यक्तियों के लिये यह काम के घण्टों का अभिलेख होगा।

5.48. विश्राम की अवधि की परिभाषा.– (1) यान के चालक द्वारा, चालन के अलावा, यान साथ काम पर, या यान पर ले जाये गये या ले जाये जाने के लिये आशयित भार के साथ बिताया गया समय या सार्वजनिक यान में यात्री के रूप में की गई यात्रा के अलावा यात्रा में बिताया गया समय, अधिनियम की धारा 91 की उप–धारा (1) के खंड के प्रयोजन के लिये विश्राम का समय नहीं समझा जायेगा, और

(2) यान के चालक द्वारा यान के ऊपर या समीप बिताया गया समय, जब यान विश्राम पर हो और जब उसे यान को छोड़कर आराम और नाश्ते के लिये जाने की छूट हो, पर वह यान उसकी दृष्टि सीमा के भीतर हो, विश्राम का समय समझा जायेगा।

5.49. खोई हुई सम्पत्ति.– (1) जहां कोई परमिट–धारक या उसका कर्मचारी अपने सार्वजनिक यान में कोई वस्तु पाता है, तो वह उस वस्तु को सात दिन की अवधि के लिये रखेगा और यदि उक्त अवधि के दौरान उसकी कोई मांग नहीं करता, तो वह उसे नजदीक के पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को संभला देगा।

(2) जहां उक्त अवधि के दौरान उस वस्तु को एक व्यक्ति से अधिक द्वारा नहीं मांगा जाता है, तो परमिट–धारक ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे, और यदि आवश्यक हो, तो दावेदार से क्षतिपूर्ति बंध–पत्र लेने के बाद वह वस्तु उस दावेदार को सौंप देगा।

(3) यदि उस वस्तु की दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा मांग की जाती है, तो परमिट–धारक नजदीक के पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी को कानून के अनुसार उसका निपटारा करने के लिये सौंप देगा।

5.50. मंजिली गाड़ी का उपयोग करने वाले व्यक्ति का आचरण.– (1) यदि किसी समय कोई भी या व्यक्ति जो किसी मंजिली गाड़ी का उपयोग कर रहा है या करना चाहता है–

(i) परमिट–धारक के किसी प्राधिकृत कर्मचारी को उसका कर्त्तव्य करने से रोकता है; या

(ii) has bulky luggage of a form or description which obstruct. annoys or inconveniences another passenger or is likely to do so; or

(iii) carries any animal, bird, flesh or fish (other than tinned food in its original packing) any instrument, implements, substance or any other article which annoys or inconveniences or is offensive to any other passenger or is likely to do so; or be so; or

(iv) without lawful excuse occupies any seat exclusively reserved for female passengers; or

(v) sings or plays upon any musical instrument (or operates a transistor or radio);or

(vi) rings without lawful excuse or otherwise interferes with, any signal of the stage carriage; or

(vii) is reasonably suspected to be suffering from any contagious or infectious disease; or

(viii) knowing or intentionally enter a stage carriage which is carrying maximum number of passengers according to the seating capacity specified in the certificate of registration of the vehicle to be carried in excess of the seating capacity of the vehicle; or

(ix) has dress or clothing which is likely to spoil or damage the seat or dress or clothing of another, passenger or which for any other reason is offensive to other passengers; or

(x) commits or abets any breach of the provision of the Act or the rules made thereunder:–

The driver or the conductor may require such person to alight from the vehicle forthwith and may stop the vehicle or keep it stationary until such person is alighted. Such person should not be entitled to a refund of any fare which he may have paid to any person failing to comply whether removed by the conductor or the driver or any Police Officer on being requested by the driver or conductor or any passenger in that behalf and shall be guilty to an offence.

(2) No passenger or person using or intending to use such stage carriage shall:–

(i) refuse to show any ticket on demand by any authorised person; or

(ii) refuse or is unable to pay the legal fare; or

(iii) refuse to pay fresh fare when he has altered or defaced his ticket so as to render the number or any portion thereof illegible; or

(iv) behave in a disorderly manner; or

(v) behave in a manner likely to cause alarm or annoyance to any female passenger; or

(vi) use abusive language; or

(vii) caroleste any other passenger; or

(viii) spit eject betel nut, juice; or

(ii) किसी ऐसे प्रकार या वर्णन का भारी सामान ले जाता है, जो दूसरे यात्रियों को रुकावट डालता है, नाराज करता है या असुविधा पहुंचाता है या ऐसा करने की संभावना है; या

(iii) कोई पशु, पक्षी, मांस या मछली (टीन बन्द खाद्य पदार्थ के सिवाय, जो उसकी असली पैकिंग में हो), कोई औजार, यन्त्र पदार्थ या कोई अन्य चीज ले जाता है, जो किसी दूसरे यात्री को नाराज करे या असुविधा पहुंचाये या उसके लिये घृणा पैदा करे या ऐसा करने की संभावना हो; या जो ऐसा हो; या

(iv) पूर्णतः महिला यात्रियों के लिये सुरक्षित किसी स्थान को बिना किसी कानूनी कारण के रोक लेता है, या

(v) गाता है या किसी संगीत यन्त्र को बजाता है, (या ट्रान्जिस्टर या रेडियो बजाता है) या

(vi) मंजिली गाड़ी के किसी संकेतक बिना किसी कानूनी कारण के बजाता है या उसमें अन्यथा हस्तक्षेप करता है, या

(vii) उस पर युक्तियुक्त रूप से संदेह हो कि वह किसी उड़ने वाली या संक्रमण वाली बीमारी से पीड़ित है; या

(viii) जानबूझकर या इरादतन किसी ऐसी मंजिली गाड़ी में प्रवेश करता है, जो उस यान की बैठक क्षमता से अधिक ले जाये जाने के लिये यान के रजिस्ट्रीकरण–प्रमाण–पत्र में वर्णित बैठक क्षमता के अनुसार यात्रियों की अधिकतम संख्या में यात्री ले जा रहा हो;

(ix) उसकी ड्रेस और कपड़े ऐसे हैं, जिससे सीट या दूसरे यात्री की ड्रेस या कपड़े खराब हो जाने या उनका नुकसान हो जाने की संभावना है या जो किसी अन्य कारण से दूसरे यात्रियों के प्रति घृणा पैदा करने वाले हैं; या

(x) अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का कोई उल्लंघन करता है या करने के लिये प्रेरित करता है,

चालक या परिचालक उस व्यक्ति को यान से तुरन्त नीचे उतरने को कह सकेगा और तब तक यान रोक देगा या खड़ा रखेगा जब तक कि वह नीचे उतर न जाये। वह उस किराये की वापसी का कदार नहीं होगा, जो उसने दिया हो। कोई व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहे, चाहे उसे चालक या रिचालक या उनकी या किसी यात्री की प्रार्थना पर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा हटाया जाये ऐसे किसी राये के, जो उसने किसी भी व्यक्ति को संदत्त किया हो, प्रतिदाय का हकदार नहीं होना चाहिये, और अपराध का दोषी होगा।

(2) कोई यात्री या व्यक्ति जो ऐसे मंजिली यान का उपयोग कर रहा है या करना चाहता है, म्नलिखित कार्य नहीं करेगाः—

(i) किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगने पर टिकट दिखाने से इन्कार करता है; या

(ii) विधिक किराया देने से मना करना या देने में असमर्थ रहना; या

(iii) जब उसने अपने टिकट को परिवर्तित कर या बिगाड़कर उसकी संख्या या किसी भाग को अपठनीय कर दिया हो, तो दुबारा किराया देने से मना करना; या

(iv) अव्यवस्थित तरीके से व्यवहार करना; या

(v) ऐसा व्यवहार करना, जिससे किसी महिला यात्री के साथ भय या घृणा कारित होने की संभावना हो; या

(vi) गाली गलौच की भाषा का प्रयोग करना; या

(vii) किसी अन्य यात्री को तंग करना; या

(viii) थूकना, पान का रस थूकना, या

(ix) smoke in any vehicle on which a notice prohibiting smoking is exhibited; or

(x) enter or leave or attempts to enter or leave any stage carriage while it is in motion, except at bus stop;

(xi) enter or attempts to enter into or alight or attempting to alight from a stage carriage except by the entrance or exit provided for the purpose; or

(xii) continue to remain in the vehicle when it is being filled with fuel; or

(xiii) interfere with the driver of the vehicle; or

(xiv) use or attempts to use a ticket other than the ticket valid for a particular journey or use or attempts to use a ticket which has already been used by another passenger or on another journey; or

(xv) while fully damaged or spoil or remove any fitting in or on the stage carriage or interfere with any light or any part of stage carriage or its equipment; or

(xvi) board a stage carriage unless he is employee of the permit holder or on a bonafide passenger or a intending passengers or hang on to any exterior part of the stage carriage; or

(xvii) travel beyond destination to which the fare he has paid entitle him to travel without informing and paying to the conductor the legal fare for the additional journey, sufficiently in advance, or when so required refuse to get off the stage carriage in which he is travelling at the terminus of the route for which it is booked; or

(xviii) on demand being made by the driver or the conductor or a Police Officer when reasonably suspected or contravening any of the provisions of this rule, refuse to give his correct name and address to such driver or conductor or by Police Officer; or

(xix) on request being made by the conductor refuse to declare to him the journey he intends to take or has taken in the stage carriage, or before leaving the stage carriage, omits to pay to the conductor the legal fare for the whole journey as specified in the table of fares exhibited in the stage carriage.

(3) If at any time a passenger or person using the stage carriage is unable or fails to produce or surrender his ticket on demand during the journey or at the end of journey, by any authorised person, he shall be liable to pay legal fare from the place where the stage carriage originally started or such portion thereof is required by the authorised person.

(4) Every passenger shall be entitled to receive a ticket from the conductor corresponding to the fare paid.

Explanation.– In this rule the expression "Ticket" includes the identity card, seasons ticket, pass or any authorisation issued by the permit holder authorising the person to journey in the stage carriage.

धूम्रपान करना, जब यान में धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगा हो; या

बस–स्टाप के अलावा, किसी मंजिली यान में प्रवेश करना या उतरना या प्रवेश करने या उतरने का प्रयत्न करना, जबकि यान गति पर हो; या

प्रवेश या निकास के प्रयोजन के मार्ग के सिवाय, मंजिली यान में प्रवेश करना या प्रवेश का प्रयत्न करना या उतरना या उतरने का प्रयत्न करना; या

जब यान में ईंधन भरा जा रहा हो, तब यान में बैठे रहना; या

यान के चालक के कार्य में हस्तक्षेप करना; या

(xiv) किसी विशेष यात्रा के लिये मान्य टिकट के अलावा कोई टिकट काम में लेना या लेने का प्रयत्न करना या ऐसे टिकट का प्रयोग करना या प्रयोग करने का प्रयत्न करना, जो किसी दूसरे यात्री द्वारा काम में लिया जा चुका है, या किसी दूसरी यात्रा का टिकट है; या

(xv) किसी मंजिली यान में उसके ऊपर लगी किसी फिटिंग को पूरी तरह नुकसान पहुंचाना, बिगाड़ देना या हटा लेना या मंजिली यान की लाइट या अन्य भाग या उसके उपस्कर (सामान) में हस्तक्षेप करना; या

(xvi) मंजिली यान में घुसना, जबकि वह न तो परमिट–धारक का कर्मचारी है या न सद्भाव यात्री या इच्छुक यात्री है, या मंजिली यान के किसी बाहरी हिस्से पर लटकना; या

(xvii) परिचालक को पर्याप्त समय पूर्व बिना सूचना दिये और विधिक अतिरिक्त किराया दिये उस गन्तव्य स्थान से, जिसका किराया उसने दिया है, आगे तक यात्रा करना, या उस मंजिली यान के मार्ग के अन्तिम स्थान पर जहां तक उसे जाना है, कहने पर भी उतरने से इन्कार कर देना; या

(xviii) चालक या परिचालक या पुलिस अधिकारी द्वारा जब इस नियम के उपबन्धों के उल्लंघन का युक्तियुक्त संदेह होने पर पूछने पर अपना सही नाम व पता ऐसे चालक या परिचालक या पुलिस अधिकारी को बताने से इन्कार कर देना; या

(xix) परिचालक के प्रार्थना करने पर यह बताने से इनकार करना कि वह उस मंजिली यान में कहां की यात्रा करना चाहता है या कर चुका है या मंजिली यान को छोड़ने से पहले परिचालक को पूरी यात्रा के लिये उस मंजिली यान में प्रदर्शित किराया सूची में बताये अनुसार कानूनी किराया नहीं देना।

(3) यदि मंजिली यान का उपयोग करने वाला यात्री या व्यक्ति किसी समय किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा यात्रा के दौरान या अन्त में मांग करने पर अपना टिकट दिखाने या अभ्यर्पण करने में असफल या असमर्थ रहता है तो वह उस स्थान से, जहां से वह मंजिली यान रवाना हुआ था या उसके किसी भाग का, जैसा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा चाहा जाये, विधिक किराया देने के लिये दायी होगा।

(4) प्रत्येक यात्री परिचालक से उसके द्वारा दिये गये किराये के अनुसार टिकट प्राप्त करने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण– इस नियम में, शब्द "टिकट" में पहचान पत्र, सीजन टिकट, पास या कोई प्राधिकार सम्मिलित है, जो परमिट–धारक ने किसी व्यक्ति को मंजिली यान में यात्रा करने के लिये प्राधिकृत करते हुए जारी किया है।

5.51. Additional provisions relating to conduct of passengers and other persons in omnibuses operating in cities.– (1) In this rule unless there is any thing repugnant in the subject or context:–

(a) ***"Company"*** means any person or concern duly authorised to play motor omnibuses in the cities of Rajasthan;

(b) ***"Omnibus"*** means a stage carriage for the conveyance of passengers within a city;

(c) ***"Ticket"*** includes an identity card issued by the company.

(2) No person shall enter, or leave, or attempt to enter or leave any omnibus whilst in motion and except at a bus stop.

(3) No person shall enter into or alight from an omnibus except by the entrance or exit provided for the purpose.

(4) No person shall enter into an omnibus without first permitting all passengers leaving the omnibus to alight.

(5) No person shall knowingly or intentionally enter an omnibus which is carrying the maximum number of passengers according to the limit of the passenger capacity prescribed under these rules.

(6) No passenger or unauthorised person shall mount the driver's platform or talk or interfere with, or otherwise divert the attention of the driver of an omnibus while he is on duty.

(7) No passenger shall obstruct any employee of the company in the execution of his duty on the omnibus.

(8) No passenger shall place his foot upon any seat of an omnibus.

(9) No person (not being an employee of the company) except a bonafide passenger or intending passenger shall board as omnibus and no passenger shall hang on to any exterior part of an omnibus.

(10) Every passenger shall on being so requested by the conductor declare to him the journey he intends to take or has taken in the omnibus and shall before leaving the omnibus pay to the conductor the legal fare for the whole of such journey as specified in the table of fares exhibited in the omnibus and shall be entitled to receive a ticket corresponding thereto from the conductor.

(11) A ticket shall be valid only for the journey during which and by which (the omnibus in which) it has been issued.

(12) No passenger shall travel in an omnibus beyond the destination to which the fare he has paid entitles him to travel without informing and paying to the conductor the legal fare for the additional journey. Every passenger shall when so required get off the omnibus in which he is travelling at the terminus of the route for which it is booked.

(13) If at any time a passenger in an omnibus–

(a) has dress or clothing which is likely to spoil or damage the dress or clothing of another passenger or which for any other reason is offensive to other passenger; or

5.51. नगरों में चलने वाली ओमनी-बसों के यात्रियों व अन्य व्यक्तियों के आचरण सम्बन्धी उपबन्ध.– (1) इस नियम में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न हो:

(क) *"कम्पनी"* से कोई व्यक्ति या समुत्थान अभिप्रेत है, जो राजस्थान के नगरों में मोटर ओमनी बसें चलाने के लिये सम्यक् रूप से प्राधिकृत है;

(ख) *"ओमनी बस"* से नगर के भीतर यात्रियों के वहन के लिये मंजिली यान अभिप्रेत है;

(ग) *"टिकट"* में कम्पनी द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र सम्मिलित है।

(2) जब कोई ओमनी बस गति में हो, तो कोई व्यक्ति उसमें, किसी बस स्टाप के अलावा, प्रवेश करेगा या नहीं उतरेगा या प्रवेश करने या उतरने का प्रयत्न नहीं करेगा।

(3) कोई व्यक्ति किसी ओमनी बस में दिये गये प्रवेश या निकास के अलावा न तो चढ़ेगा और ...गा।

(4) कोई व्यक्ति उन सब यात्रियों को, जो ओमनी बस से उतर रहे हैं, उतर जाने दिये बिना, किसी बस में प्रवेश नहीं करेगा।

(5) कोई व्यक्ति जानबूझकर या साभिप्राय किसी ऐसी ओमनी बस में प्रवेश नहीं करेगा जिसमें ... में निर्धारित यात्री क्षमता की सीमा के अनुसार अधिकतम संख्या में यात्री वहन किये जा रहे हैं।

(6) कोई यात्री या अप्राधिकृत व्यक्ति चालक के प्लेटफार्म पर नहीं चढ़ेगा या जब चालक ड्यूटी ... तो, उससे बात नहीं करेगा, न उसके साथ हस्तक्षेप करेगा, अन्यथा चालक का ध्यान विचलित ...।

(7) कोई यात्री, ओमनी बस पर अपना काम करते समय कम्पनी के किसी कर्मचारी को बाधा नहीं ...येगा।

(8) कोई यात्री ओमनी बस की किसी सीट पर अपने पांव नहीं रखेगा।

(9) सद्भावी यात्री या यात्रा के इच्छुक यात्री के अलावा, कोई व्यक्ति (जो कम्पनी का कर्मचारी ...) ओमनी बस में नहीं रहेगा और कोई यात्री किसी ओमनी बस के बाहरी भाग से नहीं लटकेगा।

(10) प्रत्येक यात्री परिचालक द्वारा ऐसी प्रार्थना करने पर ओमनी बस में जो यात्रा करना चाहता ... कर चुका है उसके बारे में परिचालक को बतायेगा और ओमनी बस को छोड़ने से पहले परिचालक ...सी पूरी यात्रा के लिये ओमनी बस में प्रदर्शित किराया सूची में वर्णित किराया देगा और उससे ...चित टिकिट परिचालक से प्राप्त करने का हकदार होगा।

(11) कोई टिकट केवल उसी यात्रा के लिये मान्य होगा, जिसके दौरान और जिस ओमनी बस ...लिये वह जारी किया गया है।

(12) कोई यात्री किसी ओमनी बस में बिना परिचालक को सूचना दिये और बिना अतिरिक्त यात्रा ...लिये विधिक किराया दिये उस गन्तव्य स्थान से, जिसके लिये उसने किराया दिया है, आगे की यात्रा ... करेगा। प्रत्येक यात्री, जब चाहा जाये, यात्रा के अन्तिम स्थान पर जहां उस बस को जाना है, उस ...नी बस से उतर जायेगा, जिससे वह यात्रा कर रहा है।

(13) यदि किसी ओमनी बस का कोई यात्री किसी समय–

(क) ऐसी ड्रेस या कपड़े पहने हैं जिनसे किसी दूसरे यात्री की ड्रेस या कपड़ों के बिगड़ जाने या नुकसान पहुंचने की संभावना हो या जो किसी अन्य कारण से दूसरे यात्रियों के लिये कष्टकारक हो; या

(b) occupies more than one seat or reserves or attempts to reserve another seat either for himself or for another passenger; or

(c) carries any bird, or fish other than tinned fish in its original packing.

The driver or the conductor, if any, may require such passenger to alight from the omnibus forthwith and may stop and keep it standing until the passenger has alighted. Such passenger shall not be entitled to any refund of the fare which he may have paid and any person failing to comply forthwith such a requirement may be forcibly removed by the driver or conductor or on the request of the driver or conductor or any passenger by any Police Officer and shall be guilty of an offence.

(14) A passenger who is reasonably suspected by the driver or conductor of contravening any of the provisions of this rule shall, on demand being made by the driver or conductor or a Police Officer give his correct name and address to such driver, conductor or Police Officer.

(15) Every omnibus shall carry on it a complaint book in which passengers shall be entitled to record any legitimate complaints in connection with the omnibus service. Such complaints shall be considered by the company.

(16) The provisions of this rule shall apply in respect of omnibuses operating in the cities of Rǻjasthan in additions to those contained in rule 5.50.

(17) A copy of rule 5.50 and this rule in English and in Devnagari shall be carried in a prominent place in every omnibus.

5.52. Conduct of passengers in Motor cabs.– (1) No passenger in a Motor cab shall:–

(i) wilfully or negligently damage the cab or any of its fittings; or

(ii) On termination of the hiring, refuse or omit to pay the legal fare, for the hire of the motor cab as shown by the taxi meter, if any, for hiring by distance, or in other cases by the schedule of fares fixed by a Regional Transport Authority under sub-section (b) of section 94 of the Act nor shall he refuse to supply his correct name and address to the driver in the case of any dispute in connection with the fare.

(2) The driver of a motor cab shall be entitled to charge for detention on after having been hired, and for any package carried in such vehicle in accordance with rates laid down in schedule approved by a Regional Transport Authority.

(3) In the case of a dispute between the driver of a motor cab and the passenger, either party may require the other to proceed to the nearest police station, where the officer in-charge shall, if the dispute is not settled amicably, record the names and addresses alongwith the substance of the respective contention of both the parties.

5.53. Maintenance of complaint book in Stage Carriage.– (1) A bounded complaint book in Form R.S.5.25 duly ruled and pages, signed and stamped with the seal of the manager of the stage carriage service and where there is no manager of stage carriage service, permit holder, approved and countersigned by the Secretary of the Regional Transport Authority concerned shall be maintained by such manager

(ख) एक से अधिक सीटें रोकता है या अपने लिये या किसी दूसरे यात्री के लिये अन्य सीट आरक्षित करता है या आरक्षित करने का प्रयत्न करता है; या

(ग) कोई पक्षी या मछली, अलावा उसके, जो टिन बन्द और असली पैकिंग में हो, ले जाता है, तो चालक या परिचालक, यदि कोई हो, ऐसे यात्री को तुरन्त ओमनी बस से उतर जाने के लिये कहेगा और बस को रोक लेगा और तब तक खड़ी रखेगा, जब तक वह यात्री उतर न जाये। ऐसा यात्री उस किराये को वापस पाने का हकदार नहीं होगा जो उसने दिया था और कोई व्यक्ति इसकी तुरन्त पालना करने में असफल रहता है, तो उसे चालक या परिचालक या किसी यात्री की प्रार्थना पर कोई पुलिस अधिकारी बलपूर्वक हटा सकेगा और वह अपराध के लिये दोषी होगा।

(14) यदि चालक या परिचालक को किसी यात्री द्वारा इस नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन ... युक्तियुक्त संदेह हो, तो चालक, या परिचालक या पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर ...चालक, परिचालक या पुलिस अधिकारी को अपना सही नाम और पता देना होगा।

(15) प्रत्येक ओमनी बस में एक शिकायत पुस्तिका होगी, जिसमें यात्री उस ओमनी बस सेवा के ... कोई उचित शिकायत लेखबद्ध करने के हकदार होंगे। ऐसी शिकायत स्पष्ट रूप से लिखी ... और उस पर शिकायतकर्त्ता के हस्ताक्षर, अपना पता देते हुए, होंगे और इन पर कम्पनी द्वारा ...किया जायेगा।

(16) इस नियम के उपबन्ध राजस्थान के शहरों में चलने वाली ओमनी बसों के सम्बन्ध में नियम ...में अन्तर्विष्ट नियमों के अतिरिक्त लागू होंगे।

(17) नियम 5.50 तथा इस नियम की अंग्रेजी में और देवनागरी में एक प्रति प्रत्येक ओमनी बस ...सी मुख्य स्थान पर लगाई जायेगी।

5.52. मोटर-कैबों में यात्रियों का आचरण.— (1) कोई यात्री किसी मोटर–कैब में–

(i) जानबूझकर या लापरवाही से कैब या उसकी किसी फिटिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचायेगा; या

(ii) किरायेदारी के समाप्त हो जाने पर मोटर–कैब को किराये पर लेने का विधिक किराया देने से इन्कार नहीं करेगा, न उसे टालेगा, जैसा टैक्सी मोटर, यदि कोई हो, में उस दूरी के लिये दिखाया गया है या अन्य मामलों में अधिनियम की धारा 94 की उप–धारा (ख) के अधीन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने किराया सूची के द्वारा निश्चित किया है। किराये के बारे में कोई विवाद होने के मामले में वह अपना सही नाम और पता चालक को बताने या देने से इनकार नहीं करेगा।

(2) मोटर–कैब का चालक उसे किराये पर देने के बाद प्रतीक्षा के लिये और ऐसे यान में कोई ...मान ले जाने के लिये ऐसे प्रभार पाने का हकदार होगा, जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा ...नुमोदित अनुसूची में दी गई दरों के अनुसार होगा।

(3) मोटर–कैब के चालक और यात्री के बीच किसी विवाद के मामले में, कोई भी एक पक्षकार ...सरे से नजदीक के पुलिस स्टेशन चलने की अपेक्षा कर सकेगा, जहां भारसाधक अधिकारी, यदि विवाद ...आसानी से नहीं निपटता है, तो दोनों पक्षकारों के नाम और पते, उनके सम्बन्धित कथनों के सारांश के ... अभिलिखित करेगा।

5.53. मंजिली गाड़ी में शिकायत पुस्तिका का संधारण.— (1) एक सजिल्द शिकायत पुस्तिका ...प आर.एस. 5.25 में लाइनदार, पृष्ठांकित और मंजिली गाड़ी सेवा के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित और ...ांकित और जहां मंजिली गाड़ी सेवा का कोई प्रबन्धक नहीं हो, तो परमिट–धारक द्वारा अनुमोदित ...र सम्बन्धित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ऐसे प्रबंधक या परमिट–धारक द्वारा,

or the permit holder, as the case may be, at such bus stands as may be approved by the Regional Transport Authority and also in every stage carriage to enable the passenger to record any legitimate complaint in connection with the stage carriage service :

Provided the driver and conductor of stage carriage shall ensure prior to starting driving that the stage carriage is provided with the prescribed complaint book.

(2) Such complaint shall be written correctly and in legible manner and the complainant shall also correctly and legibly record in the complaint book his name and address and the date on which such complaint is written.

(3) The manager of the stage carriage service or the stage carriage permit holder, as the case may be, shall promptly look into every complaint recorded in the complaint book, remove the cause of complaint or its reoccurrence and submit with in a month of the recording of the complaint explanation to the Regional Transport Authority which granted the permit together with a copy of the complaint stating the action taken by him in connection with the complaint. A copy of the report shall be forwarded by he manger of the stage carriage service or the stage carriage permit holder, as the case may be to the complainant,.

(4) The complaint book shall be so securely kept in the stage carriage and at the bus stand, as the case may be, as it cannot be removed and shall all time be made available by the driver and the conductor, if any, of the stage carriage to any person desiring to record the complaint or to any officer of the Motor Vehicle Department, not below the rank of Motor Vehicles Sub-Inspector for the purpose of his inspection. If the complaint book is lost, destroyed, the manager of the stage carriage service or the stage carriage permit holder, as the case may be, shall within one week of such lost or destruction intimate the fact in writing to the Secretary of the Regional Transport Authority and shall obtain at once another complaint book.

5.54. Children and infants carriages in a public service-Vehicle of.– In relation to the number of persons that may be carried in a public service vehicle;–

(i) a child of not more than twelve years of age shall be reckoned as one-half, and

(ii) a child of upto three years of age shall not be reckoned being an infant.

5.55. Disinfection of the public service vehicles.– (1) No person shall drive any public service vehicle and no owner of a public service vehicle shall cause or allow such vehicle to be used unless once in every two months it is disinfected with D.D.T. or any other liquid insecticide, approved for the purpose by the Director, Medical and Health to the Government of Rajasthan.

(2) The owner of Public Service vehicle shall maintain and on demand by an Inspector of Motor Vehicle produce for inspection the current register showing the date on which the public service vehicle was disinfected from time to time, to the satisfaction of the Authority.

5.56. Carriage of persons in goods vehicles.– (1) Save in the case of vehicle which is used for the carriage of troops or police or a stage carriage in which goods are being carried in addition to passengers, no person shall be carried in goods vehicle other than bonafide employee of the owner or the hirer of the vehicle except in accordance with this rule.

यथास्थिति, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ऐसे बस स्टेण्डों पर और प्रत्येक मंजिली गाड़ी में भी संधारित की जायेगी, जिसमें मंजिली गाड़ी सेवा से सम्बन्धित कोई उचित शिकायत यात्री लेखबद्ध कर सकेगा:

परन्तु किसी मंजिली गाड़ी के चालक और परिचालक उस मंजिली गाड़ी को चलाने के पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि मंजिली गाड़ी में विहित शिकायत पुस्तिका की व्यवस्था कर दी गई है।

(2) ऐसी शिकायत सही और पठनीय रूप से लिखी जायेगी और शिकायतकर्त्ता शिकायत पुस्तिका में अपना नाम और पता और शिकायत लिखने की दिनांक सही और पठनीय रूप से लिखेगा।

(3) मंजिली गाड़ी सेवा का प्रबंधक या मंजिली गाड़ी का परमिट–धारक, यथास्थिति, शिकायत पुस्तिका में लिखी गई प्रत्येक शिकायत पर तुरन्त विचार करेगा, शिकायत के हेतु को दूर करेगा या उसकी पुनरावृत्ति न होने देगा और शिकायत लेखबद्ध होने से एक माह के भीतर अपने स्पष्टीकरण सहित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को, जिसने परमिट दिया था, शिकायत की प्रति के साथ, उसके बारे में की गई कार्रवाई बताते हुए, प्रस्तुत करेगा। मंजिली गाड़ी सेवा के प्रबन्धक या मंजिली गाड़ी के परमिट–धारक, यथास्थिति, द्वारा इस रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्त्ता को अग्रेषित की जायेगी।

(4) शिकायत पुस्तिका मंजिली गाड़ी में और बस स्टैण्ड पर, यथास्थिति, इतनी सुरक्षा से रखी जायेगी कि उसे हटाया न जा सके और हर समय चालक और परिचालक, यदि कोई हो, द्वारा किसी व्यक्ति को, जो शिकायत अंकित करना चाहता है या मोटर यान विभाग के किसी अधिकारी को, जो मोटर यान उप–निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो, उसके निरीक्षण के प्रयोजन से उपलब्ध कराई जायेगी। यदि शिकायत पुस्तिका खो गई या नष्ट हो गई हो, तो मंजिली गाड़ी सेवा का प्रबन्धक या मंजिली गाड़ी का परमिट–धारक, यथास्थिति, ऐसे खो जाने या नष्ट हो जाने के एक सप्ताह के भीतर इस तथ्य की लिखित में सूचना सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को देगा और तुरन्त दूसरी शिकायत पुस्तिका प्राप्त करेगा।

5.54. सार्वजनिक सेवायान में बच्चों और शिशुओं का वहन.– (1) किसी सार्वजनिक यान में ले जाये जा सकने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में:–

(i) बच्चा जो बारह वर्ष से अधिक आयु का नहीं है, आधा गिना जायेगा, और

(ii) तीन वर्ष की आयु तक का बच्चा एक शिशु होने के कारण नहीं गिना जावेगा।

5.55. सार्वजनिक सेवा यान को कीटाणु रहित करना.– (1) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक सेवा यान को नहीं चलायेगा और किसी सार्वजनिक सेवा यान का स्वामी ऐसे यान को काम में नहीं लेगा, न काम में लेने की अनुमति देगा, जब तक प्रत्येक दो महीनों में एक बार डी.डी.टी. या निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित किसी कीटाणुनाशक द्रव्य के द्वारा कीटाणु रहित न कर दिया गया हो।

(2) सार्वजनिक सेवा यानों का स्वामी चालू रजिस्टर संधारित करेगा और मोटर यान निरीक्षक की मांग पर निरीक्षण के लिये पेश करेगा, जिसमें वे दिनांक दिखाई जायेंगी, जिनको वह सार्वजनिक सेवा यान समय–समय पर प्राधिकारी के समाधान के लिये कीटाणु रहित किया गया।

5.56. मालयानों में व्यक्तियों का वहन.– (1) सेना या पुलिस का वहन करने के काम में आने वाले यानों को या मंजिली गाड़ी को जिसमें यात्रियों के अलावा माल ले जाया जाता है, छोड़कर, किसी मालयान में, यान के स्वामी या यान को किराये पर लेने वाले के सद्भावी कर्मचारी के अलावा किसी व्यक्ति को, सिवाय इस नियम के अनुसार, नहीं ले जाया जायेगा।

(2) No person shall be carried in the cab of goods vehicle beyond the number of for which there is a seating accommodation at the rate of 38 cms. measured alongwith the seat, excluding the space reserved for the driver, for each person. The total number of persons so carried-

(i) In the light Transport Vehicle having G.V.W. less than 990 kgs. not more than one.

(ii) In any other light Transport ....Vehicle-not more than three

(iii) In any goods vehicle other than light transport vehicle-not more than six.

(3) No person shall be carried upon goods or otherwise in such a manner that such person is in danger or falling from the vehicle, in such a manner that any part of his body when he is in sitting position is at the height exceeding 3 mtrs. from the surface upon which the vehicle rests.

(4) Notwithstanding the provision of sub-rule (2), the Regional Transport Authority may as a condition of the permit grant for any goods vehicle specify the condition subject to which the larger number of persons may be carried in the vehicle, unless an area of not less than 0.40 sq.mtr.of the floor of the vehicle is kept open for each person.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) & (2), subject to the provision of sub-rule (3) & (4):-

(i) for the purpose of celebration in connection with the Republic Day or Independence Day.

(ii) when it is considered expedient in the public interest in respect of the vehicles owned or hired by it and in respect of other Vehicles of such incapable ground of urgent nature to be specified in the order the State Government may by general or special order permit goods vehicles to be used for carriage of persons for the purposes aforesaid and subject to such condition as may be specified in the order.

(6) Nothing contained in these rules shall be deemed to authorise the carriage of any person for hire or reward on any vehicle, unless there is enforce, in respect of the vehicle, the permit authorising the use of the vehicle for such purpose, and save in accordance with the provisions of such permit.

5.57. Duty to carry goods by goods carriage.– A public carrier shall not, save for reasonable and lawful excuse, refuse to carry any goods of any person tendering the same for not less than the maximum freight, if any, permit under section 67 of the Act.

5.58. Stands and halting places.– (1) A Regional Transport Authority or District Collector & District Magistrate by notification in the Rajasthan Gazette, or by the erection of traffic signs which are permitted for the purpose under sub-section (1) of section 116 of the Act, or both, may, in respect of the taking up or setting down of passengers or both, by public service vehicles or by any specified class of public service vehicles–

(i) conditionally or unconditionally prohibit the use of any specified place or of any place of a specified nature or class, or

(2) कोई व्यक्ति मालयान के केबिन में उस संख्या से अधिक नहीं ले जाया जायेगा, जिसके लिये बैठक के साथ मापते हुए 38 सेन्टीमीटर की दर से, चालक के लिये सुरक्षित यान को छोड़ते हुए, का स्थान है। इस प्रकार ले जाये जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या

(i) हलके परिवहन यान में, जिसमें सकल यान वजन G.V.W. 990 किलोग्राम से अधिक नहीं है .... एक से अधिक नहीं।

(ii) किसी दूसरे हलके परिवहन यान में तीन से अधिक नहीं।

(iii) किसी अन्य मालयान में, जो हलके परिवहन यान के अलावा हो–छः से अधिक नहीं।

(3) कोई व्यक्ति माल के ऊपर या अन्यथा इस प्रकार से नहीं ले जाया जायेगा कि ऐसे व्यक्ति यान पर से गिर जाने का खतरा हो, इस प्रकार से कि उसके शरीर का कोई भाग, जबकि वह बैठी स्थिति में हो, तो उस धरातल से, जिस पर वह खड़ा है, 3 मीटर से अधिक ऊंचा हो।

(4) उप–नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण किसी मालयान लिये परमिट की शर्त के रूप में उस शर्त को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके अध्यधीन यान में अधिक संख्या में व्यक्तियों को ले जाया जा सकेगा, जब तक कि यान के आंगन के क्षेत्रफल का 0.40 वर्ग मीटर से अनधिक स्थान प्रति व्यक्ति खुला न रखा गया हो।

(5) उप–नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी और उप–नियम (3) और (4) के उपबन्धों के अध्यधीन–

(i) गणतन्त्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस से सम्बन्धित समारोहों के प्रयोजन के लिये।

(ii) जब यह लोकहित में समीचीन समझा जाये, अपने स्वामित्व के या किराये पर लिये यानों के मामले में और उन अन्य यानों के बारे में जो अर्जैण्ट प्रकृति के ऐसे असमर्थ आधार पर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश से माल यान को उपरोक्त प्रयोजनों के लिये ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, व्यक्तियों को लाने ले जाने के उपयोग में लेने की अनुमति दे सकेगी।

(6) इन नियमों में दी गई कोई बात ऐसी नहीं समझी जावेगी, जो किसी यान पर भाड़े या पारिश्रमिक के किसी व्यक्ति को ले जाने के लिये प्राधिकृत करती हो, जब तक कि उस यान के सम्बन्ध में, प्रभावी परमिट न हो, जिसमें ऐसे प्रयोजन के लिये यान का उपयोग, सिवाय ऐसे परमिट के उपबन्धों के अनुसार, प्राधिकृत किया गया हो।

5.57. माल वाहक द्वारा माल ले जाने का कर्त्तव्य.– कोई सार्वजनिक वाहक, युक्तियुक्त और विधिक कारण को छोड़कर, किसी व्यक्ति का कोई माल ले जाने से इन्कार नहीं करेगा, जो अधिनियम की धारा 67 द्वारा अनुज्ञेय अधिकतम से अन्यून भाड़ा निविदत्त कर रहा हो।

5.58. बस अड्डा और ठहराव के स्थान.– (1) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या ऐसे यातायात संकेत खड़े करके, जो अधिनियम की धारा 116 की उप–धारा (1) के अधीन इस प्रयोजन के लिये अनुज्ञेय हैं, या दोनों के द्वारा, सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा या किसी विशेष श्रेणी के सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रियों को उतारने या चढ़ाने या दोनों के बारे में–

(i) सशर्त या बिना शर्त किसी विनिर्दिष्ट स्थान का या किसी विनिर्दिष्ट प्रकार या श्रेणी के स्थान का उपयोग करने का निषेध कर सकेगा, या

(ii) require that within the limits of any municipality or within such other limits, as may be specified in the notification, certain specified stands or halting places only shall be so used :

Provided that no place which is privately owned shall be so notified except with the previous consent in writing of the owner thereof.

(2) When a place has been notified or has been demarcated by traffic signs or both, as being a stand or halting place for the purpose of this rule, then, notwithstanding that the land is in possession of any person the place shall, subject to the provisions of these rules, be deemed to be a public place within the meaning of the Act, and the Regional Transport Authority or District Collector & District Magistrate may enter into agreement with or grant a licence to any person for the provisions or maintenance of such place including the provision or maintenance of the buildings or works necessary thereto subject to the termination of the agreement or licence forthwith, upon the breach of any condition thereof and may otherwise make rules or give directions for the conduct of such place including rules or directions:-

(i) Prescribing the fees to be paid by the owners of public service vehicles using the place and providing for the receipt and disposal of such fees;

(ii) specifying the public service vehicles or class of public service vehicles which shall use the place or which shall not use the place;

(iii) appointing a person to be the manager of the place and specifying the powers and duties of the manager;

(iv) requiring the owner of the land, or the local authority, as the case may be, to erect such shelters, lavatories and latrines and to execute such other works, as may be specified in the rules or directions and to maintain the same in a serviceable, clean and sanitary condition;

(v) prohibiting the use of such place by specified persons or by other than specified persons.

(3) Nothing in sub-rule (2) shall require any person owning the land which has been appointed as a stand or halting place, to undertake any work or incur any expenditure in connection therewith without his consent, and in the event of any such person declining to carry out such work or to incur such expenditure or failing to comply with any rule or direction made or given to him under this rule, the competent Authority may prohibit the use of such a place for the purposes of this rule.

5.59. Returns to be furnished in respect of Transport Vehicles.- (1) The Regional Transport Authority may by general or special order require the owners of transport vehicles-

To maintain record, and submit returns in respect of the vehicles in such form and by such dates as the Regional Transport Authority may specify and such records and returns may include all or any of the following particulars:-

(i) the registration number of the vehicle;

(ii) यह अपेक्षा कर सकेगा कि किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर या ऐसी अन्य सीमाओं के भीतर, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें कुछ विनिर्दिष्ट बस अड्डे या विराम स्थल ही केवल इस प्रकार काम में लिये जायेंगे:

परन्तु कोई स्थान, जो किसी के निजी स्वामित्वाधीन है, उसके स्वामी की लिखित में पूर्व सहमति सिवाय, इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया जायेगा।

(2) जब कोई स्थान इस नियम के प्रयोजन के लिये बस–अड्डे या विराम स्थल के रूप में सूचित कर दिया गया है या यातायात संकेतों द्वारा चिन्हित कर दिया गया है या दोनों द्वारा, तो बात के होते हुए भी कि वह भूमि किसी व्यक्ति के कब्जे में है, इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन हुए वह स्थान अधिनियम के अर्थ में सार्वजनिक स्थान समझा जायेगा और प्रादेशिक परिवहन करण या जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के साथ ऐसे स्थान की व्यवस्था और धारण के लिये, उसके लिये आवश्यक भवनों या निर्माण कार्यों की व्यवस्था या संधारण सहित, करार सकेंगे या लाइसेंस स्वीकृत कर सकेंगे। यह उस करार या लाइसेंस को उसकी शर्तों का भंग होने तुरन्त समाप्त करने के अध्यधीन होगा और अन्यथा इसके लिये नियम बना सकेंगे या ऐसे स्थान संचालन के लिये निदेश दे सकेंगे जिसमें निम्नलिखित के बारे में नियम या निदेश सम्मिलित होंगे

(i) सार्वजनिक सेवा यानों के स्वामियों द्वारा उस स्थान का उपयोग करने के लिये दी जाने वाली फीस विहित करना और ऐसी फीस की प्राप्ति और निस्तारण के उपबन्ध करना;

(ii) ऐसे सार्वजनिक सेवा यानों या सार्वजनिक सेवा यानों की श्रेणी विनिर्दिष्ट करना, जो उस स्थान का उपयोग करेंगे या जो उस स्थान का उपयोग नहीं करेंगे;

(iii) किसी व्यक्ति को उस स्थान का प्रबन्धक नियुक्त करना और प्रबन्धक की शक्तियां और कर्त्तव्य विनिर्दिष्ट करना;

(iv) उस भूमि के स्वामी या स्थानीय प्राधिकरण, यथास्थिति, से ऐसे आश्रय स्थल, मूत्रालय और शौचालय बनाने और अन्य ऐसे निर्माण कार्य करने, जैसा नियमों या निदेशों में विनिर्दिष्ट किया जाये और उनको सेवा योग्य, साफ व स्वास्थ्यप्रद दशा में रखने की अपेक्षा करना;

(v) विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा या विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के द्वारा ऐसे स्थान का उपयोग करने का निषेध करना।

(3) उप–नियम (2) में से कुछ भी किसी व्यक्ति से, जिसके वह भूमि स्वामित्व की है, और जिसे बस अड्डा या विराम स्थल नियत किया गया है, उसकी सहमति के बिना यह अपेक्षा नहीं करेगा कि कोई निर्माण कार्य हाथ में ले या उसके बारे में कोई खर्च करे और जब कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा निर्माण कार्य करने से या ऐसा खर्च करने से इन्कार करे या इस नियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी निदेश की पालना करने में असफल रहे तो सक्षम प्राधिकारी इस नियम के प्रयोजनार्थ ऐसे स्थानों का उपयोग प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

5.59. परिवहन-यानों के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां.– (1) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सामान्य या विशेष आदेश द्वारा परिवहन यानों के स्वामियों से अभिलेख

रखने और ऐसी दिनांकों तक जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, यानों के बारे में विवरणियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा। ऐसे अभिलेख और विवरणियों में निम्नलिखित विशिष्टियों में से सब या कोई सम्मिलित की जा सकेगी–

(i) यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या;

(ii) the name and address of the permit holder;

(iii) the type of permit held, permanent/temporary;

(iv) the date of each journey undertaken;

(v) the name and licence number of the driver and conductor and other attendant, if any;

(vi) the place of origin and destination of the goods vehicle;

(vii) the time of commencement and termination of the journey and of every halt thereon;

(viii) the route upon which or the area within which the vehicle is used;

(ix) the serial number of the trip;

(x) the description of the goods carried in each trip (each commodity to be shown separately), and the number of packages of each commodity received from each consignor;

(xi) the name and address of the consignor and consignee for each commodity;

(xii) the name and address of the booking, forwarding or collecting agencies for each commodity;

(xiii) the weight in quintals of each commodity;

(xiv) the total maximum weight of the goods carried in the vehicle in each trip;

(xv) the number of kilometers travelled between the places of origin and destination in respect of each commodity;

(xvi) the quintal and kilometers performed in respect of each commodity (item xii and xv);

(xvii) the fright leviable in respect of each consignor or consignee for each commodity;

(xviii) the freight charged for each commodity;

(xix) the volume of traffic carried by the vehicle during the year in metric tonnes;

(xx) in the case of goods carried in a stage carriage the number of trips and kilometers travelled to be given separately when the goods were carried exclusively in the stage carriage, and when the goods were in addition to passengers, and, in the latter case, also the number of seats available for passengers;

(2) To issue to each consignor a receipt in respect of every consignment received by or on behalf of the owner of a transport vehicle, showing details regarding the date of receipt of the goods, particulars of such goods commodity wise, place from which and destination to which the goods are to be carried and freight charged in respect of each commodity.

(3) No owner or other person shall cause or allow any person to drive a transport vehicle unless the owner or other person, has in his possession a record in writing of the name and address of the driver as set forth in his driving licence, the number of the licence and the name of the authority by which it was issued.

(4) No person shall drive a goods vehicle and no owner or other person shall cause or allow any person to drive such a vehicle unless the driver carries a way bill containing all or any of the particulars which may be specified by the Regional Transport Authority under sub-rule (1).

(ii) परमिट-धारक का नाम व पता;

(iii) धारित परमिट का प्रकार स्थायी/अस्थायी;

(iv) की गई प्रत्येक यात्रा की दिनांक;

(v) चालक, परिचालक और अन्य परिचर, यदि कोई हो, के नाम व लाइसेंस का क्रमांक;

(vi) मालयान का मूल स्थान और गन्तव्य स्थान;

(vii) यात्रा के प्रारम्भ और समाप्ति और प्रत्येक विराम का समय;

(viii) मार्ग जिस पर या क्षेत्र जिसमें यान का उपयोग किया जावे;

(ix) ट्रिप की क्रम संख्या;

(x) प्रत्येक ट्रिप में ले जाये गये माल का विवरण (प्रत्येक वस्तु अलग से दिखाई जाये) और प्रत्येक परेषक से प्राप्त प्रत्येक वस्तु के पैकेजों की संख्या;

(xi) प्रत्येक वस्तु के परेषक और परेषिती का नाम और पता;

(xii) प्रत्येक वस्तु के लिये बुक करने, अग्रेषित करने या संग्रह करने वाली एजेन्सी का नाम और पता;

(xiii) प्रत्येक वस्तु का भार, क्विंटलों में;

(xiv) यान में प्रत्येक ट्रिप में ले जाये गये माल का कुल अधिकतम भार;

(xv) प्रत्येक वस्तु के बारे में मूल स्थान से गन्तव्य स्थान के बीच यात्रा के किलोमीटरों की संख्या;

(xvi) प्रत्येक वस्तु के बारे में क्विंटल और किलोमीटर मद (xii और xv);

(xvii) प्रत्येक वस्तु के लिये प्रत्ये परेषक या परेषिती के बारे में उद्ग्रहणीय भाड़ा;

(xviii) प्रत्येक वस्तु के लिये प्रभारित भाड़ा;

(xix) वर्ष भर में यान द्वारा ले जाये गये यातायात का भार, मैटरिक टनों में;

(xx) मंजिली गाड़ी में माल ले जाने की दशा में, ट्रिपों और किलोमीटरों की संख्या अलग दी जानी है, जब मंजिली गाड़ी में केवल माल ले जाया गया और जब माल यात्रियों के अतिरिक्त ले जाया गया और पश्चात्वर्ती मामले में, यात्रियों के लिये उपलब्ध सीटों की संख्या भी दी जायेगी।

(2) प्रत्येक परेषक को प्रत्येक बोझा परेषण प्राप्त करने की परिवहन यान के स्वामी की ओर से एक रसीद जारी की जायेगी, जिसमें माल प्राप्ति की दिनांक, वस्तुवार ऐसे माल का विवरण, स्थान जहां से गन्तव्य स्थान तक माल ले जाया जाना है और प्रत्येक वस्तु के लिये गये भाड़े का विवरण दिखाया जायेगा।

(3) मालिक या अन्य कोई व्यक्ति तब तक किसी व्यक्ति से परिवहन यान नहीं चलवायेगा या चलाने की अनुमति नहीं देगा, जब तक वह मालिक या अन्य व्यक्ति अपने कब्जे में चालक के लाइसेंस में दिये गये नाम, पता, लाइसेंन्स संख्या और जारी करने वाले प्राधिकारी के नाम का लिखित में एक अभिलेख नहीं रख ले।

(4) कोई व्यक्ति तब तक मालयान नहीं चलायेगा और कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति तब तक ऐसा यान नहीं चलवाएगा या चलाने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किये गये सारे या कोई विवरणों सहित "मार्ग बिल" चालक के पास न हो।

(5) The records required to be maintained under this rule shall be produced for the inspection on demand by any Police Officer, not below the rank of Sub-Inspector or an officer of the Motor Vehicles Department.

5.60. Permit holder-change of address of.– (1) If the holder of a permit ceases to reside or to have his place of business, as the case may be, at the address set forth in the permit, he shall within fourteen days, send part A of the permit to the Transport Authority by which the permit was issued, intimating the new address.

(2) Upon receipt of intimation under sub-rule (1), the Regional Transport Authority or the State Transport Authority, as the case may be, shall after making such enquiries, as the authority deems fit, enter in the permit the new address and shall intimate the particulars to the authority of any region in which the permit is valid by virtue of countersignature or otherwise.

5.61. Public Service vehicle intimation of damage to or failure of.– (1) The holder of any stage carriage permit or any contract carriage permit in respect of a particular vehicle by reference to the registration mark shall, within seven days of occurrence, report in writing to Transport Authority by which the permit was issued, any failure of, or damage to, such vehicle or to any part thereof of such a nature as to render the vehicle unfit for use in accordance with the conditions of the permit for a period exceeding three days.

(2) The holder of any permit in respect of a service of stage carriage shall, within seven days of occurrence, report in writing to the Transport Authority by which the permit was issued, any failure of, or damage to, any vehicle used by him under the authority of the permit, of such a nature as to prevent the holder from complying with any of the provisions of conditions of the permit for a period exceeding three days.

(3) Upon receipt of a report under the preceeding sub-rules the Transport Authority by which the permit was issued, may subject to the provisions of rules 5.31 & 5.32.

- (i) direct the holder of the permit within such period not exceeding two months from the date of occurrence, as the authority may specify either to make goods the damage to or failure of the vehicle, or to provide a substitute vehicle, or
- (ii) if the damage to or failure of, the vehicle is such that in the opinion of the said Authority, it cannot be made good within a period of two months from the date of occurrence, direct the holder of the permit to provide a substitute vehicle, and, when the holder of the permit fails to comply with any such direction may suspend, cancel or vary the permit accordingly.

(4) The Transport Authority giving a direction of suspending, cancelling or varying a permit under sub-rule (3), shall send intimation of the fact to the Transport Authority of any other region in which the permit is valid by virtue of countersignature or otherwise.

(5) इस नियम के अधीन संधारण किये जाने के लिये अपेक्षित अभिलेख किसी पुलिस अधिकारी जो उप–निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो या मोटर यान विभाग के किसी अधिकारी के मांगने पर निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किया जावेगा।

5.60. परमिट-धारक के पते में परिवर्तन.— (1) यदि कोई परमिट–धारक परमिट में दिये गये पते पर रहना बन्द कर देता है या वहां अपना व्यापार स्थान नहीं रखता है, यथास्थिति, तो वह चौदह दिन के भीतर नये पते की सूचना देते हुए परमिट का भाग 'क' परिवहन प्राधिकरण को भेजेगा, जिसने वह परमिट जारी किया था।

(2) उप–नियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण, यथास्थिति, ऐसी आवश्यक जांच पड़ताल करने के बाद जो वह प्राधिकरण उचित समझे, परमिट में नया पता अंकित करेगा और उसका विवरण उस प्रदेश के प्राधिकरण को सूचित करेगा, जिसमें वह परमिट प्रतिहस्ताक्षर के कारण या अन्यथा मान्य है।

5.61. सार्वजनिक सेवा यान को नुकसान होने या उसके खराब होने की सूचना.— (1) किसी मंजिली गाड़ी के परमिट या किसी ठेका गाड़ी के परमिट का धारक किसी विशेष यान के बारे में उसके रजिस्ट्रीकरण–चिन्ह का संदर्भ देते हुए, घटना के सात दिनों के भीतर, उस परिवहन प्राधिकरण को जिसने वह परमिट जारी किया था, ऐसे यान या उसके किसी प्रकार के भाग के खराब हो जाने या उसे नुकसान हो जाने की सूचना लिखित में देगा, जिससे वह यान परमिट में दी गई शर्तों के अनुसार तीन दिनों से अधिक अवधि के लिये उपयोग में लेने के लिये अयोग्य हो गया हो।

(2) मंजिली गाड़ी की सेवा के बारे में परमिट–धारक, घटना के होने के सात दिनों के भीतर, उस परिवहन प्राधिकरण को जिसने वह परमिट जारी किया था, परमिट के प्राधिकार के अधीन उसके द्वारा उपयोग में लिये गये किसी यान के खराब हो जाने या उसको नुकसान हो जाने की सूचना लिखित में देगा, जो इस प्रकार का है कि तीन दिनों से अधिक की अवधि के लिये परमिट–धारक उस परमिट की शर्तों के किसी उपबन्ध की पालना करने से प्रवारित रहेगा।

(3) पूर्ववर्ती उप–नियमों के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर वह परिवहन प्राधिकरण जिसने वह परमिट जारी किया था, नियम 5.31 और 5.32 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए—

(i) परमिट–धारक को निदेश देगा कि घटना की दिनांक से दो माह से अनधिक की अवधि में, जैसा वह प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, या तो उस यान के नुकसान या असफलता को ठीक करे या दूसरे यान की व्यवस्था करे, या

(ii) यदि यान का नुकसान या असफलता ऐसी है कि उक्त प्राधिकरण के अभिमत में उस घटना की दिनांक से दो माह के भीतर की अवधि में ठीक नहीं की जा सकती, तो वह परमिट–धारक को दूसरे यान की व्यवस्था करने का निदेश देगा और जब वह परमिट–धारक ऐसे किसी निदेश का पालन करने में असफल रहता है, तो तद्नुसार परमिट को निलम्बित, रद्द या परिवर्तित कर सकेगा।

(4) उप–नियम (3) के अधीन परमिट को निलम्बित करने, रद्द करने या परिवर्तन करने का निदेश देते हुए परिवहन प्राधिकरण इस तथ्य की सूचना किसी दूसरे प्रदेश के परिवहन प्राधिकरण को देगा, जिसमें वह परमिट प्रतिहस्ताक्षर के कारण या अन्य आधार पर मान्य है।

5.62. Alteration of Motor Vehicle.– (1) Further to the provisions of section 52 of the act, the owner of a Transport vehicle, or if the owner is not the holder of the permit, holder of the permit shall, at the same time as the report required by that section is made to the Registering Authority, forward copy thereof to the Transport Authority by which the permit relating to the vehicle was granted or in the case of a permit relating to a service of stage carriages, to the Transport Authority by which the permit was granted under which the vehicle is being used.

(2) Upon receipt of a report under sub-rule (1) the Transport Authority by which the permit was granted may, if the alteration is such as to contravene any of the provisions or conditions of the permit–

(i) vary the permit accordingly; or

(ii) require the permit holder to provide a substitute vehicle within such period, as the Authority may specify and, if the holder fails to comply with such requirement, cancel or suspend the permit.

(3) A Transport Authority varying, suspending or cancelling a permit or causing another vehicle to be substituted for a vehicle covered by a permit, shall intimate all particulars to the Transport Authority of any other region in which the permit is valid by virtue of countersignature or otherwise.

5.63. Provision as to trailers.– (1) No trailer other than the trailing-half of an articulated vehicle shall be attached to a public service vehicle.

(2) Save in the case of a trailer being used for the carriage of troops or police, no person other than the attendant or attendants required by rule 7.57 shall be carried on a trailer.

(3) Subject to the provisions of sub-rule (2), all the provisions of these rules relating to a goods carriage shall apply to any trailer used for the purpose of a goods carrier.

(4) The State Transport Authority or Regional Transport Authority granting or countersigning a goods carriers permit may require as a condition of the permit or of the countersignature, as the case may be, that no trailer, or that not more than one trailer, or that no trailer of a specified description shall be attached to any transport vehicle covered by the permit.

5.64. Distinguishing boards for goods vehicle.– Every goods transport vehicle shall carry in a prominent place on the front of the vehicle a distinguishing board in regional language or in Hindi with the letters 'Goods Carriers' painted in black and white back ground. The height and width of each letter shall not be less than 127 milimeter and 64 milimeter, respectively.

5.65. Inspection of transport vehicles and their contents.– (1) Any Police Officer in uniform not below the rank of a Sub-Inspector or any Head Constable incharge of a police outpost or posted at a police station or any Transport Officer not below the rank of a Sub-Inspector of Motor Vehicles, within his respective jurisdiction may at any time when the Vehicle is in a public place, call upon the driver of a goods vehicle to stop the vehicle and to keep it at rest for such time, as may be necessary to enable the Police or Transport Officer to make reasonable examination of the contents of the vehicle.

5.62. मोटर यान में परिवर्तन.— (1) अधिनियम की धारा 52 के उपबन्धों से आगे, परिवहन यान स्वामी या यदि स्वामी परमिट–धारक नहीं है, तो परमिट–धारक उसी समय जब उस धारा द्वारा चाही रिपोर्ट रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी को की जाती है, उस रिपोर्ट की एक प्रति उस परिवहन प्राधिकरण अग्रेषित करेगा, जिसके द्वारा उस यान से सम्बन्धित परमिट स्वीकृत किया गया था, या मंजिली गाड़ी सेवा से सम्बन्धित परमिट के मामले में, उस परिवहन प्राधिकरण को भेजेगा, जिसके द्वारा यह परमिट या गया था, जिसके अधीन उस यान का उपयोग किया जा रहा है।

(2) उप–नियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर परिवहन प्राधिकरण जिसके द्वारा परमिट दिया गया था, यदि परिवर्तन ऐसा है जो परमिट की शर्तों या उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करता है, तो-

(i) वह तदनुसार परमिट को बदल सकेगा; या

(ii) परमिट–धारक को दूसरे यान की व्यवस्था ऐसी अवधि के भीतर जो प्राधिकारी बतावे, करने को कहेगा और यदि धारक ऐसी अपेक्षा को पूरा करने में असफल रहता है, तो वह उस परमिट को रद्द या निलम्बित कर सकेगा।

(3) परिवहन प्राधिकरण, जो परमिट को परिवर्तित, निलम्बित या रद्द करता है या परमिट द्वारा आवृत यान के स्थान पर दूसरा यान प्रतिस्थापित करवाता है, सारा विवरण उस दूसरे प्रदेश के परिवहन प्राधिकरण को सूचित करेगा, जिसमें वह परमिट प्रतिहस्ताक्षर के कारण या अन्यथा मान्य है।

5.63. ट्रेलरों के बारे में उपबन्ध.— (1) संलग्न यान के आधे लटकते को छोड़कर कोई ट्रेलर सार्वजनिक सेवा यान से नहीं जोड़ा जायेगा।

(2) ऐसे ट्रेलरों के मामले को छोड़कर, जो सेना या पुलिस को ले जाने के लिये उपयोग में लिया जा रहा है, नियम 7.57 द्वारा अपेक्षित परिचर या परिचरों से भिन्न किसी व्यक्ति को किसी ट्रेलर में नहीं ले जाया जायेगा।

(3) उप–नियम (2) के अध्यधीन रहते हुए, माल वाहक सम्बन्धी इन नियमों के सभी उपबन्ध ऐसे किसी भी ट्रेलर को लागू होंगे जिसे मालवाहक के प्रयोजन के लिये काम में लिया जा रहा है।

(4) राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण किसी मालवाहक परमिट की स्वीकृति देते हुए या प्रतिहस्ताक्षर करते हुए उस परमिट या प्रतिहस्ताक्षर, यथास्थिति, की एक शर्त के रूप में यह अपेक्षा कर सकेगा कि कोई ट्रेलर या एक से अधिक ट्रेलर या विशेष प्रकार का कोई ट्रेलर इस परमिट द्वारा आवृत किसी परिवहन यान से नहीं जोड़ा जायेगा।

5.64. मालयानों के लिये सुभेदक बोर्ड.— प्रत्येक माल परिवहन यान पर उस यान के सामने किसी मुख्य स्थान पर एक सुभेदक बोर्ड लगाया जायेगा, जिसमें क्षेत्रीय भाषा या हिन्दी में अक्षर "मालवाहक" काले रंग से सफेद पृष्ठभूमि से अंकित होंगे। प्रत्येक अक्षर की ऊंचाई क्रमशः 127 मिलीमीटर और 64 मिलीमीटर से कम नहीं होगी।

5.65. परिवहन यानों और उनकी विषय-वस्तु का निरीक्षण.— (1) वर्दी में कोई पुलिस अधिकारी, जो उप–निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो या कोई मुख्य–आरक्षी जो पुलिस चौकी का भारसाधक है या पुलिस स्टेशन पर पदस्थापित है या कोई परिवहन अधिकारी जो मोटर यानों के उप–निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, अपनी सम्बन्धित अधिकारिता में किसी समय जब यान किसी सार्वजनिक स्थान में हो, मालयान के चालक को यान को रोकने और ऐसे समय तक रोके रहने के लिये कह सकेगा जो पुलिस या परिवहन अधिकारी को उस यान की विषय–वस्तु की समुचित परीक्षा करने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक है।

(2) Notwithstanding the provisions of sub-rule (1), the Police or Transport Officer, shall not be entitled to examine the contents of any goods vehicle unless.-

(i) The permit in respect of the vehicle contravene a provision or condition in respect of the goods which may not be carried on the vehicle, and

(ii) the Police or Transport Officer has reason to suppose that the vehicle is being used in contravention of the provisions of the Act or these Rules.

(3) Any Police Officer in uniform (not below the rank of a Sub-Inspector or any Head Constable Incharge of a Police outpost or posted at a police station or any Transport Officer not below the rank of Sub-Inspector of Motor Vehicles may at any time when the vehicle is in a public place, call upon the driver of a public service vehicle to stop the vehicle and to keep it at rest for such time, as may be necessary, to enable such officer to make reasonable examination of the number of passengers and other contents of the vehicle so as to satisfy himself that the provisions of the Act and these Rules and the provisions and conditions of the permit in respect of the vehicle are being complied with.

(4) In the event of a Motor Vehicle is stopped and examination under this rule, such officer shall give to the driver or any person incharge of the vehicle a certificate stating the date on which, the hour at which and the period for which the yehicle was detained.

5.66. Motor Cabs May be required to carry Fare Meter.– (1) The Regional Transport Authority, may, by notification in the Official Gazette require that within the limits of any municipality or other area as may be specified in the notification, all motor cabs intended for private hire shall be fitted with fare (taxi) meters.

(2) Where a notification as aforesaid has been issued permit shall not be granted in respect of any Motor cab not fitted with a fare meter, except in the following cases:–

(a) Where a permit is granted with the following conditions:–

(i) that the owner of such cab shall maintain not less than 6 motor cabs.

(ii) that such owner shall provide such garrage accommodation for the cabs as is approved by the Regional Transport Authority.

(iii) that the cabs shall not be offered for hire at public stands or at any public place.

(b) Where permit is granted to automobile companies or Associations recognised by the Government of Rajasthan in this behalf on the condition that the permit holder shall maintain motor cabs for the bonafide use of tourists and shall supply them only in accordance with the specific request of the Regional Tourist Officer concerned.

(3) No motor cab required to be fitted with fare meter under this rule shall be used as motor cab unless it is so fitted. The fare meter shall be of the type or types approved by the State Transport Authority. Such fare meter shall be fixed to and operated from, a non-driving wheel and shall bear the seal of the Registering Authority or any other official appointed in this behalf by the State Government to indicate that it has been tested and is in proper working order.

(2) उप नियम (1) के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, पुलिस या परिवहन अधिकारी किसी माल यान की विषय-वस्तु की परीक्षा करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि-

(i) उस यान से सम्बन्धित परमिट उस माल के बारे में किसी उपबन्ध या शर्त का उल्लंघन नहीं करता है, जो उस यान में नहीं ले जाये जा सकते हों, और

(ii) पुलिस या परिवहन अधिकारी के पास यह मानने के लिये कोई कारण नहीं हो कि वह यान इस अधिनियम या इस नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए उपयोग में लाया जा रहा है।

(3) वर्दी में कोई पुलिस अधिकारी (जो उप–निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो या कोई मुख्य आरक्षी जो पुलिस चौकी का भारसाधक है या पुलिस स्टेशन पर पदस्थापित है या कोई परिवहन अधिकारी जो मोटर यानों के उप–निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो) किसी समय जब यान किसी सार्वजनिक स्थान में हो, सार्वजनिक सेवा यान के चालक को यान को रोकने और ऐसे समय तक रोके रखने के लिये कह सकेगा, जो ऐसे अधिकारी को यात्रियों की संख्या और उस स्थान की विषय–वस्तु की समुचित परीक्षा करने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हो, ताकि वह अपना समाधान कर सके कि उस यान के सम्बन्ध में इस अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों और परमिट के उपबन्धों और शर्तों का पालन किया जा रहा है।

(4) इस नियम के अधीन किसी मोटर यान को परीक्षा के लिये रोक देने की दशा में, ऐसा अधिकारी चालक या यान के भारसाधक किसी व्यक्ति को एक प्रमाण–पत्र देगा, जिसमें यान को रोकने की दिनांक, समय और अवधि दी गयी होगी।

5.66. मौटर-कैबों के लिये किराया-मीटर लगाने की अपेक्षा.— (1) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर या अन्य क्षेत्र जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, सब मौटर–कैब, जो निजी भाड़े के लिये आशयित हैं, किराया–मीटर से युक्त होंगे।

(2) जहां उपर्युक्त प्रकार से अधिसूचना जारी कर दी गई है, किसी बिना किराया–मीटर युक्त मौटर–कैब को, निम्नांकित मामलों को छोड़कर, परमिट स्वीकार नहीं किया जायेगा:–

(क) जहां कोई परमिट निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकार किया गया है:–

(i) कि ऐसे कैब का स्वामी 6 मौटर–कैबों से अन्यून का संधारण करेगा।

(ii) कि ऐसा स्वामी कैबों के लिये ऐसे गैरेज के स्थान की व्यवस्था करेगा, जैसा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो।

(iii) कि कैब सार्वजनिक स्टेण्डों या किसी सार्वजनिक स्थान पर किराये के लिये प्रस्तावित नहीं किये जावेंगे।

(ख) जहां परमिट राजस्थान सरकार द्वारा इस निमित्त मान्य ऑटोमोबाइल कम्पनियों या एसोसिएशनों को इस शर्त पर दिया जाता है कि परमिट–धारक मौटर–कैबों का पर्यटकों के सद्भावी उपयोग के लिये संधारण करेगा और उन्हें केवल सम्बन्धित प्रादेशिक पर्यटक अधिकारी की विशिष्ट प्रार्थना के अनुसार ही सप्लाई करेगा।

(3) कोई मौटर–कैब जिस पर इस नियम के अधीन किराया–मीटर लगाना अपेक्षित है, उस पर जब तक इस प्रकार मीटर न लगा दिया जाये, मौटर–कैब के रूप में काम में नहीं लिया जायेगा। किराया–मीटर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रकार या प्रकारों का होगा। ऐसा किराया–मीटर नहीं चलाये जाने वाले चक्के से जोड़ा और प्रचालित किया जायेगा और उस पर रजिस्ट्रीकर्त्ता–प्राधिकारी या किसी अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया हो, की सील यह बताने के लिये लगी होगी कि इसकी जांच कर ली गई है और यह सही और चालू हालत में है।

8.67. किराया बताने का तरीका.— (1) प्रत्येक यांत्रिक या इलक्ट्रोनिक मीटर इस प्रकार निर्मित जायेगा कि

(क) भाड़ा दर्शित करने के लिये खुले डायल में उपयुक्त स्लाट उपयुक्त अंकों के प्रदर्शन के लिये हो, जिसमें डायोड प्रणाली से प्रकाश आता हो, यथास्थिति, भाड़े की राशि समय और/या किलोमीटरों में दूरी द्वारा संगणित हो, और

(ख) इसकी स्थिति बतलाते हुए एक झण्डी हो या खिड़की हो, जिसमें चमकते हुए शब्दों से प्रदर्शित हो कि आया मीटर चालू है या नहीं? (अर्थात्– "किराये पर" या "किराये के लिये" या "बन्द"।)

(2) यांत्रिक मीटर के प्रत्येक स्लॉट में या इलेक्ट्रोनिक मीटर के अंकों के प्रदर्शन द्वारा दी गई ना का स्वरूप समुचित शब्दों द्वारा तुरन्त स्लॉट के ऊपर या नीचे या अंकों के प्रदर्शन, यथास्थिति, रा बताया जायेगा। शब्दों या चिन्हों को जो रुपये या रुपये और पैसे बताते हैं, ड्रम पोजिशन की उचित क के ऊपर नीचे या बाजू में रखा जायेगा।

(3) यांत्रिक मीटर के स्लॉट पर दिखाये गये या इलेक्ट्रोनिक मीटर का अंकों का प्रदर्शन करने अक्षरों और अंकों का आकार वह होगा, जो परिवहन आयुक्त उचित समझे और इस प्रकार रखा ायेगा कि किराये पर लेने वालों द्वारा आसानी से पढ़ा जा सके।

(4) मीटर और किराया बॉक्स पर दिखाये जाने अपेक्षित सभी अक्षर ऐसे आकार, रूप और रंग के होंगे कि उन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सके।

(5) मीटर की हरी झण्डी उपयुक्त शक्ति की होगी और उस पर शब्द "किराये पर" सादा मोटे टाइप में सफेद अक्षरों में होंगे जिनकी कम से कम ऊंचाई 50 मिलीमीटर हो और आनुपातिक मोटाई हो, जो लाल रंग की पृष्ठ भूमि पर होंगे, ताकि उनको आसानी से दूर से पढ़ा जा सके। भुजा का स्तर, जिस पर झण्डी लगी हो, इतनी लम्बाई का होगा कि जब इसे वर्टिकल रखा जाये तो झण्डे का निचला सिरा मीटर के सर्वोच्च भाग से ऊपर रहे। यदि यह इलेक्ट्रोनिक अंकों वाला मीटर है, तो इसमें मीटर को प्रचालित करने के लिये दो स्विच लगाये जायेंगे, अर्थात् मोटर–स्विच और स्टौप–स्विच और एक ऊपर की छत की लाइट भी दी गई होगी जो मीटर के चलने के साथ सिकुडती–बढ़ती हो।

(6) मीटर का मैकेनिज्म इस प्रकार डिजाइन किया जायेगा कि–

(i) जब झण्डी की भुजा खड़ी हो, तो समुचित स्लॉट में शब्द "किराये के लिये" दर्शित हो।

(ii) शब्द "किराये पर" दर्शित हो, जब भुजा को 180 डिग्री पर दबा दिया जाय और समय और दूरी के गियर काम करने लग जायें।

(iii) शब्द "बन्द" दर्शित हो, जब भुजा को 270 डिग्री पर आड़ी स्थिति में लाया जाये।

(iv) खण्ड (क) में वर्णित तीन स्थितियों के अलावा झण्डी की भुजा साधारणतया किसी स्थिति में नहीं रह सकती।

(v) जब झण्डी "बन्द" की स्थिति में हो, तो समय द्वारा किराया अभिलिखित होना बन्द हो जाये।

(vi) मीटर पर दूरी से किराया अभिलिखित हो, यदि टैक्सी–कैब की झण्डी को "बन्द" की स्थिति में रखकर चलाया जाये।

(vii) अभिलिखित किराया साफ नहीं हो, जब झण्डी "किराये पर" या "बन्द" की स्थिति में हो।

5.67. Method of Indicating fare.– (1) Every mechanical or electronic digital meter shall be so constructed as:–

(a) to indicate open the dial in suitable slots on a suitable digital display consisting of light emitting diode system (LEDS) as the case may be, the amount of fare calculated by time and/or by distance in kilometers, and

(b) to have a flag showing its position or to have a window with illuminated words showing, whether or not the meter is in action (i.e. "Hired" or "For Hire" or "Stopped".)

(2) The nature of the information given in each slot of a mechanical meter or digital display of an electronic meter shall be indicated by suitable wording immediately above or below the slots or digital display, as the case may be. The words or signs denoting rupee or rupees and paise shall be placed immediately above, below or besides the appropriate disc of drum position.

(3) The letters and figures shown in the slots of a mechanical meter or a digital display of an electronic meter shall be of a size which the Transport Commissioner considers to be reasonable and shall be so placed as to be easily read by the Hirers.

(4) All letters and figures required to be shown on meter and gear boxes shall be of such size, form and colour as would render them clearly legible.

(5) The flag of a meter shall be of suitable strength and shall bear the words "for Hire" in the white letters of plain block type at least 50 millimeters in height and of proportionate thickness on a red coloured ground so that they may be easily read from a distance. The arm level which carries the flag shall be of such length that when it is kept vertical the lower edge of the flag is above the highest part of the meter. If it is an electronic digital meter, it shall be provided with two switches that is meter switch and stop switch, for operating the meter and shall also be provided with "Roof Light" synchronized with the operation of the meter.

(6) The mechanism of meters shall be so designed that–

(i) the words "For Hire" are indicated in the appropriate slot when the flag arm is vertical.

(ii) the word "Hired" is indicated when the arm has been depressed through 180 degree and the time and distance gears are in engagement,

(iii) the word "Stopped" is indicated when the arm is arrested in a horizontal position at 270 degree.

(iv) the flag arm cannot normally remain in any position other than the three positions mentioned in clause (a).

(v) the fare by time ceases to be recorded when the flag is in the "Stopped" position.

(vi) the fare by distance is recorded on the meter if the taxi cab is driven with the flag in the "Stopped" position.

(vii) the fare recorded is not obscured when the flag is in the "Hired" or "Stouped" position.

(viii) it is not possible (i) to move the flag back from the "Hired" position to "For Hire", or (ii) to return the flag from "Stopped" position to "Hired" position.

(ix) when the flag arm is raised to a vertical position (i.e. the "For Hire" position), the previous record of fare is cleared and the various mechanism are brought to their initial positions.

(x) before the flag can again be depressed, the full vertical position shall be reached, and a positive stop made there to ensure that the mechanism comes to rest and that the fare indication is obscured by a shutter.

(xi) the mechanism for recording the time and distance cannot be engaged or disengaged except by the normal sequence or operation of the flag arm referred to in clauses (i) to (viii) and

(xii) the operation of the shutter of obscuring the fare synchronizes with the engaging and disengaging of the time and distance mechanism of the meter.

(7) the mechanism of an electronic digital meter shall be so designed that:–

(a) (i) "For Hire " window is illuminated with the meter switch is in "Off" position and the roof light is in "On" position.

(ii) the "Hired" switch is illuminated and the roof light is turned "Off" when the "meter switch" is pressed "On" and the time and distance modes are in engagement.

(iii) the "Stopped" window is illuminated with the stop switch is pressed "On".

(b) it shall be possible to set in position either within the three positions in clause (a)in the meter.

(c) the fare by the time ceases to be recorded when the flag is not in "Stopped" position.

(d) the fare by distance is recorded on the meter if the taxi cab is driven with the meter in "Stopped" position.

(e) the rate recorded is not obscured when the meter is in "Hired" and or in "Stopped" position.

(f) When the meter switch is turned off, "For Hire" window is illuminated, the roof light is turned "On" and the previous recording of fare is acquired and the various mechanism of the meter are brought back to the initial position.

(g) The mechanism recording time and distance cannot be engaged or disengaged except by the normal sequence of operation of switches referred to in clause (a) to (f).

(8) **Audible warning.**– Every meter shall be so constructed that it gives audible warning by means of a suitable bell or gong whenever the driver moves the lever which operates the recording mechanism.

(viii) (i) झण्डी को पीछे "किराये पर" की स्थिति से "किराये के लिये" घुमाया जाना, या

(ii) झण्डी को "बन्द" की स्थिति से "किराये पर" की स्थिति में वापस किया जाना सम्भव नहीं हो।

(ix) जब झण्डी की भुजा को सीधी खड़ी स्थिति (अर्थात् "किराये के लिये" की स्थिति) में उठा दिया जावे, तो किराया का पहला अभिलेख साफ हो जाये और विभिन्न मैकेनिज्म उनकी पूर्वावस्था में आ जावें)।

(x) झण्डी को दुबारा दबा सकने से पहले पूरी खड़ी स्थिति में पहुंचा जायेगा और वहां निश्चायक ठहराव कर यह सुनिश्चित करना होगा कि मैकनिज्म विराम पर आ जाता है और किराये की झलक एक शटर द्वारा साफ हो जाती है।

(xi) समय और दूरी अभिलिखित करने के मैकेनिज्म को चालू या बन्द नहीं किया जा सकता, सिवाय झण्डी की उस सामान्य गति या प्रचालन के, जो खण्ड (i) से (viii) में निर्दिष्ट की गयी है, और

(xii) किराया जो मिटाने वाले शटर का प्रचालन मीटर के समय और दूरी के मैकेनिज्म को चालू और बन्द करने के साथ सिकुड़ता है।

(7) इलेक्ट्रोनिक अंको वाले मीटर को इस प्रकार डिजाइन किया जायेगा कि:-

(क) (i) "किराये पर" की खिड़की मीटर स्विच की बन्द दशा में चमकेगी और छत की लाइट "चालू" दशा में।

(iii) "किराये पर" स्विच चमकेगा और छत की लाइट "बन्द" हो जायेगी, जब "मीटर स्विच" को "चालू" पर दबाया जायेगा और समय और दूरी के तरीके कार्य करेंगे।

(iv) "बन्द" खिड़की चमकेगी, जब स्टॉप स्विच को "चालू" पर दबाया जायेगा।

(ख) यह संभव होगा कि खण्ड (क) में दी गई तीन स्थितियों के भीतर किसी स्थिति में मीटर को सेट किया जा सके।

(ग) समय के अनुसार किराया अभिलिखित होना बन्द हो जाये, जब झण्डी "बन्द" की स्थिति में नहीं हो।

(घ) दूरी के अनुसार किराया–मीटर पर अभिलिखित हो, यदि टैक्सी–कैब का मीटर "बन्द" की स्थिति में हो तब चलाया जाये।

(ङ) जब मोटर "किराये पर" या "बन्द" की स्थितियों में हो, तो अभिलिखित की गई दर साफ नहीं हो जाये।

(च) जब मीटर स्विच को बन्द कर दिया जाता है, तो "किराये के लिये" की खिड़की चमकेगी, जब छत की लाइट को चालू कर दिया जाये तो किराये का पहले का अभिलेख साफ हो जाये और मीटर के विभिन्न मैकेनिज्म वापस प्रारम्भिक स्थिति में आ जायें।

(छ) खण्ड (क) से (च) में वर्णित स्विच के प्रचालन के साधारण क्रम के अलावा, समय और दूरी को अभिलिखित करने वाला मैकनिज्म चालू या बन्द नहीं किया जा सके।

(८) **सुनाई देने वाली चेतावनी–** प्रत्येक मीटर इस प्रकार निर्मित किया जायेगा कि जब कभी चालक उस लीवर को घुमाये, जो अभिलेखन के मैकनिज्म का प्रचालन करता हो तो यह किसी उचित घण्टी या जोंग द्वारा सुनाई देने वाली चेतावनी दे।

5.68. Examination and sealing of taxi-meter.– Every taxi meter, after it has been affixed to a taxi-cab, whether for the first time or after repair or adjustment, shall be submitted to the Registering Authority or any other officer appointed by it in this behalf, for examination, as to the correctness of the fittings and subjection to a practical road test over a measured distance of 1.6 kms. And a time test of not less than a half hour's duration, if found correct, its fittings shall be sealed to the taxi-cab in such a manner that it cannot be removed or tampered without the breaking or removal of the seals. No person shall break, or temper with, or attempt to break or tamper with, such seal, or with the taxi-meter or its fittings.

5.69. Subsequent examination.– Every taxi-meter shall be submitted for examination and test once every six month and at any other time, if required by the Registering Authority or any other official or authority appointed in this behalf by the State Government. The result of each examination and test shall be entered in the permit of taxi cab.

5.70. Power of Inspector of Motor Vehicles to Inspect Taxi Meters.– Any officer not below the rank of Inspector of Motor Vehicles in uniform or any Police Officer not below the rank of sub-inspector, may, if he has reason to believe that a motor cab fitted with a taxi meter has been or is being plied with a meter which is defective or has been tempered with, stop such motor cab and, in order to test such taxi meter, direct the driver or the person incharge of such motor cab to cover a distance or connect the taxi meter on the measuring equipment to ascertain the accuracy of the taxi meter or to proceed to an institution and take or cause to be taken such other steps as he may consider proper for the purpose.

5.71. Floor mat.– The floor of a motor cab shall be covered with a mat of rubber, coir or other suitable material.

5.72. Conveyance of animal in stage carriages.– Cattle and goats shall not be carried in carriages, but dogs and other pets may be carried on payment, if permitted by the conductor. All goods and other animals conveyed in stags carriages shall be securely fastened and under proper control.

5.73. Licensing of and regulation of the conduct of Agents or canvassers who are engaged in the sale of tickets for travel by public service vehicle or otherwise solicit customer for such vehicles.– (1) No person shall engage himself as an agent or canvasser in the sale of tickets or otherwise solicit customers for travel by public service vehicle except stage carriage other than belonging to a State Transport Undertaking and three wheelers unless he has obtained a licence in From R.S. 5.27 from the Regional Transport Officer of the region in which such person resides or carries his business.

Explanation.– For the purpose of this rule an agent or canvasser or a person soliciting customs means a person, whether he is the owner of the public service vehicle or not, who is engaged directly or indirectly–

(i) in the business of booking, selling or canvassing through news papers or other medium of publicity for sale of tickets in respect of a public service vehicle.

5.68. टैक्सी-मीटर का परीक्षण और सील लगाना.– प्रत्येक टैक्सी–मीटर, टैक्सी–कैब पर लगाये जाने के बाद चाहे पहली बार के लिये या मरम्मत या सुधार के बाद, रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी या अन्य अधिकारी जिसे उसने इस निमित्त नियुक्त किया है, के पास परीक्षण के लिये प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें फिटिंग के सही होने के लिये नापे हुए 1.6 किलोमीटर की प्रायोगिक सड़क–जांच और ... के समय के अनधिक की समय–जांच की जायेगी। यदि सही पाया गया, तो इसकी फिटिंग टैक्सी–कैब के साथ इस प्रकार से सील कर दिया जायेगा कि इस सील को हटाये या तोड़े बिना न बिगाड़ा नहीं जा सकेगा। कोई व्यक्ति ऐसी सील या टैक्सी–मीटर या इसकी फिटिंग्स को न तोड़ेगा, न बिगाड़ेगा और न तोड़ने या बिगाड़ने का प्रयत्न करेगा।

5.69. पश्चात्वर्ती परीक्षा.– प्रत्येक टैक्सी–मीटर की परीक्षा और जांच के लिये प्रत्येक छः मास में एक बार या अन्य किसी समय पर रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी या अन्य किसी अधिकारी या प्राधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, के द्वारा अपेक्षा करने पर, प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसी परीक्षा और जांच का परिणाम उस टैक्सी–कैब के परमिट पर प्रविष्ट किया जायेगा।

5.70. टैक्सी-मीटरों के निरीक्षण की मोटर यान निरीक्षक की शक्ति.– कोई अधिकारी वर्दी में, जो मोटर यानों के निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो या कोई पुलिस अधिकारी जो उप–निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, यदि उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि टैक्सी–मीटर लगा हुआ कोई मौटर–कैब चलाया गया या चलाया जा रहा है, जिसका मीटर दोषपूर्ण है या उसे बिगाड़ दिया गया है, तो वह ऐसे मौटर–कैब को रोक सकेगा और ऐसे टैक्सी–मीटर की जांच के लिये चालक या उस टैक्सी कैब के भारसाधक व्यक्ति को कुछ दूरी आवृत करने के लिये या टैक्सी–मीटर के सही होने का पता लगाने के लिये उसी टैक्सी–मीटर को किसी मापक–साधन से जोड़ने के लिये निदेश दे सकेगा या किसी संस्थान पर चलने के लिये कह सकेगा और ऐसे अन्य कदम उठायेगा या उठवायेगा जो वह इस प्रयोजन के लिये उचित समझे।

5.71. आंगन पर चटाई.– मौटर–कैब का आंगन रबड़, नारियल या अन्य उपयुक्त सामग्री की चटाई से ढका जायेगा।

5.72. मंजिली गाड़ियों में पशुओं का वहन.– घरेलू पशु और बकरियां इन गाड़ियों में नहीं ले जाई जायेंगी, परन्तु कुत्ते और अन्य पालतू पशु भुगतान पर ले जाये जा सकेंगे, यदि परिचालक द्वारा अनुमति दे दी जाये। सब माल और अन्य पशु जो मंजिली गाड़ियों में ले जाये जायें, मजबूती से बांधे जायेंगे और उचित नियंत्रण में रखे जायेंगे।

5.73. अभिकर्त्ता या प्रचारक का अनुज्ञापन और आचरण का विनियमन, जो सार्वजनिक सेवा यान से यात्रा के लिये टिकटों की बिक्री में लगे हैं या अन्यथा ऐसे यानों के लिये ग्राहकों से याचना करते हैं.– (1) कोई व्यक्ति, राज्य परिवहन उपक्रम की गाड़ियों, तिपहिया गाड़ियों से भिन्न मंजिली गाड़ियों को छोड़कर अन्य सार्वजनिक सेवायानों से यात्रा करने के टिकटों की बिक्री में अभिकर्त्ता या प्रचारक के रूप में या अन्य रूप में ग्राहकों से याचना करने में स्वयं को नहीं लगवायेगा, जब तक कि उसने उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन अधिकरण से, जिसमें वह रहता है या व्यापार करता है, प्ररूप आर.एस. 5.27 में लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लिया हो।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजनार्थ, "ग्राहकों से याचना" करने वाले अभिकर्त्ता या प्रचारक या व्यक्ति से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो चाहे सार्वजनिक सेवायान का स्वामी हो या नहीं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित कार्य में लगा हुआ है:–

(i) सार्वजनिक सेवा यान के बारे में टिकटों की बुकिंग, बिक्री या बिक्री के लिये समाचार पत्र या प्रचार के अन्य माध्यम से प्रचार करने में।

(ii) in canvassing/conducting or organising tours pilgrimage/yatra and for sight seeing for any purpose

(iii) in arranging or providing in any manner public service vehicle to tourists

(2) Every owner of a public service vehicle who is not required to obtain a licence as per sub-rule (1) above and who let to be plied for hire shall intimate to the Regional Transport Officer concerned the name, address and licence number of the person appointed on his behalf as an agent who has been engaged in the sale of tickets to passengers for travel by such vehicle.

(3) The application for licence of an agent shall be made in writing before one month from the date from which he wants the licence, to the Regional Transport Officer of the region in which the applicant resides or has his place of business, in From R.S. 5.26 and the application shall be accompanied by a prescribed fees and two clear copies of a recent photograph of the applicant.

(4) On receipt of an application for an agent's licence alongwith the prescribed fee the Regional Transport Officer shall on being satisfied grant him agent's licence in Form R.S. 5.27. In case of refusal, he shall record the reasons for doing so.

(5)The agent's licence granted in From R.S. 5.27. shall be exhibited at the conspicuous space at business premises. If the holder has more than one office in the region, he shall obtain copy of licence for each branch office after paying the prescribed fee

(6) ***Period of validity.***– The agent's licence shall be in force for a period of 12 months from the date of issue.

(7) The application for renewal of agent's licence shall be made in From R.S.5.28 before one month from the date of expiry alongwith the licence and the prescribed fee to the Regional Transport Officer. If the application for renewal is made after the prescribed period, it shall be accompanied by a late fee as prescribed fee for renewal of the licence.

(8) (a) The Regional Transport Officer shall issue identity card in Form R.S 5.29 to.–

(i) on individual and his authorised manager

(ii) the authorised partners when the business is looked after by him where the agent is a firm;

(iii) the Managing Director or any other Director nominated by the company where the agent is a company, and

(iv) the Karta where agent is a HUF.

(9) The identity card shall always be carried on his person by the holder and be shall produced on demand by any officer of Motor Vehicle Department not below the rank of Motor Vehicles Sub-inspector.

(10) The identity card so issued shall be surrendered by the agent on suspension, cancellation or non-renewal of licence. If a manager ceases to be in employed or is transferred out of the State it shall be the responsibility of the agent to surrender identity card of such manager

(ii) तीर्थ यात्रा और अन्य प्रयोजन के लिये स्थल–दर्शन यात्राओं का प्रचार/संचालन या आयोजन करने में।

(iii) परीक्षा के लिये किसी भी रीति से सार्वजनिक सेवायानों का प्रबन्ध या व्यवस्था करने में।

(2) सार्वजनिक सेवा यान का प्रत्येक स्वामी, जिसके द्वारा उक्त उप–नियम (1) के अनुसार लाइसेंस आवश्यक नहीं है और जिसने भाड़े पर चलाने के लिये यान दिया है, सम्बन्धित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को उसके द्वारा अपनी ओर से अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त व्यक्ति का नाम, पता और लाइसेंस सूचित करेगा, जो ऐसे यान से यात्रा करने के लिये यात्रियों को टिकट बेचने में लगा हुआ है।

(3) अभिकर्त्ता के लाइसेंस के लिये आवेदन लिखित में प्ररूप आर.एस. 5.26 में उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को, जिसमें आवेदक निवास करता है, या उसका व्यापार का स्थान स्थित है, उस दिनांक से एक माह पहले प्रस्तुत करेगा, जिससे वह लाइसेंस चाहता है और ऐसे आवेदन के साथ निर्धारित फीस और आवेदक के नये फोटोग्राफ की दो साफ प्रतियां होंगी।

(4) अभिकर्त्ता के लाइसेंस के लिये आवेदन, निर्धारित फीस के साथ प्राप्त होने पर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अपना समाधान हो जाने पर प्ररूप आर.एस. 5.27 में उसे अभिकर्ता का लाइसेंस स्वीकृत करेगा। इन्कार करने की दशा में, वह ऐसा करने के लिये कारण अभिलिखित करेगा।

(5) प्ररूप आर.एस. 5.27 में दिया गया अभिकर्त्ता का लाइसेंस व्यापारिक परिसर पर खुले स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा। यदि उस प्रदेश में धारक के एक से अधिक कार्यालय हों, तो वह निर्धारित फीस का संदाय करके प्रत्येक शाखा के लिये अलग लाइसेंस की प्रति प्राप्त करेगा।

(6) **विधिमान्यता की अवधि**— अभिकर्त्ता का लाइसेंस जारी किये जाने की दिनांक से बारह महीनों की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा।

(7) अभिकर्त्ता के लाइसेंस के नवीकरण का आवेदन प्ररूप आर.एस. 5.28 में उसकी समाप्ति की दिनांक से एक माह पहले, लाइसेंस और निर्धारित फीस के साथ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। यदि नवीकरण का आवेदन निर्धारित अवधि के बाद किया जाता है, तो इसके साथ लाइसेंस के नवीकरण के लिये निर्धारित विलम्ब शुल्क देना होगा।

(8) (क) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्ररूप आर.एस. 5.29 में निम्नलिखित को पहचान पत्र जारी करेगा :–

(i) व्यक्ति और उसका प्राधिकृत प्रबन्धक;

(ii) जहां अभिकर्त्ता कोई फर्म है, तो उसका प्राधिकृत भागीदार जब व्यापार की देखभाल उसके द्वारा की जाती है;

(iii) जहां अभिकर्त्ता कोई कम्पनी है, तो उसका प्रबन्धक निदेशक या कम्पनी द्वारा मनोनीत कोई अन्य निदेशक, और

(iv) जहां अभिकर्त्ता हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब है तो उसका कर्त्ता।

(9) धारक द्वारा पहिचान पत्र हमेशा साथ में रखा जायेगा और मोटर यान विभाग के किसी अधिकारी द्वारा, जो मोटर यान उप–निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो मांगे जाने, पर प्रस्तुत किया जायेगा।

(10) इस प्रकार जारी किया गया पहचान पत्र अभिकर्त्ता द्वारा लाइसेंस के निलम्बन, रद्दकरण या अनवीकरण पर वापस कर दिया जायेगा। यदि कोई प्रबंधक नियोजन में नहीं रहता है या राज्य के बाहर स्थानान्तरित हो जाता है, तो अभिकर्त्ता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह ऐसे प्रबन्धक का परिचय पत्र वापस करे।

(11) Every agent shall deposit cash security Rs. 5,000/- with the Regional Transport Officer.

(12) Every agent shall maintain true and correct account in a register serially numbered in the prescribed Form R.S. 5.31 and authenticated by the Regional Transport Officer for each public service vehicle separately in respect of services provided or tours under taken.

(13) Every agent shall submit quarterly return to the Licensing Authority by 15th day of the close of each quarter of the financial year in Form R.S 5.30.

(14) The Regional Transport Officer may, for reasons to be recorded in writing, decline to renew the agent's & licence.

(15) The licensee:-

(a) shall not issue or book tickets for any stage carriage owned by a State Undertaking operating in the State of Rajasthan,

(b) shall not mislead pr coax any passenger to board his public service vehicle;

(c) shall not offer any illegal inducement.

(d) Shall behave in a civil and orderly manner with the persons demanding tickets or travelling in the public service vehicle.

(e) Shall issue every passenger or group of passengers a receipt or tickets showing total amount charged for distance covered vehicle number.

(f) Shall mention in every receipt or tickets his licence number.

(g) Shall not charge mote than prescribed fare, if any.

(h) shall not involve in activities which lead to unhealthy competition.

(i) Shall ensure that the public service vehicle for which tickets are sold or booked or is provided for travelling has valid permit to ply on the route or area.

(j) Shall abide by the terms of the contract entered in to orally or in writing with the passenger or group of passengers.

(k) Shall make alternative arrangement within a reasonable time in case of break down of the vehicle.

(l) Shall comply with the provisions or the Act and Rules.

(m) Shall all time allow officer of Motor Vehicle Department to inspect record and accounts maintained by him.

(16) The security furnished may be forfeited in whole or in part by the Licensing Authority if he is satisfied that he is breaching any condition of licence or not maintaining the accounts properly or not submitting return in time after giving the agent reasonable opportunity of being heard.

(17) If the licence holder is individual, his age must not be less than 18 years.

(11) प्रत्येक अभिकर्त्ता प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के पास रु. 5000/– नकद प्रतिभूति के रूप में जमा करायेगा।

(12) प्रत्येक अभिकर्त्ता प्रत्येक सार्वजनिक यान के लिये अलग से उसके द्वारा की गई सेवा या भ्रमणों के लिये निर्धारित प्ररूप आर.एस. 5.31 में एक क्रमसंख्या युक्त रजिस्टर में सही और सत्य लेखा संधारित करेगा।

(13) प्रत्येक अभिकर्त्ता वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के 15वें दिन तक एक त्रैमासिक–विवरणी लाइसेंसदाता प्राधिकारी को प्ररूप आर.एस. 5.30 में प्रस्तुत करेगा।

(14) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए, किसी अभिकर्त्ता के लाइसेंस का नवीकरण करने से मना कर सकेगा।

(15) लाइसेंसी–

(क) राजस्थान राज्य में चलायी जा रही राज्य उपक्रम में स्वामित्व की किसी मंजिली गाड़ी के लिये टिकट बुक या जारी नहीं करेगा,

(ख) अपने सार्वजनिक सेवा यान में चढ़ने के लिये किसी यात्री को गुमराह नहीं करेगा या उसके पीछे नहीं पड़ेगा,

(ग) कोई अवैध लालच नहीं देगा,

(घ) सार्वजनिक यान में यात्रा कर रहे या टिकट मांग रहे व्यक्तियों के साथ सभ्य और व्यवस्थित तरीके से व्यवहार करेगा,

(ङ) प्रत्येक यात्रा या यात्रियों के समूह को एक रसीद या टिकट जारी करेगा, जिसमें आवृत की गई दूरी के लिये ली गई राशि और यान की संख्या दिखाई जायेगी,

(च) प्रत्येक टिकट या रसीद में अपनी लाइसेंस–संख्या का उल्लेख करेगा,

(छ) निर्धारित किराये, यदि कोई हो, से अधिक वसूल नहीं करेगा,

(ज) ऐसी गतिविधियों में नहीं लगेगा, जो अनुचित प्रतिस्पर्धा की ओर ले जावे।

(झ) यह सुनिशिचित करेगा कि सार्वजनिक सेवा यान जिसके लिये टिकट बेचे या बुक किये गये हैं या जो यात्रा के लिये दी गई है, उसका उस मार्ग या क्षेत्र में चलाने के लिये विधिमान्य परमिट है,

(ञ) यात्री या यात्रियों के समूह के साथ मौखिक या लिखित में किये गये करार की शर्तों का पालन करेगा,

(ट) यान के खराब हो जाने पर उचित समय के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था करेगा,

(ठ) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों का पालन करेगा,

(ड) सब समय पर मोटर यान विभाग के अधिकारी को उसके द्वारा संधारित अभिलेख और लेखे का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

(16) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा, अभिकर्त्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, जमा प्रतिभूति को सम्पूर्ण या भागतः जब्त किया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि वह लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन कर रहा है या सही तरीक से लेखा संधारित नहीं कर रहा है या समय पर विवरणी प्रस्तुत नहीं कर रहा है।

(17) यदि लाइसेंस–धारक कोई व्यक्ति है, तो उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।

(18) The Regional Transport [1][Officer] may for reasons to be recorded in writing suspended or cancel the agents licence or breach of all or any one of the conditions of licence or on the ground of misconduct of the [1][licensee].

(19) When the licence is suspended or cancelled or not renewed, it shall be surrendered forthwith to the Regional Transport Officer who issued the licence.

(20) The Agent shall on demand by any officer of Motor Vehicles Department, not below the rank of Motor Vehicles Sub-Inspector, produce his licence for inspection.

(21) No person shall held more than one agent's licence effective in the same region.

(22) If the agent is company or partnership firm, he shall submit deed of company or partnership and also a copy of agreement entered with the owner of the public service vehicle.

5.74. Appellate Authority-Agent's Licence.– (1) Any person aggrieved by any such order of Licensing Authority under rule may prefer an appeal within 30 days of the date of receipt of such order to the Transport Commissioner alongwith the prescribed fee.

(2) The memorandum of appeal shall be filed in duplicate setting for the concisely the grounds of objection and shall accompanied by a certified copy of the order:

Provided that the memorandum of appeal shall not relate to more than one order to be signed by more than one parties.

Licensing of Agents, engaged in the business of Collecting, Forwarding and Distributing goods carried by Public Carriers:

5.75. "Definition".– In this rule unless the context otherwise requires,

(a) ***"Agent"*** means any person who is engaged directly or indirectly in the business of:–
   (i) Collecting, or
   (ii) Forwarding and Distributing,
   (iii) Collecting, Forwarding and Distributing goods carried by any public carrier.

(b) ***"Agent's Licence"*** means a licence granted to an agent under this rule for the principal establishment and includes the supplementary licence granted to such agent for any additional establishment such as branch office specified in such supplementary licence.

(c) ***"Goods"*** includes live-stock and anything carried by a goods vehicle except living persons and equipments ordinarily used with the vehicle.

(d) ***"Licensing Authority"*** means the Regional Transport Officer of the region in which the applicant intends to carry on the business and in any other case, of the region in which the applicant has his principal place or business.

---

1. Subs. by G.S.R. 21, dated 26.7.1993 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 27.7.1993). (w.e.f. 27.7.1993).

(18) [1][प्रादेशिक परिवहन अधिकारी] लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए लाइसेंस की भागी शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन करने पर या [1][अनुज्ञप्तिधारी के अवचार] के आधार पर अभिकर्त्ता के लाइसेंस को निलम्बित या रद्द कर सकेगा।

(19) जब लाइसेंस निलम्बित या रद्द कर दिया जाये या उसका नवीकरण नहीं किया जाये, तो इसे तुरन्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को अभ्यर्पित कर दिया जायेगा, जिसने वह लाइसेंस जारी किया था।

(20) अभिकर्त्ता मोटर यान विभाग के किसी अधिकारी की मांग पर, जो मोटर यान उप-निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, अपना लाइसेंस निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करेगा।

(21) कोई व्यक्ति उसी प्रदेश में एक से अधिक अभिकर्त्ता--लाइसेंस नहीं रखेगा।

(22) यदि अभिकर्त्ता कोई कम्पनी या भागीदरी फर्म है, तो वह कम्पनी या भागीदारी का प्रलेख और सार्वजनिक सेवायान के स्वामी के साथ किये गये करार की एक प्रति भी प्रस्तुत करेगा।

5.74. अपीलीय प्राधिकारी अभिकर्त्ता-लाइसेंस.— (1) इस नियम के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के किसी ऐसे आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की दिनांक से 30 दिनों के भीतर परिवहन आयुक्त को निर्धारित फीस के साथ अपील कर सकेगा।

(2) अपील का ज्ञापन दो प्रतियों में, आक्षेपों के आधारों का संक्षिप्त विवरण देते हुए और आदेश की एक प्रमाणित प्रति के साथ फाइल किया जायेगा:

परन्तु अपील का ज्ञापन किसी एक आदेश से अधिक से सम्बन्धित नहीं होगा, जो एक से अधिक पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होना है।

सार्वजनिक वाहनों द्वारा ले जाने वाले माल के संग्रह, अग्रेषण और वितरण के व्यापार में लगे अभिकर्त्ताओं का अनुज्ञापन:

5.75. ''परिभाषायें''.— इस नियम में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) ***'अभिकर्त्ता'*** से काई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में:-

(i) संग्रह, या

(ii) अग्रेषण और वितरण,

(iii) किसी अन्य सार्वजनिक वाहक द्वारा लाये गये माल के संग्रह, अग्रेषण और वितरण, के कारबार में लगा हुआ है।

(ख) ***'अभिकर्त्ता-लाइसेंस'*** से इस नियम के अधीन मुख्य—स्थापन के लिये किसी अभिकर्त्ता को दिया गया लाइसेंस अभिप्रेत है, जिसमें ऐसे अभिकर्त्ता को किसी अतिरिक्त स्थापन के लिये दिया गया पूरक—लाइसेंस सम्मिलित है, जैसे शाखा कार्यालय, जो उस पूरक—लाइसेंस में विनिर्दिष्ट है।

(ग) ***'माल'*** में पशु धन और मालयान द्वारा ले जाई गई कोई भी वस्तु सम्मिलित है, सिवाय जीवित व्यक्तियों के और यान में साधारणतया काम में आने वाले उपस्करों के।

(घ) ***'अनुज्ञापन प्राधिकारी'*** से उस प्रदेश का प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अभिप्रेत है, जिसमें आवेदक कारबार करना चाहता है और किसी अन्य मामले में उस प्रदेश का, जिसमें आवेदक के कारबार का मुख्य स्थान है।

---

1. जी.एस.आर. 21, दिनांक 26.7.1993 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग—4(ग)(1), दिनांक 27.7.1993 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 27.7.1993 से लागू किया गया।

(e) ***"Perishable Goods"*** means any goods which are subject to steadily and great natural decay.

5.76. Prohibition to act an agent except under a licence.– No person shall act as an agent unless he holds a valid licence authorising to carry on of his business of agent at a place or places specified in licence:

Provided that any person already working as an agent on the date of the commencement of these rules shall be allowed to obtain a licence within a period of three months from such date.

5.77. Licensing of Agent.– (1) Any person desiring to obtain an agent's licence shall make an application to the Regional Transport Officer of the region in which he has his place of business, or as the case may be, his principal place of business. Such application shall be made in Form R.S. 5.32.

(2) The application shall be accompanied by the prescribed fee.

(3) On receipt of an application made, the Licensing Authority shall having regard among other things to the following matter either grant or renew or refuse to grant or renew the licence.–

(a) The number of goods vehicles, if any, either owned by the applicant or under his control.

(b) The suitability of the accommodation under the control of the applicant for the storage of goods at every operating place;

(c) The facilities provided by the applicant for parking the goods vehicles by loading or unloading without hindrance to the general traffic in the area;

(d) The financial resources of the applicant and his experience in the trade.

(4) The Licensing Authority shall either grant or renew the licence including supplementary licence, for a branch office, if any, in Form R.S. 5.33. Specify the place or places where the business may be carried on or refuse to grant of renew the licence:

Provided that the Licensing Authority shall not refuse to grant or renew the licence or supplementary licence for a branch office applied for, unless the applicant has given an opportunity of being heard and the reasons for refusal are recorded and communicated to him in writing.

(5) The Regional Transport Officer shall cause copies of any licence granted to it, under this rule to be sent to the concerned District Transport Officer and also intimate them about the refusal and the cancellation.

(6) The Licensing Authority shall while granting or renewing the licence (including any supplementary licence) or at any time during the validity of the licence by order required the Licencee to furnish the security in cash as under:–

(ङ) ***'नष्ट होने वाला माल'*** से कोई माल अभिप्रेत है, जिसका शीघ्रता से प्राकृतिक क्षय होता है।

5.76. लाइसेंस के सिवाय अभिकर्त्ता का कार्य करने का निषेध.— कोई व्यक्ति अभिकर्त्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा, जब तक कि उसके पास विधिमान्य लाइसेंस नहीं है, जो उसे लाइसेंस में बताये गये स्थान या स्थानों पर उस अभिकर्त्ता के कारबार को प्राधिकृत करे:

परन्तु इन नियमों के प्रवृत्त होने के दिनांक को पहले से ही अभिकर्त्ता के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को ऐसी दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर लाइसेंस लेने की अनुमति होगी।

5.77. अभिकर्त्ताओं का अनुज्ञापन.— (1) कोई व्यक्ति जो अभिकर्त्ता का लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है, उस प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को आवेदन करेगा, जिसके प्रदेश में उसका कारबार का स्थान है, या, यथास्थिति, उसके कारबार का मुख्य स्थान है। ऐसा आवेदन प्ररूप आर.एस. 5.32 में किया जायेगा।

(2) आवेदन के साथ निर्धारित फीस होगी।

(3) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी अन्य बातों के साथ निम्नलिखित विषय का ध्यान रखते हुए लाइसेंस स्वीकृत या नवीकृत करेगा या स्वीकृत या नवीकृत करने से इनकार करेगा:—

(क) आवेदक के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन मालयानों की संख्या, यदि कोई हो;

(ख) प्रत्येक प्रचालन स्थल पर आवेदक के नियंत्रण में माल संग्रह करने के लिये स्थान की उपयुक्तता;

(ग) आवेदक द्वारा मालयानों को खड़ा करने, माल उतारने या चढ़ाने के लिये उस क्षेत्र के सामान्य यातायात को बिना अड़चन पहुंचाये दी गई सुविधायें;

(घ) आवेदक के वितीय साधन और व्यापार में उसका अनुभव;

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी प्ररूप आर.एस. 5.33 में लाइसेंस, शाखा कार्यालय, यदि कोई हो, के लिये पूरक लाइसेंस के साथ, जिसमें उन स्थान या स्थानों को बतायेगा जहां कारबार किया जा सकेगा, या तो स्वीकृत करेगा या नवीकृत करेगा या लाइसेंस स्वीकृत या नवीकृत करने से इन्कार कर देगा:

परन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी लाइसेंस या शाखा कार्यालयों के लिये पूरक लाइसेंस को स्वीकार करने या नवीकृत करने से इन्कार नहीं करेगा, जब तक कि आवेदक को सुनवाई का एक अवसर न दे दिया गया हो और इन्कार करने के कारण अभिलिखित न किये गये हों और उसे लिखित रूप में संप्रेषित न कर दिये गये हों।

(5) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी इस नियम के अधीन स्वीकृत किये गये किसी लाइसेंस की प्रतियां सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी को भिजवायेगा और इन्कार करने और रद्द करने के बारे में भी उनको सूचना देगा।

(6) अनुज्ञापन प्राधिकारी लाइसेंस (किसी पूरक लाइसेंस सहित) स्वीकृत या नवीकृत करते समय या लाइसेंस की मान्यता की अवधि के दौरान किसी समय लाइसेंस—धारक को निम्नानुसार नकद प्रतिभूति जमा कराने का आदेश दे सकेगा:—

S. No.	Name of Agent	Amount of security
1.	For Collecting Agent	Rs. 1,000/-
2.	For Distributing Agent	Rs. 1,000/-
3.	For Collecting & Distributing Agent	Rs. 2,000/-
4.	For Collecting & Forwarding Agent	Rs. 3,000/-
5.	For Forwarding & Distributing Agent	Rs. 3,000/-
6.	For Collecting, Forwarding & Distributing Agent	Rs. 5,000/- Having upto 10 Motor Vehicles. Rs. 10,000/- Having more than 10 Motor Vehicles but upto 25 Motor Vehicles. Rs. 25,000/- about 25 Motor Vehicles.

(7) (i) The licence shall be in two parts, namely the Principal part (hereinafter referred to as the Principal Licence) issued for every separate establishment or branch office for loading, unloading or receipt of delivery of the consignment is carried on shall be mentioned, and the supplementary part (hereinafter referred as the supplementary licence). The details of the establishment or the branch office (such as municipal house number, the nearest road, byelane, the postal delivery district and other land marks in the vicinity to enable identification of the place of the licensee) duly attested by the Licensing Authority shall be attached to the licence.

(ii) The principal licence shall be kept and displayed prominently at the head office and the supplementary licence shall be kept and displayed prominently at each branch office to which it refers, except when the principal licence or the supplementary licence, as the case may be, is forwarded to the Licensing Authority for effecting renewal thereof. Such licence shall be produced before any inspecting officer of the Transport Department or any Police Officer in uniform, not below the rank of Sub-Inspector.

(8) The agent's licence shall be non-transferable.

(9) (a) The agent's licence shall be valid for a period of one year from the date of its grant or renewal.

(b) The date on which expiry of the supplementary licence shall be coterminous with the date of expiry of the principal licence irrespective of the date on which the supplementary licence is granted.

क्र. सं.	अभिकर्त्ता का नाम	प्रतिभूति की राशि
1	संग्रहकर्त्ता	रु. 1000/-
2	वितरणकर्त्ता	रु. 1000/-
3	संग्रह और वितरणकर्त्ता	रु. 2000/-
4	संग्रह और अग्रेषणकर्त्ता	रु. 3000/-
5	अग्रेषण और वितरणकर्त्ता	रु. 3000/-
6.	संग्रह, अग्रेषण और वितरणकर्त्ता	रु. 5000/- जिसके पास दस मोटर यान हों रु. 10000/- जिसके पास 10 से अधिक, परन्तु 25 तक मोटर यान हों रु. 25000/- जिसके पास 25 से अधिक मोटर यान हों

(7) (i) लाइसेंस दो भागों में होगा–अर्थात्–मुख्य भाग (जिसे आगे "मुख्य लाइसेंस" कहा जायेगा), जो प्रत्येक अलग स्थापन या शाखा कार्यालय के लिये जारी किया जायेगा, जिसमें परेषण चढ़ाने, उतारने या प्राप्त करने या परिदान करने की रसीद का उल्लेख होगा और पूरक भाग (जिसे आगे "पूरक लाइसेंस" कहा जायेगा) स्थापन या शाखा कार्यालय का पूरा विवरण (जैसे म्युनिसिपल गृह संख्या, निकटतम सड़क, गली, डाक वितरण का जिला और लाइसेंस–धारक के स्थान की पहचान कर सकने के लिये पड़ौस का कोई अन्य पहिचान चिन्ह), लाइसेंस के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सम्यक्तः सत्यापित संलग्न किया जायगा।

(ii) मुख्य लाइसेंस को मुख्यालय पर प्रमुख रूप से रखा व प्रदर्शित किया जायेगा और पूरक लाइसेंस को प्रत्येक शाखा कार्यालय पर, जिसका वह है, प्रमुख रूप से रखा व प्रदर्शित किया जायेगा, सिवाय जब मुख्य लाइसेंस या पूरक लाइसेंस, यथास्थिति, अनुज्ञापन प्राधिकारी को उसका नवीकरण करने के लिये अग्रेषित न कर दिया गया है। ऐसा लाइसेंस परिवहन विभाग के किसी निरीक्षण–अधिकारी या वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी, जो उप–निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(8) अभिकर्त्ता का लाइसेंस अहस्तान्तरणीय होगा।

(9) (क) अभिकर्त्ता का लाइसेंस इसकी स्वीकृत या नवीकरण की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगा।

(ख) पूरक लाइसेंस की समाप्ति की दिनांक मुख्य लाइसेंस की समाप्ति के साथ समाप्त होने वाली होगी, चाहे पूरक लाइसेंस किसी भी दिनांक को स्वीकृत किया गया हो।

5.78. **Renewal of Agent's Licence.**– (i) The agent's licence may be renewed on an application in Form R.S. 5.34 alongwith prescribed fee made to the Licensing Authority not less than 30 days before the date of its expiry and shall be accompanied by the principal and by supplementary licence, if any, and the prescribed fee. If the application for renewal is made after the prescribed period, it shall accompanied by late fee.

(ii) The renewal of licence shall be made by endorsement of renewal thereof by the Licensing Authority on the principal and the supplementary licence, if any.

5.79. **Conditions for Agent's Licence.**– The agent's licence shall be subject to the following conditions, namely:–

(1) that the licensee shall subject to provisions of this rule provide adequate space for the parking of the vehicles for the purposes of loading and unloading of goods;

(2) that the licensee shall be responsible for proper arrangements for storage of goods collected for despatch or delivery or both;

(3) that where the licensee is authorised to collect, or forward and distribute or collecting, forward and distribute goods, the licensee shall:–

(a) take all necessary steps for proper delivery of goods to the consignee.

(b) be liable to indemnity the owner of goods for any loss or damage to goods while in his possession, by adequate insurance cover, where available at the cost of consignor or consignee.

(c) not issue the goods transport receipt without having actually received the goods.

(d) not deliver the goods to consignee without actually receiving from the consignee the goods transport receipt or if the receipt is lost or misplaced, indemnity bond covering the value of goods.

(4) that the licensee shall maintain proper record of vehicles under his control and of collection, despatch and delivery of goods which shall be opened to inspection by the Licensing Authority or any persons duly authorised in the behalf by any such Authority, the licensee shall furnish to the Licensing Authority by the 31st March, every year's return in respect of the previous calendar year in Form R.S. 5.35.

(5) that the licensee shall not charge any commission exceeding that may be prescribed under this rule.

(6) that the licensee shall furnish the operator with correct figures of the freight receivable by them from the consignor or the consignee.

(7) that the licensee shall maintain proper accounts of the commission charged by him and have the same audited by a qualified auditor annually.

(8) that the licensee shall ensure that the goods vehicles under his control have valid permit for the route or area on which the vehicles have to ply.

(9) that the licensee shall maintain in good condition a weighing device capable to weigh at a time not less than 1.000 kilograms.

5.78. अभिकर्त्ता के लाइसेंस का नवीकरण.– (i) अभिकर्त्ता का लाइसेंस प्ररूप आर.एस. 5.34 फीस के साथ इसकी समाप्ति की दिनांक से 30 दिनों से अन्यून अवधि में अनुज्ञापन प्राधिकारी वेदन करने पर नवीकृत किया जा सकेगा। इसके साथ मुख्य और पूरक लाइसेंस और निर्धारित होगी। यदि नवीकरण के लिये आवेदन निर्धारित अवधि के बाद किया जाता है, तो इसके साथ शुल्क होगा।

(ii) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मुख्य और पूरक लाइसेंस, यदि कोई हो, पर नवीकरण का पृष्ठांकन हुए उसका नवीकरण किया जायेगा।

5.79. अभिकर्त्ता लाइसेंस के लिये शर्तें.– अभिकर्त्ता का लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अर्थात्:–

(1) कि लाइसेंसी, इस नियम के उपबन्धों के अध्यधीन, माल को चढ़ाने उतारने और यानों को खड़ा करने के प्रयोजनों के लिये पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करेगा;

(2) कि लाइसेंसी, माल के संप्रेषण या परिदान दोनों के लिये संगृहीत माल के भण्डारण के लिये उचित व्यवस्था करने के लिये उत्तरदायी होगा;

(3) कि जहां लाइसेंसी माल के संग्रहण या अग्रेषण और वितरण या संग्रहण, अग्रेषण और वितरण के लिये प्राधिकृत है, तो वह:–

   (क) परेषिती को माल का उचित परिदान करने के लिये सब आवश्यक कदम उठायेगा।

   (ख) जब माल उसके कब्जे में है, माल के स्वामी को उसकी किसी हानि या नुकसान के लिये, पर्याप्त बीमा आवरण द्वारा, जहां उपलब्ध हो, परेषक या परेषिती के खर्च पर, क्षतिपूर्ति करने को दायी होगा।

   (ग) वास्तव में माल प्राप्त किये बिना माल यान रसीद जारी नहीं करेगा।

   (घ) परेषिती को माल का परिदान परेषिती से माल यान रसीद वास्तव में लिये बिना या यदि रसीद खो गई या गुम हो गई है, तो माल के मूल्य को आवृत करने के लिये प्रत्याभूति बंध–पत्र लिये बिना नहीं करेगा।

(4) लाइसेंसी अपने नियंत्रणाधीन यानों और माल के सग्रंहण, संप्रेषण और परिदान का उचित अभिलेख रखेगा, जो अनुज्ञापन–प्राधिकारी द्वारा या ऐसे किसी प्राधिकारी द्वारा या इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निरिक्षण के लिये खुला रहेगा। लाइसेंस–धारक अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को पिछले कलेण्डर–वर्ष के बारे में प्ररूप आर.एस. 5.35 में विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(5) लाइसेंसी इस नियम में निर्धारित से अधिक कोई कमीशन प्रभारित नहीं करेगा।

(6) लाइसेंसी परेषक या परेषिती से प्राप्त करने योग्य भाड़े के सही आंकड़े प्रचालक को देगा।

(7) लाइसेंसी उनके द्वारा लिये गये कमीशन का उचित लेखा रखेगा और उसका योग्यता–प्राप्त अंकेक्षक से वार्षिक अंकेक्षण करवायेगा।

(8) लाइसेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन माल यानों के उस मार्ग या क्षेत्र के लिये, जिसमें वे चलाये जाते हैं, विधिमान्य परमिट है।

(9) लाइसेंसी अच्छी हालत में एक तोलन यन्त्र रखेगा, जो एक बार में 1000 किलोग्राम से अन्यून भार को तोल सके।

(10) that the licensee shall attend to customer in the order in which they approach him, provided that the customer in respect of the perishable goods shall be given priority over other customers and shall be attended to in the order in which they approach to the licensee:

Provided further that the State Government may in its discretion after the priority.

(11) that the licensee shall not refuse to accept goods for transport without valid reasons.

(12) that the licensee shall assign the available traffic amongst the operators in the order in which they have approached him and shall maintain a register chronologically recording particulars of the available traffic and the waiting operators.

(13) that the licensee shall comply with the provisions of these rules and shall observe the conditions specified in the licence.

(14) that the Licensing Authority may at his discretion or for forfeiture in whole part of the security or the additional security furnished by the licensee for contravention of any of these rules or for breach of any of the aforesaid conditions by the licensee.

(15) that the Licensing Authority may after giving a notice of not less than one month in writing either vary the condition of the licence to attach to the licence further conditions.

(16) that the licensee shall declare its principal place of business where he will keep all the record relating to agency ready for inspection.

(17) that the licensee shall not collect, forward and distribute any goods prohibited to define Acts and Rules prevailing in the State or under notification issued by the State Government from time to time.

(18) that the licensee shall keep adequate fire fighting equipment in good order at the premises.

5.80. Particulars to be maintained in contract of agency.– All contracts entered into or way bills issued by the licensee for the purpose of collecting, forwarding or distributing goods shall be in writing and shall contain the following particulars, namely:–

(i) name and address of the consignors or the consignee;

(ii) description and weight of the consignment;

(iii) destination and its approximate distance in kilometers from the starting station;

(iv) freight for tonne, kilometers and for the whole consignment.

(v) delivery instructions i.e. approximate date by which and the exact place at which the goods are to be delivered to the consignee.

(vi) terms of payment.

(vii) name of the owner, driver, registration number of the vehicle and its authorised loads, the rate and the amount of the commission

(10) लाइसेंसी ग्राहक पर उसी क्रम से ध्यान देगा जिस क्रम से वे आये है, परन्तु नष्ट होने वाले माल के बारे में ग्राहक को दूसरे ग्राहकों से अधिमान देगा और उन पर उसी क्रम से ध्यान दिया जायेगा, जिससे वे आये हैं:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार स्वविवेक से अधिमान को बदल सकेगी।

(11) लाइसेंसी किसी माल को बिना विधिमान्य कारणों के स्वीकार करने से इनकार नहीं करेगा।

(12) लाइसेंसी प्रचालकों के बीच उपलब्ध यातायात को उसी क्रम में समनुदेशित करेगा, जिसमें वे उसके पास पंहुचे और समयानुक्रम में एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें उपलब्ध यातायात और प्रतीक्षा करने वाले प्रचालकों का विवरण अभिलिखित किया जायेगा।

(13) लाइसेंसी इन नियमों के उपबन्धों की पालना करेगा और लाइसेंस में दी गई शर्तों का पालन करेगा।

(14) इन नियमों में से किसी के उल्लंघन के लिये या लाइसेंसी द्वारा उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भंग के लिये, अनुज्ञापन प्राधिकारी स्वविवेक से लाइसेंसी द्वारा दी गई सम्पूर्ण प्रतिभूति या उसका भाग या अतिरिक्त प्रतिभूति को जब्त कर सकेगा।

(15) अनुज्ञा पत्र प्राधिकारी एक माह से अन्यून का लिखित में नोटिस देने के बाद, या तो लाइसेंस की शर्तें बदल सकेगा या लाइसेंस पर और शर्तें जोड़ सकेगा।

(16) लाइसेंसी अपने कारबार का मुख्य स्थान घोषित करेगा, जहां वह एजेन्सी से सम्बन्धित पूरा अभिलेख निरीक्षण के लिये तैयार रखेगा।

(17) लाइसेंसी राज्य में प्रचलित अधिनियमों और नियमों के अधीन या समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अधीन प्रतिबन्धित परिभाषित किये गये किसी माल का संग्रहण, अग्रेषण और परिदान नहीं करेगा।

(18) लाइसेंसी परिसर पर पर्याप्त अग्निशमन यंत्र ठीक हालत में रखेगा।

5.80. एजेंसी की संविदा की विशिष्टियां.— लाइसेंसी द्वारा माल के संग्रहण, अग्रेषण या परेषण के प्रयोजनार्थ की गयी सब संविदायें या मार्ग बिल लिखित में होंगे और उनमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात्:—

(i) परेषक या परेषिती का नाम और पता;

(ii) परेषक का विवरण और भार;

(iii) गन्तव्य स्थान और उसकी रवानगी के स्थान से अनुमानित दूरी किलोमीटरों में;

(iv) टनों, किलोमीटरों और पूरे परेषण के लिये भाड़ा;

(v) परिदान निर्देश, अर्थात् किस अनुमानित दिनांक को और निश्चित स्थान, जहां परेषिती को माल का परिदान किया जाना है;

(vi) संदाय के निबंधन;

(vii) स्वामी, ड्राइवर के नाम और यान की रजिस्ट्रीकरण संख्या और उसका प्राधिकृत भार और कमीशन की दर और रकम।

5.81. Rate of Commission.– The State Government may by notification in the Official Gazette prescribe the rate at which commission may be charged by the licensee under these rules.

5.82. Places to be used for Loading and unloading of goods.– (1) The Licensing Authority may in consultation with the Local Municipal Authority or the Police Authority having jurisdiction over the local area concerned or both, approve any premises owned by or in possession of a licensee or the applicant for agent's licence to be used for loading or unloading of the goods or for parking of goods vehicles or for storage of goods in the custody of the agent, having regard to suitability of the site, sanitary conditions and storage facilities provided at such premises.

(2) Any approval under sub-rule (1) shall be subject to the following conditions, namely:–

(a) that the premises shall at all times be kept in a cleaned condition and in good state of repair.

(b) that the premises shall be administered in an orderly manner.

(c) that the licensee shall not change the premises or make any external alteration to it or in the parking arrangements thereat, as may likely to cause obstruction to the general traffic in the vicinity without prior approval of the Licensing Authority.

(d) that the licensee shall take all suitable precautions to ensure that no breach of any provision of the Act or of the Rules in so far as these provisions relate to the following matter is committed in respect of any vehicle engaged by him and which is entering or leaving or standing at such premises namely:–

(A) Requirements with a goods vehicle shall be covered by:–

(i) Valid and effective permit/countersignature for the route/area or travel.

(ii) valid certificate of fitness.

(iii) Valid certificate of insurance.

(iv) Payment of all taxes under the Rajasthan Motor Vehicle Taxation Act, 1951.

(B) Observance of the regulations/conditions as to:–

(i) construction, equipment and maintenance of motor vehicles to the extent the defects easily noticeable from the exterior appearance of a motor vehicle.

(ii) limits of weight and prohibition or restrictions on use of a motor vehicle.

(iii) loading of goods, overall height, length, width and projection of load laterally to the front, to the rear and in a height.

(iv) transport of dangerous or explosive substance contraband articles under any law for time being in force.

(v) parking or abandonment of motor vehicles on road in such a way as to cause obstruction to traffic or danger to any person or other users of road, leaving vehicles in dangerous position.

5.81. कमीशन की दर.— राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वह दर निर्धारित कर गी, जिस पर इन नियमों के अधीन लाइसेंसी द्वारा कमीशन वसूल किया जा सकेगा।

5.82. माल को चढ़ाने और उतारने के लिये उपयोग में लाये जाने वाले स्थान.— (1) ज्ञापन प्राधिकारी, स्थानीय नगरपालिका प्राधिकारी या सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने पुलिस प्राधिकारी या दोनों के परामर्श से लाइसेंसी या अभिकर्त्ता के लाइसेंस के आवेदक के त्वाधीन या आधिपत्य के किसी परिसर को, माल के उतारने–चढ़ाने के लिये या मालयानों को खड़ा ने के लिये या अभिकर्त्ता की अभिरक्षा के माल का भण्डारण करने के लिये, ऐसे परिसर द्वारा दिये रहे स्थान की उपयुक्तता, सफाई व्यवस्था और भण्डारण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित सकेगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन कोई अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात्:–

(क) कि परिसर को पूरे समय के लिये साफ और अच्छी मरम्मत की दशा में रखा जायेगा।

(ख) कि परिसर व्यवस्थित तरीके से प्रशासित होगा।

(ग) कि अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, लाइसेंसी परिसर को नहीं बदलेगा या उसमें या पार्किंग की व्यवस्था में कोई बाहरी परिवर्तन नहीं करेगा, जिससे सामान्य यातायात को कोई अड़चन होने की संभावना हो।

(घ) कि लाइसेंसी यह सुनिश्चित करने के लिये सब उपयुक्त सावधानी रखेगा कि अधिनियम या नियमों के उपबन्धों का कोई भंग नहीं हुआ है, जहां तक ये उपबन्ध निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित हैं और किसी यान के बारे में, जो उसने लगाया है और जो ऐसे परिसर में प्रवेश कर रहा है या छोड़ रहा है या खड़ा है, अर्थात्:–

(क) मालयानों की अध्यपेक्षाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित आयेंगी, अर्थात्:–

(i) यात्रा के मार्ग/क्षेत्र के लिये विधिमान्य और प्रभावशील परमिट/प्रतिहस्ताक्षर।

(ii) विधिमान्य उपयुक्तता प्रमाण–पत्र।

(iii) विधिमान्य बीमा प्रमाण–पत्र।

(iv) राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के अधीन सभी करों का संदाय।

(ख) निम्नलिखित से सम्बन्धित विनियमों/शर्तों की पालना–

(i) मोटर यानों का निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण उस सीमा तक कि मोटर यान की बाहरी रूप से कमियां आसानी से ध्यान में आने योग्य हों।

(ii) वजन की सीमायें और मोटर यान के उपयोग पर निषेध या प्रतिबंध।

(iii) माल को चढ़ाना, सकल ऊंचाई, लम्बाई, चौड़ाई और बोझ का झुकाव पार्श्विक रूप से सामने, पीछे और ऊंचाई में।

(iv) खतरनाक या विस्फोटक, या किसी प्रचलित विधि के अधीन निषिद्ध वस्तुओं का परिवहन।

(v) मोटर यानों को सड़क पर इस तरह खड़े करना या परित्यजित करना कि उससे यातायात को अड़चन उत्पन्न हो या किसी व्यक्ति या सड़क का उपयोग करने वालों को खतरा हो, यानों को खतरनाक हालत में छोड़ देना।

(vi) driving of motor vehicles by persons holding valid and effective driving licence.

(C) that the licensee shall keep adequate fire fighting equipments in good order at the premises.

(3) Where the Licensing Authority refuses to approve any premises under sub-rule (1) he shall communicate in writing his reasons for such refusal.

5.83. Suspension and Cancellation of licence.– (1) Without prejudice to any other action which may be taken against the licence, the Licensing Authority may, by order in writing, cancel the agents licence or suspend it for such a period, as it may think fit in its opinion any of the conditions under which the licence has been granted, has been contravened.

(2) The Licensing Authority may by order in writing cancel the agent's licence or suspend it for such period, as it may think fit, if in his opinion any of the conditions under which any premises has been approved under the above rules, has been contravened.

(3) Before making any order of suspension or cancellation under this rule the Licensing Authority shall give the licensee an opportunity of being heard and shall record reasons in writing for such cancellation or suspension.

5.84. Issue of Duplicate Licence.– If at any time an agent's licence is lost, destroyed, torned or otherwise defaced so as to illegible the agent shall forthwith apply to the Licensing Authority for grant of duplicate licence. The application for obtaining duplicate licence shall be accompanied by the prescribed fee. Upon receipt of such application that authority shall issue a duplicate agent's licence clearly stamped "Duplicate". If the original licence is subsequently found, the original licence shall be surrendered to the Licensing Authority.

5.85. Appeals.– (a) Any person aggrieved of order made by the Licensing Authority under these rules may appeal to the Transport Commissioner within 30 days from the date of such order on its communication to him alongwith prescribed fee.

(b) The memorandum of appeal shall be filed in duplicate setting forth concisely the grounds of objection and shall be accompanied by a certified copy of the order:

Provided that the memorandum of appeal shall not relate to more than one order or to be signed by more than one parties.

5.86. Use of unmetalled road.– The Transport Authority may prohibit transport vehicles other than Motor Cabs to be used on any unmetalled read in the State.

[1][**5.87. Fees.–** The fees which shall be charged under the provisions of this chapter shall be as specified in the Table below.–

[2][परन्तु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रचलित और एन.सी.टी. दिल्ली और क्षेत्रीय योजना, 2021 के पैरा 2.1 में यथा परिभाषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को गठित करने वाले हरियाणा, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के उप–क्षेत्रों में रजिस्टीकृत, यूरो मानकों के अनुरूप परिष्कृत (सी.एन.जी.) का उपयोग करने वाले मोटर कैब/टैक्सी और ऑटो रिक्शा के संविदा गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिये कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।]

---

1. Subs. by G.S.R. 108, dated 11.1.2000 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4 (Ga)(I), dated 11.1.2000).
2. अधि.सं. एफ. 7(3) परि/रूल्स/एच.क्यू./1995/17833, दिनांक 4.9.2008, जी.एस.आर. 79 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग–4–6(1), दिनांक 8.9.2008 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया।

(vi) मोटर यानों का विधिमान्य और प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति रखने वाले व्यक्तियों द्वारा चालन।

(ग) कि लाइसेंसी परिसर पर उपयुक्त अग्निशमन यंत्र अच्छी दशा में रखेगा।

(3) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी उप–नियम (1) के अधीन किसी परिसर का अनुमोदन करने से इन्कार करता है, तो वह ऐसी इन्कारी के लिये अपने कारण लिखित में संसूचित करेगा।

5.83. लाइसेंस का निलम्बन और रद्दकरण.– (1) लाइसेंसी के विरुद्ध की जा सकने वाली किसी कार्यवाही को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किये बिना, अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित में आदेश द्वारा अभिकर्त्ता के लाइसेंस को ऐसी अवधि के लिये रद्द या निलम्बित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे, यदि उसके अभिमत में उन शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया गया हो, जिनके अधीन लाइसेंस दिया गया था।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित में आदेश द्वारा अभिकर्त्ता के लाइसेंस को ऐसी अवधि के लिये रद्द या निलम्बित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे, यदि उसके अभिमत में उन शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया गया हो, जिनके अधीन कोई परिसर उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुमोदित किया गया था।

(3) इस नियम के अधीन निलम्बन या रद्दकरण का आदेश करने से पहले, अनुज्ञापन प्राधिकारी लाइसेंसी को सुनवाई का एक अवसर देगा और ऐसे रद्दकरण के लिये लिखित में कारण अभिलिखित करेगा।

5.84. डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना.– यदि किसी समय अभिकर्त्ता का लाइसेंस खो गया हो, नष्ट हो गया हो, फट गया हो या अन्यथा विरूपित हो गया हो कि वह अपठनीय हो गया हो, तो अभिकर्त्ता तुरन्त अनुज्ञापन प्राधिकारी को डुप्लीकेट लाइसेंस स्वीकृत करने के लिये आवेदन करेगा। डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन के साथ निर्धारित फीस होगी। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर वह प्राधिकारी डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करेगा, जिस पर स्पष्ट रूप से "डुप्लीकेट" की मोहर लगी होगी। यदि मूल लाइसेंस बाद में मिल जाये, तो मूल लाइसेंस अनुज्ञापन प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर दिया जायेगा।

5.85. अपीलें.– (क) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन दिये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश को उसे संसूचित करने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर निर्धारित फीस के साथ में परिवहन आयुक्त को अपील कर सकेगा।

(ख) अपील का ज्ञापन दो प्रतियों में आक्षेप के आधारों को संक्षेप में देते हुए फाइल किया जायेगा और इसके साथ उस आदेश की सत्यापित प्रति होगी:

परन्तु अपील का ज्ञापन एक से अधिक आदेश से सम्बन्धित या एक से अधिक पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगा।

5.86. कच्ची सड़क का उपयोग.– परिवहन प्राधिकारी राज्य में मौटर–कैबों के अलावा दूसरे परिवहन यानों का किसी कच्ची सड़क पर उपयोग करना प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

[1][**5.87. फीस.**– फीस, जो इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन प्रभारित की जायेगी, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्टानुसार होगी :

[2][परन्तु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रचलित और एन.सी.टी. दिल्ली और क्षेत्रीय योजना, 2021 के पैरा 2.1 में यथा परिभाषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को गठित करने वाले हरियाणा, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के उप–क्षेत्रों में रजिस्टीकृत, यूरो मानकों के अनुरूप परिष्कृत (सी.एन.जी.) का उपयोग करने वाले मोटर कैब/टैक्सी और ऑटो रिक्शा के संविदा गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिये कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।]

---

1. जी.एस.आर. 108, दिनांक 11.1.2000 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 11.1.2000 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

2. अधि.सं. एफ. 7(3) परि/रूल्स/एच.क्यू./1995/17833, दिनांक 4.9.2008, जी.एस.आर. 79 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग–4–6(1), दिनांक 8.9.2008 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया।

TABLE

S. No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
1.	For application to grant/renewal/ countersignature of Permit (other than temporary permit)		5.5 5.27
	(i) Two seater Auto Rickshaw	100/–	
	(ii) Educational Institution Bus/ Mini-Bus/Tempo/Vikram/Auto tonga]	250/–	
	(iii) Stage Carriage, Contract Carriage:–		
	(a) For inter statal permit	1500/–	
	(b) Other than inter statal permit	750/–	
	(iv) Motor Cab/Maxi Cab/Public Carrier or Private Carrier.	300/–	
2.	For grant and renewal of a permit (Other than temporary permit)		5.9, 5.27 5.28
	(i) Stage Carriage, Public Carrier, Private Carrier, Contract Carriage excluding Mini bus	1500/–	
	(ii) Educational Institution Bus/ Minibus/Motor Cab/Maxi Cab.]	1000/–	
	(iii) Auto Tonga/Auto Rickshaw/ Vikram/Tempo	500/–	
3.	For grant of temporary permit or counter-signature for 30 days or part thereof	200/–	5.5
4.	For countersignature of a Non-temporary permit or its renewal		5.58
	(i) For heavy Transport vehicles	1500/–	
	(ii) Medium Transport vehicles	1000/–	
	(iii) Light Transport vehicles	500/–	

1. Noti. No. F. 7(4)/Pari/Rules/H.Q./11/92/12004, dt. 30.6.2015, S.O. 77 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-Ord., Pt. 4(C)(II), dt. 1.7.2015)

सारणी

[illegible]	प्रयोजन	रकम (रुपयों में)	नियम
[illegible]	2	3	4
	परमिट की मंजूरी/नवीनीकरण प्रतिहस्ताक्षर के आवेदन के लिये (अस्थाई परमिट से भिन्न)		5.5 5.27
	(i) दो सीट वाले आटो रिक्शा	100/-	
	(ii) शिक्षा संस्था बस/मिनी बस/टैम्पो/विक्रम/ऑटो तांगा,	250/-	
	[illegible] मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी		
	[illegible] अन्तर्राज्यीय परमिट	1500/-	
	[illegible] अन्तर्राज्यीय परमिट से भिन्न	750/-	
	(iv) मोटर-कैब/मैक्सी कैब/लोक वाहक या प्राइवेट वाहन	300/-	
	परमिट की मंजूरी और नवीनीकरण के लिये ([illegible] परमिट से भिन्न)		5.9, 5.27 5.28
	(i) मिनी बस को छोड़कर मंजिली गाड़ी, सार्वजनिक वाहक, प्राइवेट वाहक, ठेका गाड़ी	1500/-	
	[illegible] शिक्षा संस्था बस/मिनी बस/मोटर टैक्सी/ [illegible] कैब,	1000/-	
	[illegible] तांगा/आटो रिक्शा/विक्रम/टैम्पो	500/-	
	[illegible] या उसके भाग के लिये अस्थाई परमिट या [illegible] की मंजूरी के लिये	200/-	5.5
	[illegible] परमिट के प्रतिहस्ताक्षर या उसके [illegible] लिये		5.58
	[illegible] यानों के लिये	1500/-	
	[illegible] यानों के लिये	1000/-	
	[illegible] यानों के लिये	500/-	

[illegible] करि./नियम/एच.क्यू./11/92/12004, दिनांक 30.6.2015, एस.ओ. 77 [illegible] भाग 4(ग)(1) दिनांक 1.7.2015 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

S. No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
5.	Fee for transfer of permit otherwise than by inheritance or succession		5.36
	(i) Stage Carriage	3000/–	
	(ii) Public Carrier and Contract Carriages other than Motor Cab, Maxi Cab, Tempo, Vikram and Auto Rickshaw	1500/–	
	(iii) Contract Carriage (Mini Bus, Tempo, Vikram, Motor Cab, Maxi Cab)	1000/–	
	(iv) Auto Rickshaw & Auto Tonga	500/–	
6.	(i) Fee for appeal in STAT against the order of STA	500/–	5.44
	(ii) Fee for appeal against the order of RTA	500/–	
	(iii) Fee for revision of order of STA/RTA	500/–	
7.	Fee for duplicate copy of a permit		5.28
	(I) Part A each copy		
	(a) Stage carriage, Contract Carriage–		
	(i) For multilated/defaced	200/–	
	(ii) In the case of lost/theft	1000/–	
	(b) Motor Cab/Maxi Cab/Tempo/Vikram/ Mini bus/Auto Tonga/Auto Rickshaw/ Public Carrier or Private Carrier	200/–	
	(II) Part B each copy–		
	(a) Stage Carriage, Contract carriage		
	(i) for multilated/defaced	200/–	
	(ii) in the case of lost/theft	1000/–	
	(b) Motor Cab/Maxi Cab/Tempo/Vikram/ Mini bus/Auto Rickshaw/Auto Tonga/ Public Carrier or Private Carrier	200/–	
	(III) Temporary permit each copy	200/–	
	(IV) Authorisation each copy	200/–	

क्र. सं.	प्रयोजन	रकम (रुपयों में)	नियम
1	2	3	4
5.	विरासत या उत्तराधिकारी से अन्यथा परमिट के अन्तरण के लिये फीस		5.36
	(i) मंजिली गाड़ी	3000/–	
	(ii) मौटर–कैब, मैक्सी कैब, टेम्पो विक्रम और आटो–रिक्शा से भिन्न सार्वजनिक वाहक और ठेका गाड़ी	1500/–	
	(iii) ठेका गाड़ी (मिनी बस, टेम्पो, विक्रम मोटर–कैब और मैक्सी कैब)	1000/–	
	(iv) ऑटो रिक्शा और आटो तांगा	500/–	
	(i) रा.प.अ.अ. में रा.प्र.प्रा. के आदेश के विरुद्ध अपील के लिये फीस	500/–	5.44
	(ii) प्रा.प.प्रा के आदेश के विरुद्ध अपील के लिये फीस	500/–	
	(iii) रा. प. प्रा./ प्रा.प्र.प्रा. के पुनरीक्षण के लिये फीस	500/–	
7.	परमिट की अनुलिपि के लिये फीस		5.28
	(I) भाग क–प्रत्येक प्रति		
	(क) मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी		
	(i) विकृत/विरूपित	200/–	
	(ii) खो जाने/चोरी हो जाने की स्थिति में	1000/–	
	(ख) मौटर कैब/मैक्सी कैब/टेम्पो/विक्रम/मिनी बस/ऑटो रिक्शा/ऑटो तांगा/सार्वजनिक वाहक या प्राइवेट वाहक	200/–	
	(II) भाग ख–प्रत्येक प्रति		
	(क) मंजिली गाड़ी, ठेका गाड़ी		
	(i) विकृत/विरूपित के लिये	200/–	
	(ii) खो जाने/चोरी हो जाने की स्थिति में	1000/–	
	(ख) मौटर–कैब/मैक्सी कैब/मिनी बस/ऑटो–रिक्शा/टेम्पो/विक्रम/ऑटो–तांगा/सार्वजनिक वाहक या प्राइवेट वाहक	200/–	
	(III) अस्थाई परमिट–प्रत्येक प्रति	200/–	
	(IV) प्राधिकार पत्र प्रत्येक प्रति	200/–	

S. No.	Purpose	Amount (in Rs.)	Rule
1	2	3	4
8.	Agents Licence:–		5.73(3)
	(i) Application fee	5000/–	& 5.77
	(ii) For grant of licenc	1000/–	
	For grant of supplementary licence of each additional establishment	1000/–	
	(iii) For renewal of licence if the application is made in time		5.78
	(a) Principal licence	1000/–	
	(b) For each supplementary licence	1000/–	
	(iv) For renewal of licence if the application is made late		5.78
	(a) Principal licence	1500/–	
	(b) For each supplementary licence	1500/–	
	(v) For issue of duplicate copy of–		5.84
	(a) Principal licence	1000/–	
	(b) For each supplementary licence	1000/–	
	(vi) For appeal against the order of Licensing Authority	500/–	5.85
9.	Application fee for the cancellation of permit		5.35(3)
	(i) For Two Seater/Auto Rickshaw	100/–	
	(ii) For Mini Bus/Tempo/Vikram/Auto-Tonga.	250/–	
	(iii) For Stage Carriage/Contract Carriage		
	(a) For Interstatal permit	1000/–	
	(b) For Other Than Interstatal permit	500/–	
	(iv) For Motor Cab/Maxi Cab/Public Carrier/ Private Carrier	300/–	
10.	Application fee for each amendment in already issued time table of a Stage Carriage vehicle, if applied by permit holder.	1000/–	5.39]

1. Subs. by G.S.R. 42, dated 12.7.2001 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord., Pt.-4 (Ga) (I), dated 12.7.2001).
2. Subs. by Noti. F. 7(4) Pari/Rules/Hq./92, dated 25.8.2005. (w.e.f. 1.9.2005).

क्र. सं.	प्रयोजन	रकम (रुपयों में)	नियम
1	2	3	4
8.	अभिकर्त्ता की अनुज्ञप्तिः—		5.73(3) और 5.77
	(i) आवेदन फीस	5000/—	
	(ii) अनुज्ञप्ति को मंजूरी के लिये	1000/—	
	प्रत्येक अतिरिक्त संस्थापन की अनुपूरक अनुज्ञप्ति की मंजूरी मंजूरी के लिये	1000/—	
	(iii) यदि आवेदन समय के भीतर—भीतर कर दिया जाये तो अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये		5.78
	(क) मूल अनुज्ञप्ति	1000/—	
	(ख) प्रत्येक अनुपूरक अनुज्ञप्ति के लिये	1000/—	
	(iv) यदि आवेदन विलम्ब से किया जाये तो अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये		5.78
	(क) मूल अनुज्ञप्ति	1500/—	
	(ख) प्रत्येक अनुपूरक अनुज्ञप्ति के लिये	1500/—	
	(v) अनुलिपि जारी करने के लिये		5.84
	(क) मूल अनुज्ञप्ति	1000/—	
	(ख) प्रत्येक अनुपूरक अनुज्ञप्ति के लिये	1000/—	
	(vi) अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के लिये	500/—	5.85
9.	परमिट के रद्दकरण के लिये आवेदन फीस		5.35 (3)
	(i) दो सीट वाले ऑटो रिक्शा के लिये	100/—	
	(ii) मिनी बस/टेम्पो/विक्रम/ऑटो तांगा के लिये	250/—	
	(iii) मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी के लिये		
	(क) अन्तर्राज्यीक परमिट के लिये	1000/—	
	(ख) अन्तर्राज्यीक से भिन्न परमिट के लिये	500/—	
	(iv) मौटर—कैब/मैक्सीकेब/लोक वाहक/प्राइवेट वाहक	300/—	
10.	किसी मंजिली गाड़ी की पहले से जारी समय सारणी में प्रत्येक संशोधन के लिये आवेदन फीस यदि उसके लिये परमिट—धारक द्वारा आवेदन किया जाये।	1000/—	5.39]

1. जी.एस.आर. 42, दिनांक 12.7.2001 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग—4(ग)(1), दिनांक 12.7.2001 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2. अधि. सं. एफ. 7(4) परि./नियम/एच.क्यू./92, दिनांक 25.8.2005 द्वारा जोड़ा एवं दिनांक 1.9.2005 से लागू किया गया।